河水油 賴德

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (शहरी विकास मंत्रालय)

नई दिल्ली, दिनांक 25 अक्तूबर 2006

संख्या ए-12011/1/2005-स्था - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम 1985 की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियी का प्रयोग करते हुए, बोर्ड केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है:-

1. लघु शीर्ष और प्रारभ

- 1.1 इन नियमों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड भर्ती और प्रोक्यित नियम, 2006 के नाम से पुकारा जाएगा। ये नियम बोर्ड के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों, जो चार कांडर के हैं जैसा कि 1.3 में दिया गया है, पर लागू होंगे।
- 1.2 ये नियम उनके अनुमोदन की तारीख से लागू होंगे। सभी भर्तियां और अधिकारियों तथा कर्मचारियों का चयन प्रत्येक पद के लिए निर्धारित भर्ती मापदण्डों के आधार पर किए जाएंगे।
- -1.3 पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध वेतनमान नियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे। पदों का निम्नलिखित काइरों के अधीन वर्गीकरण किया जाएंगा:
 - i) तकनीकी काडर
 - ii) प्रशासन एवं वित्त कांडर

HEURIE

- iii) सचिवालय काडर
- iv) निम्न अधीनस्थ स्टाफ (ग्रुप घ कर्मचारी)

2. चयन समिति

2.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की दिनांक 8.7.1985 की अधिसूचना संख्या के-14011/13/85-रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड (प्रतिलिपि अनुबंध - क पर संलग्न है) के अनुसार पदों का सृजन और उन पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति की शक्तियां कार्मिक ग्रुप के पास हैं।

कार्मिक ग्रुप

| 1. | सचिव, शहरी विकास मंत्रालय | · - | अध्यक्ष |
|----|--|------------|---------|
| 2. | सचिव (व्यय) अथवा उनका प्रतिनिधि | - | सदस्य |
| 3. | हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र | ٠ - | सदस्य |
| | के कार्य के प्रभारी सचिव | | |
| 4. | राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र | | सदस्य |
| | के कार्य के प्रभारी सचिव | | |
| 5. | उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र | - | सदस्य |
| | के कार्य के प्रभारी सचिव | | |
| 6. | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में | , - | सदस्य* |
| | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कार्य के प्रभारी सचिव | | |
| 7. | सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड | · - | संयोजक |
| | | | |

- * राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना **बोर्ड** की राजप्रत्रित अधिसूचना में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कार्य के प्रभारी सचिव को कार्मिक ग्रुप के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है।
- क) ग्रुप को बोर्ड में पदों के सृजन करने की पूरी शक्तियां प्राप्त होंगी।
- ख) उन पदों, जिनका का वेतनमान अधिकतम 15200/- रूपये (पांचवा केन्द्रीय वेतन आयोग) से अधिक होगा के पदों के लिए नियुक्ति हेतु कार्मिको का चयन ग्रुप द्वारा किया जाएगा और ग्रुप द्वारा चयनित व्यक्तियों की नियुक्ति, अध्यक्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (शहरी विकास मंत्री, भारत सरकार) का अनुमोदन प्रदान किए जाने के प्रश्चात होगी।
- ग) उन पदों, जिनका वेतनमान का अधिकतम 15200/- रूपये के समतुल्य अथवा कम होगा का चयन और नियुक्ति सदस्य सचिव द्वारा की जाएगी।
- 2.2 कार्सिक ग्रुप अथवा चयन समिति द्वारा, जैसा भी मामला हो, देशार किए गए पैनल की वैधता अवधि एक वर्ष होगी
- 2.3 उन पदों जिनका वेतनमान का अधिकतम 15200/- रूपये (पाचवां केन्द्रीय वेतन आयोग) के समतुल्य अथवा कम होगा का चयन और नियुक्ति, सदस्य संचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा एक चयन समिति की सहायता की जाएगी। इस समिति के अध्यक्ष सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड होंगे और पदों की निर्भरता पर निदेशक (प्रशाः एवं कित)/मुख्य क्षेत्रीय नियोजक एक सदस्य होंगे और विषय से सम्बधित बाहर से एक विशेषज्ञ, सदस्य सचिव द्वारा नामित किया जाएगा। चयन समिति आवश्यकता अनुसार समिति में किसी अन्य सदस्य को सह-योजित कर सकती है।

3. विभागीय पदोन्नति समिति

जिन पदों के लिए सदस्य सचिव नियुक्तिकर्ता अधिकारी हैं उन मामलों में वे विभागीय पदोन्नति समिति का गठन कर सकेगें।

4. लघु अवधि वाली रिक्तियों का भरा जाना

जब भी किसी नियमित पद्मारी द्वारा 45 दिन अथवा इससे अधिक अवकाश पर जाने, अध्ययन अवकाश, एक वर्ष से कम अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति आदि पर जाने की लघु अवधि की रिक्ति को विरष्ठतम कर्मचारी जो इन नियमों की अन्य शर्तों के अनुसार समय-समय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के विनिर्देशों के अनुसार, वार्षिक गोपनीय अच्छी होने के साथ-साथ, तदर्थ आधार पर पदोन्नति करके भरी जा सकती है। छुटी के लिए हुई इस पदोन्नति के संबंध नियमित नियुक्ति/पदोन्नति हेतु कर्मचारी के किसी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5. साक्षात्कार

भर्ती नियमों के अधीन अभ्यर्थियों का चयन नियमों के अधीन लिखित परीक्षा/कुशलता परीक्षा के कार्मिक ग्रुप अथवा चयन समिति जैसा भी मामला हो के द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

6. कठिनाईयों का निवारण

कार्मिक ग्रुप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड समय-समय पर ऐसी सामान्य अथवा विशिष्ट निर्देश जारी करेगा जो इन नियमों के किसी उपबंध के परिचालन में कठिनाईयों के निवारण के लिए आवश्यक होगा।



इन नियमों की व्यख्या के संबंध में किसी संदेह के मामले में, सचिव, शहरी विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में कार्मिक ग्रुप का निर्णय अन्तिम और बाध्य होगा।

7. स्नातक/डिप्लोमा की मान्यता

केन्द्रीय अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित भारतीय विश्वविद्यालय; संसद के अधिनियम के तहत स्थापित राष्ट्रीय महत्व के संस्थान; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मानित विश्वविद्यालय के रूप वाले संस्थान; अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान अथवा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मान्यताप्राप्त अन्य परिषदः अथवा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान द्वारा प्रदान की गई डिग्री/डिप्लोमा।

8. आयु संबंधी छूट

केन्द्रीय सरकार नियमों में यथा निर्धारित आयु संबंधी छूट सभी पदों के लिए लागू होगी। यदि विद्यमान आयु मानकों के अनुसार, उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होतें हैं, तो सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता वाले कार्मिक ग्रुप और सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की अध्यक्षता वाली चयन समिति को क्रमशः वेतनमान के अधिकतम 15200/- रूपये से अधिक वेतन वाले और वेतनमान के अधिकतम 15200/- रूपये से अध्यक्ष के उत्तनमान के अधिकतम 15200/- रूपये से अध्यक्ष के अभ्यर्थियों की आयु में छूट प्रदान करने अधिकार होगा।

9. तकनीकी काडर में विद्यमान स्वीकृत पदों का पुन: विनियतन

दस स्वीकृत तकनीकी पद हैं और इन्हें तीन भागों में पुन: विनियत किया गया है। शहरी और क्षेत्रीय योजना, परियोजना विकास, मूल्यांकन और प्रबंधन और डेंमोग्राफिक मूल्यांकन और समाजिक अवसंरचना प्रबन्धन/शहरी और क्षेत्रीय योजना के क्षेत्र में, योजना टीम में 5 विशेषज्ञ होंगे अर्थात शहरी योजना, क्षेत्रीय योजना, आवास, पर्यावरण योजना और परिवहन योजना । परियोजना विकास के क्षेत्र में, मूल्यांकन और प्रबन्धन, तकनीकी टीम में 3 विशेषज्ञ होंगे अर्थात जल संसाधन प्रबन्धन, विद्युत इंजिनीय्यिंग और जी आई एस ग्रामीण-शहरी योजना और मानव व्यवस्थापन पर यथा लागू । डेमोग्राफिक मूल्यांकन और समाजिक अवसंरचना प्रबधन के क्षेत्र के संबंध में तकनीकी टीम में 2 विशेषज्ञ होंगे अर्थात् डेमोग्राफी में अनुभव रखने वाले अर्थशास्त्री और समाजिक आवास अथवा अनौपचारिक क्षेत्र में अनुभव रखने वाले समाजवदी ।

10. नियुक्त करने वाले अधिकारी, अनुशासन अधिकारी और अपीलीय अधिकारी

उपर्युक्त नियम 2 में दर्शायी गई चयन प्रक्रिया के क्रम और अनुसरण में, बोर्ड के सभी कर्मचारीयों के लिए सदस्य सचिव, रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड नियुक्त करने वाले और अनुशासन अधिकारी होंगे। सचिव (शहरी विकास) शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार जो कार्मिक ग्रुप के अध्यक्ष भी हैं, अपीलीय अधिकारी होंगे।

11. गोपनीय रिपोर्ट

बोर्ड में सभी पदों के लिए रिपोंटिंग, समीक्षा और स्वीकृत करने वाले अधिकारी का विवरण अनुबंध-ख पर दिया गया है।

12. पदोन्नति

विभागीय पदोन्नति के लिए विचार करने हेतु कर्मचारी का मुख्य माप दण्ड सत्यनिष्ठा होगी । विभागी पदोन्नति के मामले में, जो विचाराधीन जोन में आते है, 40% अंक वार्षिक गोपनीय रिपोर्टी और 40% अंक पद/विभागीय परीक्षा की कौशलता और 20% अंक सक्षात्कार के लिए रखें गये हैं।

13. नियमों का विस्तार

नियम नए भर्ती किए गए व्यक्तियों पर लागू होगें। विद्यमान कर्मचारियों के मामलें में, उनकी पदोन्नति/पुनरीक्षित वेतनमान के लिए प्रत्याशित तारीख से केवल तभी विचार किया जाएगा यदि वे नियमों के अधीन पद के लिए शैक्षिक अहर्ताएं और अपेक्षित कौशल रखते होंगे। ये नियम उन पदों के लिए लागू नहीं होगे जिनके बारे में विद्यमान नियमों के अनुसार पहले ही विज्ञापन किया जा चुका है।

14. दिनांक 17, जून, 1997 की अधिसूचना सं.-ए-12018/पी.एस.सी.-रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड के अनुसार, बोर्ड के तकनीकी अधिकारियों के लिए भी मूल्यांकन योजना की व्यवस्था कर दी गई है। बोर्ड के योजना सहायक और ड्राफटमेन (सिविल) के संबंध में भूल से योजना नहीं बनाई गई थी, उनके कार्य भी तकनीकी स्वरूप के हैं। मूल्यांकन/प्रास्थ के लिए निम्नलिखित पात्रता के अनुसार क्थित पदों के लिए भी मूल्यांकन योजना का विस्तार किया जाता है:-

14.1 योजना सहायक

| ग्रेड | वेतनमान रूपये | मूल्यांकन के लिए पात्रता (वर्ष) | प्रारंभ के लिए न्यूनतम प्रतिशत |
|-------|---------------|---|-----------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Ī | | 7,8,9, और वेतनमान के अधिकतम पर एक वर्ष रहने के पश्चात् | 70 |
| II | 10000-15200 | 8,9,10 और वेतनमान के अधिकतम पर एक वर्ष रहने के पश्चात् | 75 |
| 111 | 12000-16500 | 10,11 और वेतनमान के अधिकतम पर एक वर्ष रहने के पश्चात् | 75 |

14.2 ड्राफट्रमेन (सिविल)

| ग्रेड | वेतनमान रूपये | मूल्यांकन के लिए पात्रता (वर्ष) | प्रारंभ के लिए न्यूनतम प्रतिशत |
|-------|---------------|---|-----------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | 5500-9000 | 7,8,9, और वेतनमान के अधिकतम पर एक वर्ष रहने के पश्चात् | 70 |
| 11 | 8000-13500 | 8,9,10 और वेतनमान के अधिकतम पर एक वर्ष रहने के पश्चात् | 75 |
| jii | 10000-15200 | 10,11 और वेतनमान के अधिकतम पर एक वर्ष रहने के पश्चात् | 75 |



मुख्य क्षेत्रीय नियोजक

| 1. | पद का नाम | मुख्य क्षेत्रीय नियोजक |
|------|---------------------------------------|---|
| 2. | पदों की संख्या | एक |
| 3. | वर्गीकरण * | ग्रुप क |
| 4. | वेतनमान | 18400-500-22500 रू. (5वां के.वे.आ.) |
| 5. | थया चयन पद अथवा गैर चयन पद | चयन पद |
| 6. | क्या सेवा के जोड़े मए वर्षों का लाभ | न्या वर्ष |
| 0. | केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन नियम), | લાગૂ પહા |
| | 1972 के नियम 30 के अधीन ग्राहय | |
| | है? | |
| 7. | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | 55 वर्ष से अधिक नहीं |
| 8. | सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अन्य | अनिवार्य: |
| " | अर्हताएं | (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से योजना में |
| | | स्नातकोत्तर जिसमें कम से कम 55% अंक प्राप्त किए |
| | | गए हों और शहरी/क्षेत्रीय योजना में विशेषज्ञता अथवा |
| | | समतुल्य। |
| | | (ii) शहरी और ग्रामीण तथा क्षेत्रीय योजना के क्षेत्र में |
| | | महत्वपूर्ण पद पर 18 वर्ष का अनुभव जिसमें से कम |
| | | से कम 10 वर्ष का अनुभव शहरी और क्षेत्रीय योजना |
| | | तैयार और कार्यान्वयन किए जाने का होना चाहिए। |
| Ì | | अधिमान्य: एफ. आई. टी.पी. (भारत) |
| 9. | क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित | आन्तरिक अभ्यर्थियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी अर्थात् |
| | आयु और शैक्षिक अहर्ताएं पदोन्नतों के | रा.रा.क्षे.यों.बोर्ड के कर्मचारी जो अन्य प्रकार से पद के लिए |
| | मामले में लागू होगी। | योग्य होंगे। |
| 10. | परीविक्षा की अवधि, यदि कोई है। | मीधी भर्ती वालों के लिए एक वर्ष |
| 1.1. | भर्ती की विधिः क्या सीधी भर्ती द्वारा | विधि: सरकारी कर्मचारी के मामले में चयन के माध्यम से |
| | अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा | स्थानातरण द्वारा प्रतिनियुक्ति पर अथवा आन्तरिक अभ्यर्थियों के |
| | प्रतिनियुक्ति/स्थनांतरण द्वारा और | नामले में पदोन्नति अथवा खुले बाजार से अभ्यर्थियों के मामले में |
| | विभिन्न तरीको द्वारा भरे जाने वाली | ठेके पर। |
| | रिक्तियों का प्रतिशत | अवधिः प्रारभ्भ में प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्षों के लिए |
| | | होगी। |
| | | जिसे निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर वर्ष-दर-वर्ष आधार पर |
| | | दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा। |
| | | ठेके पर की गई नियुक्ति प्रारम्भ में तीन वर्षों के लिए होगी |
| | | जिसे निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर वर्ष-दर-वर्ष आधार पर |
| | | दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा। मेधावी निष्पादन वाले व्यक्तियों के मामले में, प्रतिनियुक्ति अथवा |
| | | वेके पर नियुक्ति किए गए व्यक्तियों को, उनकी सहमति से, |
| | | बोर्ड उन्हें स्थायी रूप से आमेलन करने का अधिकार सुरक्षित |
| | | रखता है। |
| 12. | भर्ती के मामले में पदोन्नति/ | बोर्ड में संयुक्त निदेशक जो अपेक्षित अहर्ता और अनुभव की शर्ते |
| | प्रतिनियुक्ति/स्थानातरण द्वारा ग्रेड | पूरी करता हो, सीधी भर्ती के लिए पद हेतु आवेदन करने का |
| | जिन से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ | पात्र होगा। यदि ऐसा कोई व्यक्ति चयन कर लिया जाता है, |
| | स्थानातंरण किया जाना है। | वह नियमित आधार पर नई नियुक्ति के रूप में माना जाएगा। |
| | | |

| | | प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संध राज्य क्षेत्र की |
|-----|------------------------------------|---|
| | · · | सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपकर्मों/अर्ध-सरकारी/स्वात्तय |
| | | अथवा संविधिक संगठनो में कार्यरत अधिकारी |
| | | i) मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदधारी |
| | | ii) 14300-18300 रूपये के वेतनमान में नियमित आधार पर |
| | | नियुक्ति होने के पश्चात् ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा अथवा |
| | İ | अपेक्षित अर्हता और अनुभवधारी कांडर अथवा विभाग में |
| | | 12000-325-16500 रूपये अथव समतुल्य के वेतनमान |
| } . | | में कुल सात वर्ष की सेवा। |
| 13. | यदि विभागीय पद्मेन्नति समिति है तो | कार्मिक ग्रुप द्वारा चयन और बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन दिए |
| | उसका गठन कैसे किया गया है। | जाने के पश्चात् नियुक्ति की जाएगी। कार्मिक ग्रुप का गठन |
| | | रा रा क्षे.यो.बोर्ड की दिनांक 8.7.1985 की अधिसूचना सं- के |
| | | 14011/ 13/85 सूर्रा क्षे.यो.बोर्ड के अनुसार होगा। |

संयुक्त निदेशक (तकनीकी)

| 1. | पद का नाम | संयुक्त निदेशक (तकनीकी) |
|-----|-------------------------------------|---|
| 2. | पदों की संख्या | वो ः |
| | | 1. संयुक्त निर्देशक, शहरी नियोजक (एक घर) |
| | | 2. संयुक्त निदेशक, (एक पद), जल/सालिड वेस्ट/सीवरेज (डब्यू |
| | | एस.एस.) (एक पद) |
| 3. | वर्गीकरण | ग्रुप क |
| 4. | वेतनमान | 12000-375-16500 रू. (5वां के.के.आ.) |
| 5. | क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद | चयन पद |
| | है सुवसु के 👈 | |
| 6. | क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ | लागू नहीं |
| | केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन, नियम), | |
| 300 | 1972 के नियम 30 के अधीन | |
| | ग्राहय है? | |
| 7. | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | 50 वर्ष से अधिक नहीं |
| 8. | सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अन्य | अनिवार्यः |
| | अर्हताएं | |
| | | संयुक्त निदेशक, शहरी नियोजक |
| | · | ईजिनियरी स्नातक (सिविल) कला निष्णात (भूगोल) बी. |
| | | आर्च/बेचूलर आफ प्लेनिंग और मास्टर इन प्लेनिंग जिसमें कम |
| | | से कम 55% अंक प्राप्त किए गए हों तथा क्षेत्रीय योजना और |
| | | अवसरचना परियोजनाओं के निष्पादन और मनीटरिंग तथा उन्हें |
| | | तैयार करने और कार्यान्वयन करने मे 9 वर्ष का अनुभव। |
| | | |
| | | वरीयताः शहरी योजना में विशेषज्ञा प्राप्त अभ्यर्थियों को वरीयता |
| · | | प्रदान की जाएगी। |
| | | |
| | | संयुक्त निदेशक, जल/सालिड बेस्ट/सीवरेज (डब्ल्यू एस एस) |
| | | बी.ई. (सिविल) एम-टेक जिसमें कम से कम 55% अंक प्राप्त |
| | ć . | किए गए हो तथा जल प्रबंधन/सालिड वेस्ट प्रबंधन/सीवरेज से संबंधित अवसंरचना परियोजनाओं की योजना बनाने, निष्पादन |
| · | | सबाधत अवसरचना पारयाजनाओं का याजना बनान, निष्पादन |

| | Ì | करने और मनीटरिंग में 9 वर्ष का अनुभव। |
|----------|--|--|
| | | · |
| 1. | | वरीयताः जल संसाधन प्रबंधन में विशेषज्ञता प्राप्त अभ्यर्थियों को |
| | | वरीयता प्रदान की जाएगी। |
| | | |
| 9. | क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित | आन्तरिक अभ्यर्थियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी अर्थात् |
| J . | आयु और शैक्षिक अहर्ताएं पदोन्नतों | रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड के कर्मचारी जो अन्य प्रकार से पद के लिए |
| | | योग्य होंगे। |
| 1. | के मामले में लागू होगी। | 1 |
| | | परियोजना विकास, मूल्यांकन और प्रबंधन टीम और डेमोग्राफिक |
| | | मूल्यांकन और समाजिक अवसरचना टीम से संबंधित आन्तरिक |
| | · | अभ्यर्थी प्लेनिंग की तरफ पदोन्नति के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि |
| | | वे इन्स्ट्रीटूयट आफ्टांउन प्लानर, इंडिया के एससोसीएट इन |
| | | टाउन प्लेनिंग परीक्षा गास कर लें। |
| 10. | परीविक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | केन्द्रीय सरकार के नियमों को ध्यान में रखते हूए सीधी भर्ती के |
| | | माध्यम से नियुक्ति के मामले में दो वर्ष |
| 11. | भर्ती की विधिः क्या सीधी भर्ती द्वारा | विधि: सरकारी कर्मचारी के मामले में चयन के माध्यम से |
| | अथवा पदोत्रति द्वारा अथवा | रथानातरण द्वारा प्रतिनियुक्ति पर अथवा आन्तरिक अभ्यर्थियों के |
| | प्रतिनियुक्ति/स्थनांतरण द्वारा और | मामले में पदोन्नति अथवा खुले बाजार से अभ्यर्थियों के मामले में |
| | विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाली | ठेके पर। |
| | रिक्तियों का प्रतिशत | अवधि: प्रारभ्भ में प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्षों के लिए होगी |
| | । स्थितिया यम प्रातसत | जिसे निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर वर्ष-दर-वर्ष आधार पर |
| | | दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा। |
| | | 1 • |
| <u> </u> | | ठेके पर की गई नियुक्ति प्रारम्भ में तीन वर्षों के लिए होगी |
| | | जिसे निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर वर्ष-दर-वर्ष आधार पर |
| | | दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा। |
| | | मेधावी निष्पादन वाले व्यक्तियों के मामले में, प्रतिनियुक्ति अथवा |
| | | ठेके पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों को, उनकी सहमति से, |
| · . | | बोर्ड उन्हें स्थायी रूप से आमेलन करने का अधिकार सुरक्षित |
| | 1944 - 19 | रखता है। |
| 12. | भर्ती के मामले में | केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र की |
| | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण | सरकारों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपकर्मों अथवा अर्ध-सरकारी |
| | द्वारा ग्रेड जिन से | अथवा स्वात्तय अथवा संविधिक संगठनो में कार्यरत अधिकारी |
| | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातरण | i) मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदधारी: |
| :. : | किया जाना है। | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| | | ii) 10,000-15,200 रूपये अथवा मूल काडर अथवा विभाग |
| | | में समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति |
| | | होने के पश्चात् ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा। |
| 13. | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो | कार्मिक ग्रुप द्वारा चयन और बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन दिए |
| 10. | उसका गठन कैसे किया गया है। | जाने के पश्चात् नियुक्ति की जाएगी। कार्मिक ग्रुप का गठन |
| | ं . | रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड की दिनांक 8.7.1985 की अधिसूचना सं-के |
| | | 14011/13/85-रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड के अनुसार होगा। |
| | | 11114 711714 (1) 2010;10:17:17:00(01 (1:0)+1 |

उप-निदेशक (तकनीकी)

| 1. | पद का नाम | उप-निदेशक (तकनीकी) |
|----------|-----------------------------------|---|
| 2. | पदों की संख्या | दो |
| | | 1. उप-निदेशक (विद्युत) (एक पद) |
| | | 2. उप-निदेशक (जी.आई.एस.) (एक पद) |
| 3. | वर्गीकरण | ग्रुप क |
| 4. | वेतनमान | 10000-325-15200 रू. (5वां के.के.आ.) |
| 5. | क्या चयन पद् अथवा गैर चयन | चयन पद |
| ' | पद है | • |
| 6. | क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का | लागू नहीं |
| 1 | लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन | |
| .3 | नियम), 1972 के नियम 30 के | |
| | अधीन ग्राहय है? | |
| 7. | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | 50 वर्ष से अधिक नहीं |
| 8. | सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अन्य | अनिवार्यः |
| | अर्हताएं | |
| | | उप-निदेशक (विद्युत) |
| | | बी.ई. (विद्युत)/एम-टेक जिसमे कम से कम 55% अंक प्राप्त किए |
| | | गए हों तथा विद्युत से संबंधित अवसंरचना परियोजनाओं की |
| ĺ | | योजना बनाने, निष्पादन करने और मनीटरिंग में 7 वर्ष का |
| | | अनुभव। |
| | en de la Maria de Arguna | वरीयाताः विद्युतं इंजिनीयरिंग में विशेषज्ञता प्राप्त अभ्यर्थियों को |
| | | वरीयता प्रदान की जाएगी। |
| | | |
| | | उप-निदेशक (जी.आई.एस.) : (सिविल)/एम.ए.(भूगोल)/बी.आर्क/ |
| | | प्लेनिंग में स्नातक और जी.आइ.एस. में एम.एस.सी./एम.टेक |
| | | ज़िसमें कम से कम 55% अंक प्राप्त किए गए दो तथा |
| | | परियोजनाओं की योजना बनाने, निष्पादन करने और मनीटरिंग में |
| | | 7 वर्ष का अनुभव। आपदा प्रबन्धन और जी. आई.एस. साफॅटवेअर |
| | | का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को वशीयता प्रदान की |
| ` | | जाएगी। |
| | | वरीयता: रिमोट सेन्सिंग और भूगोलिक सूचना प्रणाली में विशेषङ |
| | | ाता प्राप्त अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाएगी। |
| 9. | क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित | आन्तरिक अभ्यर्थियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी अर्थात् |
| ٠. | आयु और शैक्षिक अहर्ताएं पदोन्नतों | रा.रा.क्षे.यों.बोर्ड के कर्मचारी जो अन्य प्रकार से पद के लिए याग्य |
| | के मामले में लागू होगी। | होंगे। |
| | • | परियोजना विकास, मूल्यांकन और प्रबंधन टीम और डेमोग्राफिक |
| | | मूल्यांकन और समाजिक अवसंरचना टीम से संबंधित आन्तरिक |
| | | अभ्यर्थी प्लेनिंग की तरफ पदोन्नति के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि वे |
| | | इन्स्ट्रीटूयट आफ टाउन प्लानर, इंडिया के एसोसीएट इन टाउन |
| | | प्लेनिंग परीक्षा पास कर लें। |
| ; | | |
| 10. | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई | केन्द्रीय सरकार के नियमों की शर्तों को ध्यान में रखते हूए सीधी |
| . ' . | हो । | भर्ती के माध्यम से नियुक्ति के मामले में दो वर्ष |
| | | |
| | <u></u> | |

| | 11. | भर्ती की विधिः क्या सीधी भर्ती | विधि: सरकारी कर्मचारी के मामले में चयन के माध्यम से |
|---|---------|------------------------------------|---|
| | | द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा | स्थानातरण द्वारा प्रतिनियुक्ति पर अथवा आन्तरिक अभ्यर्थियों के |
| | | प्रतिनियुक्ति/स्थनांतरण द्वारा और | मामले में पदोन्नति अथवा खुले बाजार से अभ्यर्थियों के मामले में |
| | | विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने | ठेके पर। |
| | | वाली रिक्तियों का प्रतिशत | अवधि: प्रारम्भ में प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्षों के लिए होगी । |
| | | | जिसे निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर वर्ष-दर-वर्ष आधार पर दो |
| - | | | वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा। |
| | | e i Tomania i | |
| - | | | ठेके पर की गई नियुक्ति प्रारभ्भ में तीन वर्षों के लिए होगी जिसे |
| | | | निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर वर्ष-दर-वर्ष आधार पर दो वर्षों |
| | | | के लिए बढ़ाया जा सकेगा। |
| 1 | | | |
| | | | मेधावी निष्पादन वाले व्यक्तियों के मामले में, प्रतिनियुक्ति अथवा |
| | | | ठेके पर नियुक्ति किए गए व्यक्तियों को, उनकी सहमति से, बोर्ड |
| | | | उन्हें स्थायी रूप से आमेलन करने का अधिकार सुरक्षित रखता |
| | | | 8 1 |
| | 12. | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण, | केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र की |
| | | के मामले में, ग्रेड जिन से | सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपकर्मों/अर्ध-सरकारी/स्वात्तय अथवा |
| 1 | <i></i> | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातरण | संविधिक संगठनो में कार्यरत अधिकारी |
| | | किया जाना है। | |
| | : | | (i) मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदधारी |
| İ | | | (ii) मूल काडर अथवा विभाग में 8000-13500 रूपये अथवा |
| | | | समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति होने के |
| | | ` | पश्चात् ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा । |
| 1 | 13. | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है | रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड की दिनांक 8.7.1985 की अधिसूचना सं.के |
| Ì | | तो उसका गठन कैसे किया गया | 14011/13/85-रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड, के अनुसार चयन समिति की |
| | | है। कि कि | िसिफारिशों के आधार पर सदस्य सचिव द्वारा चयन किया जाएगा। |
| | | | |

सहायक निदेशक (तकनीकी)

| 1. | पद का नाम | सहायक निदेशक (तकनीकी) |
|-----|--|--|
| 2. | पदों की संख्या | पांच |
| .11 | | सहायक निदेशक (आवास) (एक पद) सहायक निदेशक (पर्यावरण योजना) (एक पद) सहायक निदेशक (परिवहन/यातायात इंजिनीयरिंग) (एक पद) सहायक निदेशक (समाज विज्ञान) (एक पद) सहायक निदेशक (अर्थशास्त्र) (एक पद) |
| 3. | वर्गीकरण | ग्रुप के |
| 4. | वैतनमान | 8000-275-13500 रूपये (पांचवा के.वे.आ.) |
| 5. | क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है | चयन पद - सीधी भर्ती/पदोन्नति |
| 6. | क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पंशेत | |
| | नियम), 1972 के नियम 30 के अधीन ग्राहय है? | |



| 7. | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | 35 वर्ष से अधिक नहीं |
|-----|--|---|
| 8. | सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अन्य | |
| " | अर्हताएं | |
| | Sievii V | 1. सहायक-निदेशक (आवास) बी. आर्क और मास्टर इन प्लेनिंग जिसमें कम से कम 55% अंक प्राप्त किए गए हैं और योजना बनाने, निष्पादन करने तथा परियोजनाओं के मनिटरिंग करने का दो वर्ष का अनुभव। वरियता: आवास में विशेषज्ञता प्राप्त अभ्यर्थियों को वरियता प्रदान की जाएगी। |
| | | 2. सहायक-निदेशक(पर्यावरण योजना): एम.ए. भूगोल/बी.ई.(सिविल)/बी आर्क और मास्टर इन प्लेनिंग जिसमें कम से कमें 55% अंक प्राप्त किए गए हों और योजना बनाने, निष्पादन करने तथा परियोजनाओं के मनिटरिंग करने का दो वर्ष का अनुभव। विरयता: पर्यावरण प्लेनिंग में विशेषज्ञता प्राप्त अभ्यर्थियों के विरयता प्रदान की जीएगी। |
| | | 3. सहायक निदेशक (परिवहन/यातायात इंजिनियरिंग): बी.ई.(सिविल) और एम.टेक जिसमें कम से कम 55% अंक प्राप्त किए गए हों और योजना बनाने, निष्पादन करने तथा परियोजनाओं के मनिटरिंग करने का दो वर्ष का अनुभव। विरयता: परिवहन अथवा यातायात इंजिनियरिंग में विशेषज्ञता प्राप्त अभ्यर्थियों के विरयता प्रदान की जाएंगी। |
| | | 4. सहायक निदेशक (समाज विज्ञान): अर्थशास्त्र/संमाज विज्ञान/इतिहास/भूगोल में बी.ए. (आनर्स) और मास्टर इन सोशलाजी जिसमें कम से कम 55% अंक प्राप्त किए गए हों और योजना बन्नाने, निष्पादन करने तथा परियोजनाओं के मनिटरिंग करने का दो वर्ष का अनुभव। 5. सहायक निदेशक (अर्थशास्त्र): बी.ए. (आनर्स) तथा अर्थशास्त्र में एम.ए. जिसमें 55% अंक प्राप्त किए गए हों। विरयता: डेमोग्राफी में डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त अभ्यर्थियों को विरयता प्रदान की जाएगी। |
| 9. | क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं पदोन्नतों के मामले में लागू होगी। | प्रदान का जाएगा। आन्तरिक अभ्यर्थियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी अर्थात् रा.रा.क्षे.यों.बोर्ड के कर्मचारी जो अन्य प्रकार से पद के लिए योग्य होंगे । परियोजना विकास मूल्यांकन और प्रबधन टीम और डेमोग्राफिक मूल्यांकन और समाजिक अवसंरचना टीम से संबंधित आन्तरिक अभ्यर्थी प्लेनिंग की तरफ पदोन्नति के लिए पात्र होंगे बशर्तें कि वे इन्स्ट्रीटूयट आफ टाउन प्लानर, इंडिया का एसौसीएट इन टाउन प्लेनिंग परीक्षा पास कर लें । |
| 10. | परीविक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | दो वर्ष |

| 11. | भर्ती की विधिः क्या सीधी भर्ती | सीधी भर्ती |
|-----|-------------------------------------|---|
| | द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा | |
| | प्रतिनियुक्ति/स्थनांतरण द्वारा और | |
| | विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाली | |
| · | रिक्तियों का प्रतिशत | |
| 12. | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण, | : |
| | के मामले में, ग्रेड जिन से | |
| | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातरण | |
| | किया जाना है। | |
| 13. | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है | रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड की दिनांक 8.7.1985 की अधिसूचना संके |
| | तो उसका गठन कैसे किया गया | 14011/13/85-रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड के अनुसार चयन समिति की |
| | है। | सिफारिशों के आधार पर नदस्य सचिव द्वारा चयन किया जाएगा। |

योजना सहायक*

| 1. | पद का नाम | योजना सहायक |
|-----|---------------------------------------|--|
| 2. | पदों की संख्या | एक |
| 3. | वर्गीकरण | प्रुप बी |
| 4. | वेतनमान | 5500-175-9000 रू. (पांचवा के.वे.आ.) |
| 5. | क्या चयन पद अथवा गैर चयन | चयन पद - सीधी भर्ती |
| | पद है | |
| 6. | क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का | लागू नहीं |
| | लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन | |
| | नियम), 1972 के नियम 30 के | |
| | अधीन ग्राहय है? | |
| 7. | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 🦠 | 35 वर्ष से अधिक नहीं |
| 8. | सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और | अनिवार्यः पूर्ण कालिक अवधि का तीन वर्ष का इंजिनीयिरंग |
| | अन्य अर्हताएं | (सिविल) में डिप्लोमा/आर्क्टीक्टचर में डिप्लोमा जिसमें कम-से-कम |
| | | 55% अंक प्राप्त किए गए हो। |
| 1 | | वरियता: जी. आई.एस. शहरी योजना में दो वर्ष का अनुभव और |
| | | जी. आई.एस. साफटवेअर में कार्य साधक ज्ञान। |
| 9. | क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित | आन्तरिक अभ्यर्थियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी अर्थात् |
| | आयु और शैक्षिक अहर्ताएं पदोन्नतों | रा.रा.क्षे.यों.बोर्ड के कर्मचारी जो अन्य प्रकार से पद के लिए योग्य |
| | के मामले में लागू होगी। | होंगे। |
| 10. | परीविक्षा की अवधि, यदि कोई | दो वर्ष |
| | हो। | |
| 11. | भर्ती की विधि : क्या सीधी भर्ती | सीधी भर्ती |
| | द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा | |
| | प्रतिनियुक्ति/स्थनांतरण द्वारा और | |
| | विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने | · |
| | वाली रिक्तियों का प्रतिशत | · Landau A |
| 12. | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण, | आंतरिक अभ्यर्थी जिन्हों ने ए. आई.पी. ई. कर रखा हो अथवा पद |
| | के मामले में, ग्रेड जिन से | के लिए निर्धारित अर्हताएं और अनुभव की शर्ते पूरी करते हैं |
| | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण | योजना से संबंधित किसी पद के लिए भी प्रात्र होंगे। |
| | किया जाना है। | |
| | | |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |

| 13. | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है | रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड की दिनांक 8.7.1985 की अधिसूचना संके |
|-----|-------------------------------|---|
| | तो उसका गठन कैसे किया गया | 14011/13/85-रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड के अनुसार चयन समिति की |
| | है। | सिफारिशों के आधार पर सदस्य सचिव द्वारा चयन किया जाएगा। |

योजना सहायक का पद एक एकाकी पद है यह स्वरूप में तकनीकी है। मूल्यांकन योजना जैसा कि बोर्ड में अन्य तकनीकी अधिकारीयों पर लागू इस पर भी लागू होगी।

ड्राफटस्मेन (सिविल)*

| 1. | पद का नाम | ड्राफटस्मेन (सिविल) |
|----------|---------------------------------------|---|
| 2. | पदों की संख्या | एक . |
| 3. | वर्गीकरण | ग्रुप सी |
| 4. | वेतनमान | 4000-100-6000 रु. (पांचवा के.वे.आ.) |
| 5. | क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है | चयन पद - सीधी भर्ती |
| 6. | क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ | |
| | केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन नियम), | |
| | 1972 के नियम 30 के अधीन ग्राहय | |
| | ह ै? | |
| 7. | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | 35 वर्ष से अधिक नहीं |
| 8. | सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य | ड्रांईग/ट्रेसिंग अथवा इससे संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष की अवधि |
| | अर्हताएं | का आई. टी. आई. से प्रमाण पत्र अथवा समतुल्य। |
| 9. | क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु | आन्तरिक अभ्यर्थियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी |
| · · | और शैक्षिक अहर्ताएं पदोन्नतों के | अर्थात् रा.रा.क्षे.यों.बोर्ड के कर्मचारी जो अन्य प्रकार से पद क |
| | मामले में लागू होगी। | लिए येएय होंगे। |
| 10. | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | दो वर्ष |
| 11. | भर्ती की विधिः क्या सीधी भर्ती द्वारा | सीधी भर्ती के आधार पर |
| | अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा | |
| | प्रतिनियुक्ति/स्थनांतरण द्वारा और | |
| | विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाली | |
| | रिक्तियों का प्रतिशत | |
| 12. | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण, के | |
| | मामले में, ग्रेड जिन से | |
| | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातरण किया | |
| <u>.</u> | जाना है। | |
| 13. | | रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड की दिनांक 8.7.1985 की अधिसूचना सं |
| | उसका गठन कैसे किया गया है। | के14011/13/85-रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड के अनुसार चयन |
| | | समिति की सिफारिशों के आधार पर सदस्य सचिव द्वारा |
| | | चयन किया जाएगा। |

^{*} योजना सहायक का पद एक एकाकी पद है और यह स्वरूप में तकनीकी है। मूल्यांकन योजना जैसा कि बोर्ड में अन्य तकनीकी अधिकारीयों पर लागू इस पर भी लागू होगी।



निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

| 1. | पद का नाम | निदेशक (प्रशा. एवं वित्त) |
|-----|--|---|
| 2. | पदों की संख्या | एक |
| 3. | वर्गीकरण | ग्रुप क |
| 4. | वेतनमान | 14300-400-18300रू. (पांचवा के.वे.आ.) |
| 5 | क्या चयन पद अधवा गैर चयन पद है | प्रतिनियुक्ति आरम्भ में चार वर्षों के लिए जिसे एक वर्ष |
| | | और बढ़ाया जा सकता है। |
| 6. | क्यां सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ | |
| ! | केन्द्रीय सिविल सेवाँ (पेंशन नियम), 1972 | |
| İ | के नियम 30 के अधीन ग्राह्य है? | * |
| 7. | प्रतिनियुक्ति के लिए आयु सोमा | 50 वर्ष से अधिक नहीं |
| 8. | सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य | वित्तीय प्रबन्धन में एम.बी.ए. अथवा चर्टेंड एक्।उटेंट अथवा |
| ĺ | अर्हताए | आई.सी.डब्लू.ए. |
| | | (सिविल सेवाओं (आई.ए.एस.: केन्द्रीय सेवाए ग्रुप ए) के |
| | | अधिकारियों के मामले में उपर्युक्त अर्हताए वांछनीय अर्हता |
| | | होगी। |
| 9 | क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और | लागू नहीं |
| | शैक्षिक अहर्ताएं पदोन्नतों के मामले में लागू | |
| | होगी। | |
| | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | लागू नहीं |
| 11. | | प्रतिनियुक्ति |
| | पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थनांतरण | केन्द्रीय स्टिफिंग पैटर्न के आधार पर भरने के लिए इसकी |
| | द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने | सूचना प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से कार्मिक और |
| | वाली रिक्तियों का प्रतिशत | शिक्षण विभाग को दी जाएगी। ऐसा न होने पर वर्तमान |
| | | कार्यविधि के अनुसार विज्ञापन दिया जाएगा। |
| 12. | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातरण, के मामले | भर्ती प्रतिनुयक्ति के आधार पर उन अधिकारियों में से की |
| | में, ग्रेड ज़िन से | जाएगी जो अखिल भारतीय सेवाए, केन्द्रीय सेवा ग्रुप ए |
| | पदोन्नति/प्रतिनियुवित/स्थानातंरण किया | इसी प्रकार के पद पर कार्यरत हो और 12000-16500 |
| | जाना है। | क. के वेतनमान में ग्रुप ए अथवा 10000-15200 क. |
| | | तथा 12000-16500 रू. के वेतनमानों में कुल 9 वर्ष |
| | • . | की सेवा का वित्त के क्षेत्र, बजट के माध्यम और |
| | | अतिरिक्त बजट के संसाधनों के माध्यम से संसाधन |
| 10 | | जुटाने, बाँड और अन्य ऋण दस्तावेजों को अनुभव हो। |
| 13. | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका | कार्मिक ग्रुप द्वारा चयन किया जाएगा और नियुक्ति, बोर्ड |
| | गठन कैसे किया गया है। | के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन प्रदान किए जाने के पश्चात की |
| | | जाएगी। कार्मिक ग्रुप का गठन रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड की |
| | | अधिसूचना संके14011/13/85-रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड |
| | , | दिनांक 8.7.1985 के अनुसार किया जाएगा। |

संयुक्त निदेशक (परियोजना मनिटरिंग सेल)

| 1. | पद का नामं | संयुक्त निदेशक (परियोजना मनिटरिंग सेल) |
|-----|---------------------------------------|--|
| 2. | पदों की संख्या | एक |
| 3. | वर्गीकरण | ग्रुप ए |
| 4. | वेतनमान | 12000-375-16500रू. (पांचवा के.वे.आ.) |
| | | /संविदा आबंध के लिए 28380-38573 रू. के बीच समेंकित |
| | ·- | पारिश्रमिक |
| 5. | क्या चयन पद अथका गैर चयन पद | , |
| | | संविधा के माध्यम से चयन। |
| 6. | क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ | लागू नहीं |
| | केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन नियम), | |
| | 1972 के नियम 30 के अधीन ग्राहय | |
| | है? | |
| 7. | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | 1. प्रतिनियुक्ति के लिए - 50 वर्ष से अधिक नहीं |
| | | 2. संविदा आबंध के लिए - 45 वर्ष से अधिक नहीं |
| | 00 8 1 0 10 1 | |
| 8. | सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य | अनिवार्यः बी.ई. (सिविल) जिसमें कम से कम 55% अंक प्राप्त |
| | अर्हताएं | किए गए हो और एम.बी.ए. तथा परियोजना विकास, में उसे |
| | | तैयार करने और विभिन्न प्रकार की अवसंरचना परियोजनाओं के |
| | | प्रबंधन में 9 वर्ष का अनुभव। |
| | | वरीयताः कास्ट और वर्क्स एकाउन्टेन्सी में स्नात्तक अथवा |
| | | एम.बी.ए. (वित्त) वाले अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाएगी। |
| 9. | क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित | आन्तरिक अभ्यर्थियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी अर्थात् |
| J. | आयु और शैक्षिक अहर्ताएं पदोन्नतों के | रा.रा.क्षे.यों.बोर्ड के कर्मचारी जो अन्य प्रकार से पद के लिए |
| | मामले में लागू होगी। | योग्य होंगे। |
| | | परियोजना विकास मूल्यांकन और प्रबंधन टीम के आन्तरिक |
| | | अभ्यर्थी प्लेनिंग की ओर पद्मोन्नति के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि वे |
| | | इन्स्ट्रीटयूट ऑफ टाउन प्लानर्स, एसोसिएट इन टाउन प्लेनिंग, |
| | | भारत परीक्षा को पास करें। |
| 10. | परीविक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | सीधी भर्ती के तरीके के माध्यम से नियक्ति के मामले में दो वर्ष |
| | | बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार के नियमों की शर्ते पूरी होती हों। |
| | | |
| 11. | भर्ती की विधि: क्या सीधी भर्ती द्वारा | विधि: सरकारी कर्मचारी के मामले में प्रतिनियुक्ति के आधार पर |
| | अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा | स्थानांतरण के माध्यम से चयन अथवा आन्तरिक अभ्यर्थियों के |
| | प्रतिनियुक्ति/स्थनांतरण द्वारा और | मामले में पदोन्नति अथवा खुले बाजार से अभ्यर्थियों के मामले में |
| | विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाली | संविदा के आधार पर । |
| | रिक्तियों का प्रतिशत | अवधि: प्रारम्भ में प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्षों के लिए होगी |
| | | जिसे निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर वर्ष-दर-वर्ष आधार पर |
| | | दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा। |
| | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| | | देके पर की गई नियुक्ति प्रारम्भ में तीन वर्षों के लिए होगी |
| | | जिसे निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर वर्ष-दर-वर्ष आधार पर दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा। |
| | | या प्रया प्राप्त बढ़ाया जा राक्या। |
| | | |

()

| | | मेधावी निष्पादन वाले व्यक्तियों के मामले में, प्रेतिनियुक्ति अथवा |
|-----|--------------------------------------|---|
| | | ठेके पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों को, उनैकी सहमति से, |
| | ٠. | बोर्ड उन्हें स्थायी रूप से आमेलन करने का अधिकार सुरक्षित |
| | , | रखता है। |
| 12. | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातरण, के | i) भारत सरकार अथवा राज्य/स्वयत् निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र |
| | 'मामले में, ग्रेंड जिन से | उपक्रमों/संवियिक निकार्यों/सार्वजनिक क्षेत्र की |
| | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातरण | कम्पनियों/आंशिक/पूरी तरह से केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा |
| | किया जाना है। ∸ | वित्तपोषित संस्थाओं से 10000-15200 रूपये के वेतनमान में |
| | | कम से कम 4 वर्षों अथवा 8000-13500 रूपये के और |
| | | 10000-15200 रू. के वेतनमान में समेकित 9 वर्ष का |
| | | अनुभव वाले तथा अवसंरचना परियोजनाओं के मूल्यांकन |
| | | निष्पादन और मनीटरिंगै वाले व्यक्तियों से प्रतिनियुक्ति पर। |
| | | |
| | | ii) खुले बाजार से संविदा पर नियुक्त किए गये व्यक्तियों के |
| | | लिए-उपर क्रम सं 8 में उल्लिखित अनिवार्य अर्हताओं के |
| | | अतिरिक्त अभ्यर्थी को किसी निजि क्षेत्र कम्पनी/रजिस्टर्ड |
| | | सोसाइटी/प्रसिद्ध न्यास/प्रसिद्ध फर्म में कम से कम 9 वर्षों का |
| | | वास्तविक अथवा समाजिक अवसंरचना परियोजनओं के |
| | | मूल्यांकन परियोजनाओं के मूल्यांकन का अनुभव प्राप्त होना |
| | | चाहिए। |
| 13. | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो | कार्मिक ग्रुप द्वारा चयन और बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन |
| | उसका गठन कैसे किया गया है। | प्रदान किए जाने के पश्चात् नियुक्ति की जाएगी। कार्मिक ग्रुप |
| | | का गठन रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड की अधिसूचना सं.के |
| | | 14011/13/85-रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड की दिनांक 8.7.1985 के |
| | | अनुसार किया जाएगा। |

संयुक्त निदेशक (वित्त)

| 1. | पद का नाम | संयुक्त निदेशक (वित्त) |
|----|---|---|
| 2. | पदों की संख्या | एक |
| 3. | वर्गीकरण | ग्रुप ए |
| 4. | वेतनमान | 12000-375-16500रू. (पांचवा के.वे.आ.) |
| | | /संविदा आबंध के लिए 28380-38573 रू. के बीच समेंकित |
| | | पारिश्रमिक |
| 5. | क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद | |
| | है | संविदा के माध्यम से चयन। |
| 6. | क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ | लागू नहीं |
| + | केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन नियम), | |
| | 1972 के नियम 30 के अधीन ग्राहय | |
| | है? | |
| 7. | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | i) प्रतिनियुक्ति के लिए - 50 वर्ष से अधिक नहीं |
| | | ii) संविदा आबंध के लिए - 45 वर्ष से अधिक नहीं |
| 8. | सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य | अनिवार्य : एम.बी.ए. (वित्त)/सीए/आईसीडब्ल्यूए अथवा समतुल्य |
| | अर्हताएं | जिसे भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो तथा अभ्यर्थी |
| | e de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de | ने 55% अंक प्राप्त किए गए हों और अवसंरचना परियोजनाओं |
| | | के मूल्याकंन में 9 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो। |

| | | [सिविल सेवाओं (आई.ए.एस. केन्द्रीय सेवाए ग्रुप क) के अधिकारियों के मामले में उपर्युक्त अर्हताए केवल वाछनीय होगी]। |
|-----|--|---|
| | • | वरीयताः अभ्र्य्थी को पूंजी बाजार से संसाधन जुटाने और परियोजनाओं के मनीटरिंग करने और वित्तीय मूल्यांकन के क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए । अभ्यर्थी को सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित |
| | - | लेखा-जोखा और लेखा परीक्षा जो भारत के महा-लेखा परीक्षक की आवश्यकता के अनुसार हो, का ज्ञान होना चाहिए। |
| 9. | क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं पदोन्नतों के मामले में लागू होगी। | आन्तरिक अभ्यर्थियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी अर्थात् रा.रा.क्षे.यों.बोर्ड के कर्मचारी जो अन्य प्रकार से पद के लिए योग्य होंगे। |
| 10. | परीविक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | सीधी भर्ती के तरीके के माध्यम से नियक्ति के मामले में दो वर्ष बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार के नियमों की शर्ते पूरी होती हों। |
| 11. | भर्ती की विधिः क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नित द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थनांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | विधि: सरकारी कर्मचारी के मामले में प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्थानांतरण के माध्यम से चयन अथवा आन्तरिक अभ्यर्थियों के मामले में पदोन्नति अथवा खुले बाजार से अभ्यर्थियों के मामले में संविदा के आधार पर । अविध: प्रारम्भ में प्रतिनियुक्ति की अविध तीन वर्षों के लिए होगी जिसे निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर वर्ष-दर-वर्ष आधार पर दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा। |
| | | ठेके पर की गई नियुक्ति प्रारभ्भ में तीन वर्षों के लिए होगी जिसे निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर वर्ष-दर-वर्ष आधार पर दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा। |
| | | मेधावी निष्पादन वाले व्यक्तियों के मामले में, प्रतिनियुक्ति अथवा ठेके पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों को, उनकी सहमति से, बोर्ड उन्हें स्थायी रूप से आमेलन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। |
| 12. | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण, के मामले में, ग्रेड जिन से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण किया जाना है। | i) भारत सरकार अथवा राज्य/स्वयत् निकायों/सार्वजानेक क्षेत्र उपक्रमों/संवियिक निकार्यों/सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों/आंशिक/पूरी तरह से केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं से 10000-15200 रूपये के वेतनमान में कम से कम 4 वर्षों अथवा 8000-13500 रूपये के और 10000-15200 रू. के वेतनमान में समेकित 9 वर्ष का अनुभव वाले तथा अवसंरचना परियोजनाओं के मूल्यांकन निष्पादन और मनीटरिंग वाले व्यक्तियों से प्रतिनियुक्ति पर। |
| | | ii) खुले बाजार से संविदा पर नियुक्त किए गये व्यक्तियों के लिए-उपर क्रम सं 8 में उल्लिखित अनिवार्य अर्हताओं के अतिरिक्त अभ्यर्थी को किसी निजि क्षेत्र कम्पनी/रजिस्टर्ड सोसाइटी/प्रसिद्ध न्यास/प्रसिद्ध फर्म में कम से कम 9 वर्षी |

| | | का वास्तविक अथवा समाजिक अवसंरचना परियोजनओं के मूल्यांकन परियोजनाओं के मूल्यांकन का अनुभव प्राप्त होना चाहिए। |
|-----|----------------------------------|--|
| 13. | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो | कार्मिक ग्रुप द्वारा चयन और बोर्ड के अघ्यक्ष द्वारा अनुमोदन |
| | उसका गठन कैसे किया गया है। | प्रदान किए जाने के पश्चात् नियुक्ति की जाएगी। कार्मिक ग्रुप |
| | | का गठन रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड की अधिसूचना संके |
| | • | 14011/13/85-रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड की दिनांक 8.7.1985 के |
| | - | अनुसार किया जाएगा। |

वित्त और लेखा अधिकारी

| · | | |
|-------|---|--|
| 1. | पद का नाम | वित्त और लेखा अधिकारी |
| 2. | पदों की संख्या | एक |
| 3. | वर्गीकरण | 1. , |
| 4 | वेतनमान | 10000-325-15200रू. (पांचवा के.वे.आ.) |
| 5. | क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है | चयन सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति |
| 6. | क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ | |
| | केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन नियम), 1972 | |
| | के नियम 30 के अधीन ग्रहय है? | |
| 7. | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | 50 वर्ष से अधिक नहीं |
| 8. | सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य | अनिवार्यः - एम.ए.(आनर्स) अर्थशास्त्र/ |
| | अर्हताएं | एम.काम/एम.बी.ए.(वित्त) अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय |
| | | से वित्त में समतुल्य स्नात्तक तथा 7 वर्ष का अनुभव। |
| 1. | | |
| | | वरीयता: आई.सी.डब्ल्यू.ए./सी.ए. |
| | | |
| | | अनुभवः केन्द्रीय/राज्य सरकार संगढन अथवा सार्वजानिक |
| | | क्षेत्र उपक्रम के अधिकारी जिन्हें 8000-13500 रू. अथवा |
| - | | समतुल्य के वेतन मान में मूल काडर में तीन वर्ष का |
| | | अनुभव हो अथवा वे अपेक्षित अर्हता पूरी करते हो भी आवेदन करने का पात्र होंगे। |
| | | आन्तरिक अभ्यर्थी जो सहायक निदेशक/ सहायक लेखा |
| 9 | क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हर्ताएं पदोन्नतों के मामले में लागू | अधिकारी के पद पर आसीन हैं और 8 वर्ष का अनुभव |
| | शक्षिक अहताए पदात्रता के मामल में लागू होगी। | प्राप्त है इस पद पर आवेदन करने का पात्र होंगे और |
| | हावा । | उनके मामले में आयु और अर्हता की कोई सीमा लागू नही |
| | | होगी। |
| 10. | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष |
| 11. | भर्ती की विधि क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा | सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति पर आरम्भ में तीन वर्षों की अवधि |
| ' ' ' | पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थनांतरण | के लिए जिसे दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। |
| | द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने | |
| | वाली रिक्तियों का प्रतिशत | |
| 12. | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण, के मामले | |
| | में, ग्रेंड जिन से | |
| | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातरण किया | |
| | जाना है। | |
| | : · | |
| | | |

| 13. | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका | रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड की दिनांक 8.7.1985 की अधिसूचना |
|-----|---------------------------------------|--|
| | गठन कैसे किया गया है। | संके14011/13/85-रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड के अनुसार |
| | | चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर सदस्य सचिव |
| | | द्वारा चयन किया जाएगा। |

उप-निदेशक (प्रशा.)

| ٦. | पद का नाम | उप-निदेशक (प्रशासन) |
|-----|---|--|
| 2. | पदों की संख्या | एक |
| 3. | वर्गीकरण | |
| 4: | वेतनमान | 10000-325-15200क. (पांचवा के.वे.आ.) |
| 5. | क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है | चयन सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति |
| 6. | क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ | |
| 1. | केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन नियम), 1972 | |
| | के नियम 30 के अधीन ग्राहय है? | |
| 7. | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | 50 वर्ष से अधिक नहीं |
| 8. | सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य | अनिवार्य: समाज विज्ञान अथवा किसी अन्य विषय में |
| | अर्हताएं | रनातकोत्तर और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से |
| | | कार्मिक प्रबंधन/एच आर.डी. में स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा |
| | | मानव संसाधन विकास/प्रशासन में 7 वर्ष का अनुभव। |
| | | |
| | | वरीयता : एम.बी.ए. (कार्मिक प्रबंधन) |
| | • | |
| | · | अनुभवः केन्द्रीय/राज्य सरकार संगठन अथवा सार्वजानिक |
| , , | | क्षेत्र उपक्रम के अधिकारी जिन्हें 8000-13500 रू. अथवा |
| | | समतुल्य के वेतन मान में मूल काडर में तीन वर्ष का |
| | | अनुभव है अथवा वे अपेक्षित अर्हता पूरी करते हो भी |
| | 0,000 | आवेदन करने का पात्र होंगे। |
| 9. | क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और | आन्तरिक अभ्यर्थी जो सहायक निदेशक/ सहायक लेखा |
| | शैक्षिक अहर्ताएं पदोन्नतों के मामले में लागू | अधिकारी के पद पर आसीन हैं और 8 वर्ष का अनुभव |
| | होगी। | प्राप्त है इस पद पर आवेदन करने का पात्र होंगे और |
| | | उनके मामले में आयु और अर्हता की कोई सीमा लागू नही होगी। |
| 10 | मिक्स में अपनि मेर्न मेर्न मेर्न | रीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष |
| 11. | परीविक्षा की अवधि, यदि कोई हो। भर्ती की विधिः क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा | सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति आरम्भ में तीन वर्षों की अवधि के |
| ' ' | भता का विद्या क्या साथा मता द्वारा अथवा प्रवोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थनांतरण | लिए जिसे दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। |
| | द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने | ालर । अस पा पमा पमा पा अकृति। आ सम्मा है। |
| | वाली रिक्तियों का प्रतिशत | |
| 12. | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण, के मामले | |
| ۱۵۰ | में, ग्रेड जिन से | |
| | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण किया | |
| | जाना है। | |
| 13. | ब्रदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका | रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड की दिनांक 8.7.1985 की अधिसूचना |
| | गठन फैसे किया गया है। | संके14011/13/85-रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड के अनुसार |
| | | चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर सदस्य सचिव |
| ~ | | द्वारा चयन किया जाएगा। |
| | | |

सहायक निदेशक (प्रशासन/स्थापना)

| 1. | पद का नाम | सहायक निदेशक (प्रशासन/स्थापना) |
|----------|--|---|
| 2. | पदों की संख्या | र्दो . |
| 3. | वर्गीकरण | ग्रुप बी |
| 4. | वेतनमान | 6500-200-10500रू. (पांचवा के.वे.आ.) |
| 5. | क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है | पदोन्नति के लिए गैर चयनित |
| | | आन्तरिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए चयन पद |
| 6. | क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ | लागू नहीं |
| | केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन नियम), 1972 | |
| | के नियम 30 के अधींने ग्राहय है? | |
| 7. | सीधी भूती के लिए आयु सीमा | आयु की कोई सीमा नहीं |
| 8. | सीधी भर्ती के लिए और शैक्षिक अन्य | |
| | अर्हताएं | |
| 9. | क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और | आन्तरिक अभ्यर्थियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी |
| | शैक्षिक अहर्ताएं पदोन्नतों के मामले में लागू | अर्थात् रा रा क्षे यो बोर्ड के कर्मचारी जी अन्यथा पद के लिए |
| <u> </u> | होगी। | अर्हता प्राप्त उम्मीदवार है। |
| 10. | परीविक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | |
| 11. | भर्ती की विधिः क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा | i) 50% सहायक ग्रेड-I, लेखा सहायक और आशुलिपिक |
| | पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थनांतरण | ग्रेड ग जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष की अनुमोदित सेवा |
| | द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने | की हो से विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा/परीक्षा |
| | वाली रिक्तियों का प्रतिशत | हिन्दी और अंग्रेजी में नोटिंग ड्राफटिंग तथा नियमों |
| | | और विनियमों के संबंध में आयोजित की जाएगी। |
| | | ii) 50% सहायक ग्रेड-I/लेखा सहायक जिन्होंने कम से |
| | | कम 8 वर्ष की अनुमोदित सेवा की हो और साक्षात्कार |
| | | के आधार पर चयन समिति की सिफारिशों पर पदोन्नति |
| | | के द्वारा भरी जाएगी। |
| 12. | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण, के मामले | सहायक ग्रेड-।/लेखा सहायक जिन्होंने कम से कम 8 वर्ष |
| | में, ग्रेड जिन से | की अनुमोदित सेवा पूरी कर ली हो से पदोन्नति द्वारा। |
| | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातरण किया | |
| | जाना है। | 6500-200-10500 रूपये के वेतनमान में चार वर्ष की |
| | | अनुमोदित सेवा पूरी करने के पश्चात् 8000-275-13500 |
| | | रूपये के गैर-प्रकार्यत्मक वेतनमान के लिए पात्र बशर्त कि |
| | | सतर्कता अनापत्ति प्राप्त कर ली गई हो। वे कार्मिक लोक |
| | | शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग |
| | · | के आदेश सं.21/36/03 सी.एस। दिनांक 13.11.2003 |
| | | (प्रतिलिपि अनुबंध सी पर संलग्न) के अनुसार ग्रुप बी ही |
| | | रहेंगे। इसे दिनांक 3.3.1986 की अधिसूचना सं सी |
| | | 11031/1/86- रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड के द्वारा अधिकारियों और |
| | | कर्मचारियों का वेतन और भत्तें शीर्ष के अधीन विनियम 3 के |
| | | तहत ए रा रा क्षे यो बोर्ड विनियम, 1986 के अनुसरण में |
| | | अंगीकर किया गया है। बोर्ड के अधिकारियों और |
| | | कर्मचारियों का, मकान किराया भत्ता को छोड़कर केन्द्रीय |
| | | सरकार के उसी स्तर के कर्मचारियों के लिए निर्धारित सभी |
| | <u> </u> | अन्य भत्तों के समान होंगे। (प्रतिलिपि अनुबंध-डी पर) |

| 13. | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका | रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड की दिनांक 8.7.1985 की अधिसूचना सं |
|-----|---------------------------------------|---|
| | गठन कैसे किया गया है। | के14011/13/85-रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड के अनुसार चयन |
| | | समिति की सिफारिशों के आधार पर सदस्य सचिव द्वारा |
| | , | चयन किया जाएगा। |

सहायक-निदेशक (वित्त)

| | å, |
|--|--|
| 4. वेतनमान 6500-2 | à, |
| | |
| | 00-10500रू. (पांचवा के.वे.आ.) |
| 5. क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है पदोन्नति | के लिए भैर-चयनित |
| विभागीय | प्रतियोगिता परीक्षा के लिए चयन पद |
| 6. क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ लागू नहीं | |
| केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन नियम), | |
| 1972 के अधीन ग्रहय है? | |
| | कोई सीमा नहीं |
| 8. सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य | |
| अर्हताएं | |
| | न अभ्यर्थी के लिए कोई आयु सीमा नहीं है अर्थात् |
| | यो.बोर्ड के कर्मचारियों के लिए जो अन्यथा पद के |
| | ता प्राप्त उम्मीदवार है। |
| 10. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | |
| | % सहायक ग्रेड-।, लेखा सहायक और |
| | शुलिपिक ग्रेड ग जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष की |
| | मोदित सेवा की हो से विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा |
| 1 1 1 1 . | द्वारा/परीक्षा हिन्दी और अंग्रेजी में नोटिग ड्राफटिंग |
| 1 1 1 | ा नियमों और विनियमों के संबंध में आयोजित की |
| ्रा | एगी। |
| ii) 50 | 0/ |
| 1. 1 | % सहायक ग्रेड-।/लेखा सहायक जिन्होंने कम से |
| | । 8 वर्ष (4 वर्ष प्रशासन में और 4 वर्ष लेखा प्रभाग की अनुमोदित सेवा की हो और साक्षात्कार के |
| | यार पर चयन समिति की सिफारिशों पर पदोन्नति |
| | द्वारा भरी जाएगी। |
| l i | ग्रेड-।/लेखा सहायक जिन्होंने कम से कम 8 वर्ष |
| | वित सेवा पूरी कर ली हो से पदोन्नति द्वारा। |
| | 00-10500 रूपये के वेतनमान में चार वर्ष की |
| | त सेवा पूरी करने के पश्चात् 8000-275-13500 |
| | गैर-प्रकार्यत्मक वेतनमान के लिए पात्र बशर्त कि |
| | अनापत्ति प्राप्त कर ली गई हो। वे कार्मिक लोक |
|) ·) · | और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग |
| | र सं.21/36/03 सी.एस। दिनांक 13.11.2003 |
| | अनुबंध सी पर संलग्न) के अनुसार ग्रुप बी ही |
| | इसे दिनांक 3.3.1986 की अधिसूचना सं सी |
| | 1/86- रा.रा.क्षे.यो बोर्ड के द्वारा अधिकारियों और |

| | | कर्मचारियों का वेतन और भत्तें शीर्ष के अधीन विनियम 3 के तहत ए रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड विनियम, 1986 के अनुसरण में अंगीकर किया गया है। बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों का, मकान किराया भत्ता को छोड़कर केन्द्रीय सरकार के उसी स्तर के कर्मचारियों के लिए निर्धारित सभी |
|-----|----------------------------|---|
| | • | अन्य भत्तों के समान होंगे। (प्रतिलिपि अनुबंध-डी पर) |
| 13. | l . | रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड की दिनांक 8.7.1985 की अधिसूचना |
| | उसका गठन कैसे किया गया है। | संके14011/13/85-रा.रा.क्षे.यो बोर्ड के अनुसार चयन |
| | | समिति की सिफारिशों के आधार पर सदस्य सचिव द्वारा चयन किया जाएगा। |

निजी सचिव

| 1. | पद का नाम | निजी सचिव |
|------|--|--|
| 2. | पदों की संख्या | दो |
| 3. | वर्गीकरण | ग्रुप बी |
| 4. | वेतनमान | 6500-200-10500रू. (पांचवा के.वे.आ.) |
| 5. | क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है | पदोन्नति के लिए गैर-चयनित |
| · . | | विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए चयन पद |
| 6. | क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ | |
| | केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन नियम), | |
| | 1972 के नियम 30 के अधीन ग्राहय है? | |
| 7. | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | लागू नहीं |
| 8.4 | सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य | लागू नहीं |
| | अर्हताएं | |
| 9. | क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु | आन्तरिक अभ्यर्थी के लिए कोई आयु सीमा नहीं है अर्थात् |
| | और शैक्षिक अहर्ताएं पदोन्नतों के मामले में | रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड के कर्मचारी जो अन्यथा पद के 'लिए अर्हता |
| | लागू होगी। | प्राप्त उम्मीदवार है। |
| 10. | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | |
| 11. | भर्ती की विधिः क्या सीधी भर्ती द्वारा | (i) 50% केन्द्रीय आशुलिपिक सेवा (भारत सरकार) के पैटर्न |
| | अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा | पर आशुलिपिक ग्रेंड ग के कर्मचारियों जिन्होंने कम से |
| | प्रतिनियुक्ति/स्थनांतरण द्वारा और विभिन्न | कम 5 वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी कर ली हो से |
| | तरीकों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का | विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन |
| | प्रतिशत | |
| | | (ii) 50% आशुलिपिक ग्रेड सी के कर्मचारियों से, जिन्होंने |
| | | वरीष्ठता के आधार पर कम से कम 8 वर्ष की सेवा पूरी |
| | | कर ली हो विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा गैर चयन तरीके से, बशर्ते कि वे आयोग्य न पाए गए हो और |
| | | विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सिफारिश की गई हो। |
| . 10 | पदोन्नति/प्रतिनियक्ति/स्थानातरण, के | आश्रुलिपिक ग्रेड सी के बीच से जिन्होंने कम से कम 8 वर्ष की |
| 12. | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण, के गामले में, ग्रेड जिन से | अनुमोदित सेवा पूरी कर ली हो। |
| | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातरण किया | 6500-200-10500 रूपये के वेतन मान में चार वर्ष की |
| | जाना है। | अनुमोदित सेवा पूरी कर लेने के पश्चात 8000-275-13500 |
| | AII 11 61 | रूपये के गैर प्रक्रियात्मक वेतनमान के लिए पात्र वशर्ते कि |
| | | - संतर्कता अनापत्ति प्राप्त कर ली गई हो। वे, दिनांक |
| | | 24.6.2005 के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन (कार्मिक |
| | | |

| • | | और प्रशिक्षण के आदेश सं.10/3/2004-सी.एस॥ (भाग-॥) के अनुसार ग्रुप बी में ही रहेंगे (प्रतिलिपि अनुबंध-ई पर लगी है)। इसे दिनांक 3.3.1986 की अधिसूचना सं सी11031/1/86-रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड के द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन और भत्तें शीर्ष के अधीन विनियम 3 के तहत ए रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड विनियम, 1986 के अनुसरण में अंगीकर किया गया है। बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों का, मकान किराया भत्ता को छोड़कर केन्द्रीय सरकार के उसी स्तर के कर्मचारियों के लिए निर्धारित सभी अन्य भत्तों के समान होंगे। (प्रतिलिपि अनुबंध-डी |
|-----|----------------------------------|---|
| 13. | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो | पर)। रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड की दिनांक 8.7.1985 की अधिसूचना संके |
| 10. | उसका गठन कैसे किया गया है। | 14011/13/85 स्याराक्षेत्रयो के अनुसार चयन समिति की सिफारिशों के अधार पर सदस्य सचिव द्वारा चयन किया जाएगा। |

लेखा सहायक/सहायक ग्रेड-।

| 1. | पद का नाम | लेखा सहायक /सहायक ग्रेड-। |
|-----|--|--|
| | पदों की संख्या | |
| 2. | | चार |
| 3. | वर्गीकरण | ग्रुप सी |
| 4. | वेतनमान | 5500-175-9000रू. (पांचवा के.वे.आ.) |
| | | जैसा कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू है |
| | | (संन्दर्भ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 31 |
| | | जुलाई 1990 का का.ज्ञा. सं. 2/1/90-सी.एसIV |
| | | प्रतिलिपि अनुबंध-एफ पर है।) इसे दिनांक 3.3.1986 की |
| | | अधिसूचना सं सी11031/1/86- रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड के |
| | | द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन और भत्तें शीर्ष |
| | · | के अधीन विनियम 3 के तहत रा रा क्षे यो बोर्ड विनियम, |
| | | 1986 के अनुसरण में अंगीकर किया गया है। बोर्ड के |
| | | अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, मकान |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | किराया भत्ता को छोड़कर केन्द्रीय सरकार के उसी स्तर के |
| | | कर्मचारियों के लिए निर्धारित वेतन और भत्ते के समान होंगे |
| | | (प्रतिलिपि अनुबंध-डी पर) |
| 5. | क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है | पदोन्नति के लिए गैर-चयनित |
| | | विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए चयन पद |
| 6. | क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ | |
| | केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन नियम), 1972 | |
| | के नियम 30 के अधीन ग्राहय है? | |
| 7. | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | लागू नहीं |
| 8. | सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य | लागू नहीं |
| | अर्हताए | dia idi |
| 9. | | अपनिक अध्याम के दिया कोई अपन मीमा नहीं है अर्थान |
| 9. | क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और | आन्तरिक अभ्यर्थी के लिए कोई आयु सीमा नहीं है अर्थात् |
| | शैक्षिक अहर्ताएं पदीन्नतीं के मामले में लागू | रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड के कर्मचारी जो अन्यथा पद के लिए |
| | होगी। | अर्हता प्राप्त उम्मीदवार होगें। |
| | | |
| 10. | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | |

| 11. | भर्ती की विधिः क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थनांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | i) 50% उन सीमित सहायक ग्रेड-।। और आशुलिपिक ग्रेड-डी कर्मचारियों जिन्होंने तीन वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी कर ली है के विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर पदोन्नति |
|-----|---|---|
| | | ii) 50% सहायक ग्रेड-।। से विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर पदोन्नति द्वारा जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष की गैर चयन आधार पर सेवा पूरी कर ली हो |
| 12. | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण, के मामले | सहायक ग्रेड-।। से, विभागिय पदोन्नति समिति की |
| | में, ग्रेड जिन से | |
| | पदोन्नति/प्रतिनियुक्तिं/स्थानातंरण किया | पांच वर्ष की सेवां पूरी कर ली हो। |
| | जाना है। | • |
| 13. | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका | रा.रा.क्षे.यो.बोर्डू की दिनांक 8.7.1985 की अधिसूचना |
| | गठन कैसे किया गया है। | संके1401 7/13/85-रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड के अनुसार |
| | * 1 | चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर सदस्य सचिव |
| | | द्वारा चयन किया जाएगा। |

हिन्दी अनुवादक

| 1. | पद का नाम | हिन्दी अनुवादक |
|-----------|---|---|
| 2. | पदों की संख्या | एक |
| 3. | वर्गीकरण | ग्रुप सी |
| 4. | वेतनमान | 5500-175-9000रू. (पांचवा के.वे.आ.) |
| | 144 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 | जैसा कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू है (सन्दर्भ गृह |
| | | मंत्रालय राजभाषा विभाग का दिनांक 19 फरवरी 2003 का कार्यालय |
| 12 | | आदेश संएस./13/6/2002/रा.भा. सेवा प्रतिलिपि अनुबंध-जी पर है) |
| 1 1 2 2 2 | | इसे दिनांक 3.3.1986 की अधिसूचना सं सी11031/1/86- |
| 1 4.5 | | रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड के द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन और |
| | A. Charles A. Charles | भत्तें शीर्ष के अधीन विनियम 3 के तहत रा रा क्षे यो बोर्ड विनियम, |
| | | 1986 के अनुसरण में अंगीकर किया गया है। बोर्ड के अधिकारियों |
| | | और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, मकान किराया भत्ता को छोड़कर |
| | January British and State of the Company | केन्द्रीय सरकार के उसी स्तर के कर्मचारीयों के लिए निर्धारित सभी |
| | a for the second | अन्य भत्तो के समान होंगे (प्रतिलिपि अनुबंध-डी पर) |
| 5. | क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है | चयन पद सीधी भर्ती |
| 6. | क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ | लागू नहीं |
| | केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन नियम), | |
| | 1972 के नियम 30 के अधीन ग्राहय | |
| | हे? | |
| 7. | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | 30 वर्ष से अधिक नहीं |
| 8. | सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य | अनिवार्यः किसी मान्यता प्राप्त विश्वद्यिलय से डिग्री स्तर पर |
| | अर्हताएं | इंगलिश/हिन्दी एक अनिवार्य और इलक्टिव विषय के साथ |
| | | अंग्रेजी/हिन्दी में मास्टर डिग्री तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से |
| | | अनुवाद में डिप्लोमा तथा अंग्रेंजी से हिन्दी अथवा हिन्दी से अंग्रेजी में |
| | . Will a state of the state of | दो वर्ष का अनुवाद का अनुभव। |
| | | |
| | | वरीयताः हिन्दी टंकण और हिन्दी साफटवेयर का कार्यसाधक ज्ञान। |

| 9. | क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु | आन्तरिक अभ्यर्थी के लिए कोई आयु सीमा नहीं है अर्थात् |
|-----|--|--|
| | और शैक्षिक अहर्ताएं पदोन्नतों के | रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड के कर्मचारी जो अन्यथा पद के लिए अर्हता प्राप्त |
| | मामले में लागू होगी। | उम्मीदवार होंगे। |
| 10. | परिवीक्षा की अवधि, यदिं कोई हो। | |
| 11. | भर्ती की विधिः क्या सीधी भर्ती द्वारा. | . सीधी भर्ती |
| | अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा | अपेक्षित अर्हता वाले आन्तरिक अभ्यर्थी भी आवेदन पत्र देने के पात्र |
| | प्रतिनिय्क्ति/स्थनांतरण द्वारा और | होंगे। |
| | विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाली | · |
| | रिक्तियों का प्रतिशत | पद के चयन के लिए साक्षात्कार से पहले कौशल परीक्षा का आयोजन |
| | | किया जाएगा। |
| 12. | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरणं, के | |
| | मामले में, ग्रेड जिन से पदोन्नति/ | |
| | प्रतिनियुक्ति/स्थानातरण किया जाना | |
| | है। | • |
| 13. | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो | रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड की दिनांक 8.7.1985 की अधिसूचना संके |
| | उसका गठन कैसे किया गया है। | 140 1/13/85-रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड के अनुसार चयन समिति की |
| | | सिफारिशों के आधार पर सदस्य सचिव द्वारा चयन किया जाएगा। |

आशुलिपिक ग्रेड सी

| 1. | पद का नाम | आशुलिपिक ग्रेड सी |
|-----|--|---|
| 2. | पदों की संख्या | छह |
| 3. | वर्गीकरण | |
| 4. | वेतनमान | 5500-175-9000रू. (पांचवा के.वे.आ.) वेतनमान जैसा |
| | | कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू है (संन्दर्भ |
| | | कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 31 जुलाई |
| | | 1990 का का.ज्ञा. सं. 2/1/90-सी.एसIV प्रतिलिपि |
| , | | अनुबंध-एफ पर है) इसे दिनांक 3.3.1986 की अधिसूचना |
| | · 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | सं. सी11031/1/86- राराक्षे यो बोर्ड के द्वारा |
| | | अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन और भत्तें शीर्ष के |
| | | अधीन विनियम 3 के तहत रा रा क्षे यो बोर्ड विनियम, |
| | | 1986 के अनुसरण में अंगीकर किया गया है। बोर्ड के |
| | Commence of the contract of th | अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, मकान |
| | | किराया भत्ता को छोड़कर केन्द्रीय सरकार के उसी स्तर के |
| | | कर्मचारीयों के लिए निर्धारित सभी अन्य वेतन और भत्तो के |
| | and the second s | समान होंगे (प्रतिलिपि अनुबंध-डी पर) |
| 5 | क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है | विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए चयन पद |
| 6. | क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ | |
| | केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशून नियम), 1972 | |
| , . | के नियम 30 के अधीन ग्राह्य है? | |
| 7. | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | 28 वर्ष से अधिक नहीं |
| 8. | सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य | अनिवार्य: आशुलिपिक में अंग्रेंजी में स्पीड 120 शब्द प्रति |
| | अर्हताएं | मिनट और/टंकण 40 शब्द प्रति मिनट अथवा हिन्दी |
| | | आशुलिपिक में 100 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी टंकण में |
| | | 35 शब्द प्रति मिनट और कम्प्यूटर एपलिकेशन में |
| | | डिप्लोमा। |





| | T | वरीयताः हिन्दी और अंग्रेजी आशुलिपिक और टंकण दोनो |
|---------|--|---|
| | | में अपेक्षित स्पीड वाले अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की |
| | | जाएगी। |
| 9. | क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और | आन्तरिक अभ्यर्थी के लिए कोई आयु सीमा नहीं है अर्थात् |
| 9. | शिक्षिक अहर्ताएं पदोन्नतों के मामले में लागू | |
| | होगी। | अर्हता प्राप्त उम्मीदवार होंगे। |
| 10 | | 3 |
| 10. | •परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | सीधी भर्ती तरीके से की गई नियुक्ति के मामले में दो वर्ष |
| | | बशर्त कि केन्द्रीय सरकार के नियमों का पालन किया गया |
| | | |
| 11. | भर्ती की विधिः क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा | (i) 75% विभागीय आशुलिपिक ग्रेड-ध के कर्मचारियों, |
| | पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थनांतरण | जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो तथा |
| | द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने | वरीष्ठता के आधार तथा योग्य पाए जाने तथा |
| | वाली रिक्तियों का प्रतिशत | विभागीय पदौन्नित समिति की सिफारिशों पर में से |
| | | गैर-चयन तरीके के माध्यम से पदोन्नति। |
| : | | सभी अभ्यर्थियों के लिए कौशल परीक्षा के दौरान |
| | | उपरक्ति क्रेम सं. है में दी गई आशुलिपिक और |
| | _ | टंकण की अंग्रेजी और हिन्दी की अपेक्षित स्पीड |
| | | प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। |
| | | (ii) 25%, कम से कम स्नातक की अर्हता वाले और 28 |
| | | वर्ष से अधिक आयु के न होने वाले तथा 120 शब्द |
| | | प्रति मिनट की स्पीड आशुलिपिक में और 40 शब्द |
| | | प्रति मिनट की स्पीड टंकण में और सामान्य |
| | · | अंग्रेजी/सामान्य ज्ञान और आशुलिपिक/टंकण में |
| | | प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा। |
| | | आन्तरिक अभ्यर्थियों के संबंध में आयु सीमा से छूट |
| | | दी जा सकती है। हिन्दी और अंग्रेजी आशुलिपिक |
| | | और टंकण में अपेक्षित स्पीड रखने वाले अभ्यर्थियों |
| | 1 18 g | को वरीयता प्रदान की जाएगी। |
| | | |
| | | चूँकि आशूलिपिक ग्रेड ग के कर्मचारियों के लिए |
| | | कोई पदोन्नति नहीं है इसलिए वे 12 वर्ष की अवधि |
| | | के पश्चात् कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक |
| | • | 9 अगस्त, 1999 के का ज्ञा. |
| | | सं.35034/97/स्थापना ध की अशुअरड केरियर |
| | | प्रोग्रेशन योजना के अधीन वित्तीय उद्यान के लिए |
| | A red in the | पात्र होंगे। |
| 12. | | आन्तरिक आशुलिपिक ग्रेड घ में से जिन्होंने वरिष्ठता के |
| * | में, ग्रेड जिन से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति | आधार पर 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। |
| | /स्थानातंरण किया जाना है। | |
| 13. | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका | रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड की दिनांक 8.7.1985 की अधिसूचना |
| | गठन कैसे किया गया है। | ्संके14011/13/85-रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड के अनुसार |
| | | चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर सदस्य सचिव |
| | egit y i i i i i i i i i i i i i i i i i i | द्वारा चयन किया जाएगा। |
| السسيسا | | |

सहायक ग्रेड ।। (उ.श्रे.लि.)

| 4 | W "HT | ग्रामक मेर ११/ज को नि \ |
|-----|--|---|
| 1. | पद का नाम | सहायक ग्रेड ।। (उ.श्रे.लि.) |
| 2. | पदों की संख्या | सात |
| 3. | वर्गीकरण | ग्रुप ग |
| 4. | वेतनमान | 4000-100-6000रू. (पांचवा के.वे.आ.) |
| 5. | क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है | चयन पद-सीधी भर्ती |
| 6. | क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ | लागू नहीं |
| | केन्द्रीय सिविल सेंवा (पेंशन नियम), 1972 | |
| | के निमय 30 अधीन ग्राहय है? | * |
| 7. | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | 28 वर्ष से अधिक नहीं |
| 8. | सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य | अनिवार्य: किसी भी विषय में स्नातक तथा 30 शब्द प्रति |
| | अर्हताएं | मिनट अंग्रेजी में 25 शब्द प्रति मिनट हिन्दी टंकण में |
| | | स्पीड और कम्प्यूटर परिचालन का ज्ञान |
| | | वरीयताः उन अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाएगी |
| | | जिनकी हिन्दी/अंग्रेजी दोनों में अच्छी टाइपिंग स्पीड |
| | | होंगे। |
| 9. | क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और | आन्तरिक अभ्यर्थी के लिए कोई आयु सीमा नहीं है |
| | शैक्षिक अहर्ताएं पदोन्नतों के मामले में लागू | अर्थात् रा रा क्षे यो बोर्ड के कर्मचारी जो अन्यथा पद के |
| | होगी। | लिए अर्हता प्राप्त उम्मीदवार है। |
| 10. | परीविक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | |
| 11. | भर्ती की विधि: क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा | सीधी भर्ती द्वारा |
| | पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थनांतरण | |
| Ìi | द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने | : |
| | वाली रिक्तियों का प्रतिशत | |
| 12. | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण, के मामले | ` |
| | में. ग्रेंड जिन से | |
| | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण किया | |
| . | जाना है। | |
| 13. | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका | रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड की दिनांक 8.7.1985 की अधिसूचना |
| | गठन कैसे किया गया है। | संके14011/13/85-रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड के अनुसार |
| | | चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर संदस्य |
| | | सचिव द्वारा चयन किया जाएगा। |
| | | |
| | | |

आशुलिपिक ग्रेंड-घ

| 1. | पद का नाम | आशुलिपिक ग्रेड-घ |
|-----|---|------------------------------------|
| 2. | पदों की संख्या | सात |
| 3. | वर्गीकरण | •• |
| 4. | वेतनमान | 4000-100-6000रू. (पांचवा के.वे.आ.) |
| 5. | क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है | चयन - सीधी भर्ती |
| 6. | क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ | |
| . ` | केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन नियम), 1972 | Av AdS |
| | के नियम 30 के अधीन ग्राह्य है? | |
| 7. | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | 28 वर्ष से अधिक नहीं |

| | The art to the same | 2000 |
|--------|--|---|
| 8. | सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य | अनिवार्य: किसी विषय में स्नातक और अंग्रेजी |
| | अर्हताएं | आशुलिपिक में 80 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी टकण |
| | | में 40 शब्द प्रति मिनट की स्पीड और कम्प्यूटर |
| | | परिचालन में डिप्लोमा। |
| | | वरीयता: उन अभ्यर्थियों के वरीयता प्रदान की जाएगी |
| | * | जिनकी हिन्दी आशुलिपिक और हिन्दी टंकण में अच्छी |
| | | स्पीड होगी। |
| 9. | क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और | आन्तरिक अभ्यर्थी के लिए कोई आयु सीमा नहीं है |
| | शैक्षिक अहर्ताएं पदोन्नतों के मामले में लागू | अर्थात् रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड के कर्मचारी जो अन्यथा पद के |
| | होगी। " | लिए अर्हता प्राप्त उम्मीदवार होंगे। |
| 10. | परिविक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | सीधी भर्ती तरीके से की गई नियुक्ति के मामले में दो |
| 1 | | वर्ष बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार के नियमों का पालन |
| · | | किया गया है। 🎾 |
| 11. | 1 | सीधी भर्ती, आन्तरिक अभ्यर्थी, जिनके पास अपेक्षित |
| 1 1241 | पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थनांतरण | अर्हता होगी आवेदन करने के पात्र होंगे। चयन कौशल |
| | द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने | परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। |
| | वाली रिक्तियों का प्रतिशत | चूँकि आशुलिपिक ग्रेड ग के कर्मचारियों के लिए कोई |
| - | | पदोत्रति नहीं है इसलिए वे 12 वर्ष की अवधि के |
| | | पश्चात् कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 9 |
| | #* # | अगरत 1999 के का ज्ञा. सं35034/97/स्थापना (ध) |
| | | की अशुअरड केरियर प्रोग्रेशन योजना के अधीन वित्तिय |
| | : ' | उन्त्यन के लिए पात्र होंगे। |
| 12. | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातरण, के मामले | सीधी भर्ती के आधार पर |
| | में, ग्रेड जिन से | |
| · | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण किया | |
| } | जाना है। | |
| 13. | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका | रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड की दिनांक 8.7.1985 की अधिसूचना |
| | गठन कैसे किया गया है। | संके14011/13/85-रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड के अनुसार |
| | | चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर सदस्य |
| | | ग्राचित होता होग्रज किया जाएगा। |

स्टाफ कार ड्राईवर

| | | <u> </u> |
|------|--|---|
| 1, | पद का नाम | स्टाफ कार ड्राईवर |
| 2. | पदों की संख्या | चार |
| 3. | वर्गीकरण | |
| .4 | वेतनमान | 3050-75-3950-80-4590रू. (पांचवा के.वे.आ.) |
| 5. | क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है | चयन पद - सीधी भर्ती |
| 6. | क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ | 77 |
| | केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 | |
| 1. | के नियम 30 के अधीन ग्राहय है? | |
| 7. | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | 28 वर्ष से अधिक नहीं |
| 8. | सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य | अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से सीनियर |
| | अर्हताएं | सेकन्डरी स्कूल की पुरीक्षा पास की गई होनी चाहिए और |
| | | हल्के बाहनों के चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाईसेंस तथा |
| T KA | | संरकारी/अर्ध-सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायतः |

सचिव द्वारा चयन किया जाएगा।

| | 1 | निकाय में वाहन चलाने का दो वर्ष का अनुभव प्राप्त हो। |
|-----|--|--|
| | | मोटर मेकेनिज़म में ज्ञान (अभ्यर्थी को वाहन में छोटी-मोटी |
| | | • |
| | | त्रुटियां दूर करने की योग्यता होनी चाहिए)। |
| | | |
| | • | वांछनीय: किसी विषय में स्नातक अभ्यर्थी को वरीयता |
| - | | प्रदान की जाएगी। |
| 9. | 3 | , |
| | और शैक्षिक अहर्ताएं पदोनतों के मामले में | 1 |
| | लागू होगी। | अर्हता प्राप्त, उम्मीदवार होंगे। |
| 10. | परीविक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | -दो वर्ष |
| 11. | भर्ती की विधि क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा | सीधी भर्ती |
| | पदोन्नति द्वारा अथवा | आन्तरिक अभार्थी जिनके पास अपेक्षित अर्हता, अनुभव |
| - | प्रतिनियुक्ति/स्थनांतरण द्वारा और विभिन्न | |
| | तरीकों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का | 1 |
| | प्रतिशत | और साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा। |
| 12. | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातरण, के | |
| | मामले में, ग्रेड जिन से | 1 |
| | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण किया | |
| | जाना है। | है) के अनुसार होगी। |
| | | स्टाफ कार ड्राईवरों को स्टाफ कार ड्राइवरों के विभिन्न |
| | | |
| | | ग्रेडों में निम्नानुसार रखा जाएगा। कम ग्रेड वेतनमान प्रतिशत |
| | | क्रम ग्रेड वेतनमान प्रतिशत संख्या |
| | | |
| | e de de la companya | |
| | | |
| | | |
| 10 | - A Annah malah man | |
| 13. | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो | |
| | उसका गठन कैसे किया गया है। | 8.7.1985 की अधिसूचना संके14011/13/85- |
| | | रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड के अनुसार चयन समिति की सिफारिशों |
| | | के आधार पर सदस्य सचिव द्वारा चयन किया जाएगा। |
| | | |
| | | पदोन्नति : पदोन्नति ग्रेड में कर्मचारियों की संयुक्त सतत् |
| | | वरीष्ठता और विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों |
| | • | पर वशर्ते की अयोग्य अभ्यर्थी को रद्ध कर दिया जाएगा, |
| | | के आधार पर होगी। |
| | | विभागीय पदोन्नति समिति का गठन |
| | | निदेशक (प्रशा. एवं वित्त) - अध्यक्ष |
| | | संयुक्त निदेशक (वित्त) - सदस्य |
| | | उप-निदेशक (प्रशा.) - सदस्य |
| | | अ.जा./अ.ज.जा./ओ.बी.सी. का प्रतिनिधि - सदस्य |

कनिष्ठ सहायक (चपरासी/चौकीदार/हाउस कीपर/चाय/कॉफी मेकर)

| 1. | पद का नाम | कनिष्ठ सहायक |
|----|----------------|--|
| 2. | पदों की संख्या | दस |
| 3. | वर्गीकरण | ग्रुप डी |
| 4. | वेतनमान | 2550-55-2660-60-3200रू.(पांचवा के.वे.आ.) |

()

| 5. | क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है | चयन - सीधी भर्ती |
|-------|--|---|
| 6. | क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय | |
| | सिविल सेवा (पेंशन) 1972 के नियम 30 के | |
| - | अधीन ग्राहय है? | · |
| 7. | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | 28 वर्ष से अधिक नहीं |
| 8. | सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य | अनिवार्यः मान्यता प्राप्त स्कूल/संस्थान से सीनियर |
| ' | अर्हताएं | सेकन्डरी स्कूल की परीक्षा पास की हुई हो। |
| | | अभ्यर्थियों को हिन्दी और अंग्रेजी अथवा किसी |
| | No. | क्षेत्रीय भाषा को पढ़ने और लिखने का ज्ञान होना |
| | | चाहिए। |
| | | वांछनीय: हल्के मोटर वाहन को चलाने के लिए |
| | | वैध ड्राइविंग लाईसेंस प्राप्त होना चाहिए। |
| | | अंग्रेजी/हिन्दी टंकण/कम्प्यूटर चलाने का कार्य |
| | | साधक ज्ञान होना चाहिए। |
| 9. | क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और | |
| | शैक्षिक अहर्ताएं पदोन्नतों के मामले में लागू | |
| | होगी। | |
| 10. | परीविक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | दो वर्ष |
| 11. | भर्ती की विधिः क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा | सीधी भर्ती |
| ' ' ' | पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थनांतरण | WHAT THE |
| | द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने | |
| | वाली रिक्तियों का प्रतिशत | • |
| 12. | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण, के मामले | एस। से एस-5 के वेतनमान में पदोन्नति कार्मिक |
| '2' | मं, ग्रेंड जिन से | और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 3.2.2003 के |
| ŀ | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातंरण किया जाना | का.ज्ञा.सं. ए.बी.14017/2/97-स्था. (आर.आर.) |
| | ेही | के अनुसार होगी (प्रतिलिपि अनुबंध-आई पर है)। |
| | | पदोन्नति के लिए कम से कम जो अर्हता सेवा पूरी |
| | | की जानी है वह निम्नवत् है:- |
| | | i) एस-। (2550-3200 रूपये) सें |
| | | एस2 ए (2610-4000 रूपये) : 4 वर्ष |
| , | | ii) एस-2 ए (2610-4000 रूपये) से |
| | | एस 4 (2750-4400 रू.) : 4 वर्ष |
| | | iii) एस-2 ए (2610-4000 रूपये) से |
| . ' | | एस-5 (3050-4590 रूपये) : 6 वर्ष |
| | • | 3.1.2 |
| 13. | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका | नियुक्ति के लिए चयन: रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड की |
| | गठन कैसे किया गया है। | दिनांक 8.7.1985 की अधिसूचना संके |
| | | 14011/13/85-रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड के अनुसार |
| F | ×** | चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर सदस्य |
| | | |
| | | सचिव द्वारा चयन किया जाएगा। पदोन्नति : पदोन्नति ग्रेड में कर्मचारियों की संयुक्त |
| : | 5,4.10 | सतत् वरीष्ठता और विभागीय पदोन्नति समिति की |
| | | सिफारिशों पर वशर्ते की अयोग्य अभ्यर्थी को रद्ध |
| . | en en en en en en en en en en en en en e | कर दिया जाएगा, के आधार पर होगी। |
| | | विभागीय पदोन्नति समिति का गठन |
| | and the Company of th | निदेशक (प्रशा. एवं वित्त) - अध्यक्ष |
| | | संयुक्त निदेशक (वित्त) - सदस्य |
| | | - उप-निदेशक (प्रशा.) - सदस्य |
| | | अ.जा./अ.ज.जा./ओ.बी.सी. का प्रतिनिधि- सदस्य |
| | | |

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के परिवहन सेल में पदों से संबंधित भर्ती नियम

| 1. | पद का नाम | परिवहन आयुक्त |
|-----|--|---|
| 2. | पदों की संख्या | 1 (एक) |
| 3. | वर्गीकरण | समूह के राजपत्रित |
| 4. | वेतनमान | 18,400-500-22,400/-रु. |
| 5. | क्या यह चयन पद अथवा गैर-चयन | |
| | पद है | |
| 6. | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | 50 वर्ष से कम को प्राथमिकता |
| 7. | क्या केन्द्रीय सिुविल सेवा (पेंशन | लागू नहीं |
| | नियमावली), 1972कें नियम 30 के | |
| | अंतर्गत अधिक वर्षों की सेवा अनुमेय है | |
| | | |
| 8. | सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक | निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव-धारक व्यक्ति:- |
| | एवं अन्य योग्यतीएं: | आवश्यक:- |
| | | (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल अथवा इलैक्ट्रिकल |
| | | या मैकेनिकल अथवा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा |
| | | समकक्ष। |
| | Р | (II) 15 वर्ष का अनुभव जिसमें व्यवहार्यता मूल्यांकन अथवा विस्तृत |
| | | परियोजना रिपोर्ट, परियोजनागत वित्तपोषण, परियोजना |
| | | मॉनीटरिंग अथवा परियोजनाओं का गुणवत्ता नियंत्रण, मुख्य रूप |
| | | से सामूहिक परिवहन व्यवस्था की बड़ी परियोजनाओं में, के क्षेत्रों |
| | | में 5 वर्ष का अनुभव शामिल है । |
| | | वांछनीय: |
| | | अधिकारी को बड़ी रेल निर्माण परियोजनाओं की योजना बनाने |
| | | डिजाइन बनाने तथा निर्माण के क्षेत्र में व्यापक तथा विविध अनुभव |
| | | होना चाहिए । मुख्य रूप से उसे रेल मंत्रालय अथवा किसी अन्य |
| | | मंत्रालय में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए । |
| 9. | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | लागू नहीं |
| 10. | क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु | जी हां । |
| | तथा शैक्षिणिक योग्यताएं पदोन्नत तथा | |
| | प्रतिनियुक्ति वाले अधिकारियों के | |
| | मामले में लागू होगी । | |
| 11. | भर्ती का तरीकाः क्या सीधी भर्ती | प्रतिनियुक्ति |
| | प्रतिनियुक्ति अथवा पदोन्नति अथवा | (प्रारंभिक रूप से दो वर्ष की अवधि के लिए। यह पद अस्थायी है |
| | प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भरा | तथा काम पूरा होते ही इसे समाप्त कर दिया जायेगा । नियुक्ति की |
| | जाना है तथा विभिन्न विधियों द्वारा भरे | अवधि को आवश्यकता के आधार पर घटाया अथवा बढ़ाया जायेगा)। |
| | जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | |
| 12. | | केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों या संध राज्य क्षेत्र सरकारों |
| | आधार पर भर्ती के मामले में, श्रेणी | अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों अथवा अर्ध-सरकारी अथवा स्वायत्त |
| | जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/खपाया | या साविधिक संगठनों के अर्तगत अधिकारी: |
| | जायेगा । | (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण |
| | | करने वाले: अथवा |
| | | (ii) मूल संवर्ग या विभाग में 14,300-18,300रू के वेतनमान में |
| | | नियमित आधार पर नि दुक्ति के पश्चात् उक्त ग्रेड में की गई |
| | | उवर्षों की सेवा अथवा समकक्ष |

| 13. | यदि डी पी सी विधमान हो तो उसका | पद पर नियुक्ति के लिए कार्मिक का चयन रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड की |
|-----|--------------------------------------|---|
| | संघटन क्या है । | दिनांक 8 जुलाई, 1985 के राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार |
| | | कार्मिक समूह द्वारा किया जायेगा । |
| 14. | वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के | लागू नहीं |
| | लिए संघ लोक सेवा आयोग से | |
| | परामर्श किया जाना है । | |

प्लानिंग हेतु केवल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त योग्यता ही अनुमेय होगी ।

सहायक निदेशक (परिवहन)

| | 1. | पद का नाम | सहायक निदेशक (परिवहन) |
|---|-----|---|--|
| | 2. | पदों की संख्या | 1 (एक) |
| | 3. | वर्गीकरण | समूह कं राजपत्रित |
| | 4. | वेतनमान | 8,000-275-13,590/-रु. |
| Ī | 5. | क्या यह चयन पद अथवा गैर-चयन पद है | लागू नहीं |
| ŀ | 6. | सीघी भर्ती के लिए आयु सीमा | 35 वर्ष से कम को प्राथमिकता |
| | 7 | क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन नियमावली) | लागू नहीं |
| | | 1972 के नियम 30 के अंतर्गत अधिक वर्षों | |
| | | की सेवा अनुमेय है । | |
| - | 8. | सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एवं | आवश्यक: |
| | | अन्य योग्यताएं : | शहरी/क्षेत्रीय प्लानिंग अथवा इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर में |
| | - | | डिग्री अथवा समकक्ष या योजना निष्पादन तथा परियोजनाओं की |
| 1 | 1.: | | मॉनीटरिंग में 4 वर्ष के अनुभव के साथ अर्थशास्त्र में रनातकोत्तर |
| - | | | डिग्री |
| | | | अथवा |
| | | | योजना,निष्पादन तथा परियोजनाओं की मॉनीटरिंग में दो वर्ष के |
| | | | अनुभव के साथ शहरी/क्षेत्रीय प्लानिंग/इंजीनियरिंग/ आर्किटेक्चर |
| - | • | | में मास्टर डिग्री । |
| 1 | , | | |
| | | | वांछनीय: |
| ľ | | | बड़ी रेल निर्माण परियोजनाओं की योजना बनाने, सर्वेक्षण, |
| | | | डिजाइन बनाने तथा निर्माण के क्षेत्र में अनुभव । |
| | 9. | .परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | लागू नहीं |
| | 10. | क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा | जी हां । |
| | | शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नत तथा प्रतिनियुक्ति | |
| L | | वाले अधिकारियों के मामले में लागू होंगी। | |
| | 11. | भर्ती का तरीकाः क्यां सीधी भर्ती अथवा | प्रतिनियुक्ति |
| | | प्रतिनियुक्ति पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ | (प्रारंभिक रूप से दो वर्ष की अवधि के लिए । यह पद अस्थायी |
| | | स्थानांतरण द्वारा भरा जाना है तथा विभिन्न | है तथा काम पूरा होते ही इसे समाप्त कर दिया जायेगा । |
| 1 | | विधियों द्वारा रिक्तियों को भरे जाने का | नियुक्ति की अवधि को आवश्यकता के आधार पर घटाया अथवा |
| L | | प्रतिशत | बढ़ाया जायेगा) । |
| | 12. | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/खपाये जाने के आधार | केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र |
| | | पर भर्ती के मामले में, श्रेणी जिससे पदोन्नति/ | सरकारों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों अथवा अर्ध-सरकारों अथवा स्वायत्त या सांविधिक संगठनों के अंतर्गत अधिकारीः |
| - | | प्रतिनियुक्ति/खपाया जायेगा । | अथवा स्वायत्तं या साविधिक सम्वना के अतगत अधिकाराः (I) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर 8,000-275- |
| - | | | 13,500रू के वेतनमान में दो/चार वर्षों की अवधि के लिए, |
| | . 1 | | जैसा भी मामला हो, उपर्युक्त क्रमांक 8 की आवश्यक |
| | ı | | योग्यता के अंतर्गत उल्लिखित समकक्ष पर्द धारण करने |
| | | | वाले। |
| - | i | | HIVIT |

| ļ | 13. | यदि डी पी सी विधमान हो तो उसका | इस पद पर चयन तथा नियुक्ति सदस्य सचिव द्वारा की जायेगी |
|---|-----|--|---|
| - | | संघटन क्या है । | । (एन सी आर पी बी की दिनांक 8 जुलाई, 1985 का राजपत्र |
| 1 | | | मे प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार) |
| | 14. | वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए | लागू नहीं |
| | | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया | |
| | | जाना है । | |

प्लानिंग हैतु केवल नगर योजना संस्थान/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त योग्यता ही अनुमेय होगी ।

निजी सचिव

| 1. | पद का नाम | निजी सचिव |
|------|--|---|
| 1-2. | पदों की संख्या | 1 (एक) |
| 3. | वर्गीकरण | समूह ख |
| 4. | वेतनमान | 6,500-200-10;500/.τ. |
| 5. | क्या यह चयन पद अथवा गैर-चयन पद है | गैर-चयन पद |
| 6. | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | 50 वर्ष से कम को प्राथमिकता |
| 7. | क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन | लागू नहीं |
| | नियमावली),1972 के नियम 30 के अंतर्गत | City 181 |
| | अधिक वर्षों की सेवा अनुमेय है । | |
| | जावपर पंपा पर्रा राया जनुगय है । | |
| 8. | मीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक एतं अन्य | अनिवार्य-मान्यताप्राप्त विश्वविघालय से रनातक । |
| J. | योग्यताएं | AUTHOR AUTOLOGICAL STRANGE WALLES |
| 9. | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | |
| | 11(1141) 11(114) | |
| 10. | क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा | जी हां । |
| | शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नत तथा प्रतिनियुक्ति | |
| | वाले अधिकारियों के मामले में लागू होंगी । | |
| 11. | भर्ती का तरीकाः क्या सीधी भर्ती अथवा | प्रतिनियुक्ति |
| | पदोन्नति प्रतिनियुक्ति अथवा प्रतिनियुक्ति/ | (प्रारंभिक रूप से दो वर्ष की अवधि के लिए । यह पद |
| | रथानांतरण द्वारा भरा जाना है तथा विभिन्न | अरथायी है तथा काम पूरा होते ही इसे समाप्त कर दिया |
| | विधियों रिक्तियों को भरे जाने का प्रतिशत | जायेगा । नियुक्ति की अवधि को आवश्यकता के आधार पर |
| | | घटाया अथवा बढाया जायेगा । |
| 12. | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/खपाये जाने के आधार | केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र |
| Ì | पर भर्ती के मामले में, श्रेणी जिससे पदोन्नति | सरकारों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों अथवा अर्ध- |
| | प्रतिनियुक्ति/खपाया जायेगा । | सरकारों अथवा स्वायत्त या सांविधिक संगठनों के अंतर्गत |
| | | तथा नियमित आधार पर समकक्ष पद धारक अथवा |
| | | 5,500-9,000/-रुपये के वेतनमान में आशुलिपिक के रूप |
| | | में 8 वर्ष तक नियमित सेवा करने वाले अधिकारी |
| 13. | यदि डी पी सी विघमान हो तो उसका | इस पद पर चयन तथा नियुक्ति सदस्य सचिव द्वारा की |
| | संघटन क्या है । | जायेगी । (एन सी आर पी बी की दिनांक 8 जुलाई, |
| | | 1985 की राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार) |
| 14. | वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ | लागू नही |
| | लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है | |
| | | |

एच. एस. आनन्द सदस्य सचिव

अनुबंध `ए`

नई दिल्ली, दिनांक 8 जुलाई 1985

सं. के-14011/13/85-रा.आ.क्षे.--

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (जिसे बोर्ड के नाम से पुकारा जाएगा), निम्नलिखित प्रत्यायोजन बनाता है:-

1. धारा 22 की उप-धारा 2 के खण्ड (ख) (ग) और (ड) के अधीन कृत्य, श्राकेंग्रा और कर्त्तव्यः

बोर्ड द्वारा परियोजना की अनुमोदित योजनाओं के वित्त पोषण के संबंध में अलग अलग योजना की पहचान करना तथा उसके वारे में किश्तें जारी करना तथा परियोजनाओं की प्रगति की सतत् पुनरीक्षा करने के लिए बोर्ड के कृत्य. शक्तियां और कर्तव्य ग्रुप के रुप में निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रत्यायोजित किया जाता है:-

परियोजना स्वीकृति और प्रबोधन ग्रुप:-

| i) | सचिव, निर्माण और आवास मंत्रालय | - | अध्यक्ष |
|------|--|----------|---------|
| ii) | सचिव (व्यय) अथवा उसका प्रतिनिधि | - | संदस्य |
| iii) | परामर्शदाता, योजना आयोग अथवा उसका प्रतिनिधि | | सदस्य |
| iv) | संयुक्त सचिव, प्रभारी, रा.रा.क्षे | | |
| | निर्माण और आवास मंत्रालय | - | सदस्य |
| v) | राज्यों और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र | | |
| | में रा रा क्षे. का कार्य देखने वाले प्रभारी सचिव | | सदस्य |
| ∨i) | मुख्य नियोजक. टी सी पी ओ, नई दिल्ली | · | सदस्य |
| ∨ii) | सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजाना बोर्ड | - | संयोजक |
| | | | |

- 1) ग्रुप को नियमों के अनुसार परियोजना प्लान और उप-क्षेत्रीय योजनाओं के कार्यान्वन तथा बोर्ड द्वारा पहचान किए गए काउन्टर मेगनट क्षेत्र के विकास के लिए ऋण और अनुदान रवीकृत करने की शक्तियां प्रदान की जाती हैं।
- 2) ग्रुप को बोर्ड की ओर से सर्वेक्षण और अध्ययन करवाने का अधिकार भी प्राप्त होगा।

॥. अधिनियम की धारा 31 के अधीन कृत्यों, शक्तियों और कर्तव्यों का प्रत्यायोजनः

निम्नलिखित सीमांओं और शर्तों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड, पदों के सृजन करने और ऐसे पदों के लिए व्यक्तियों की नियुंक्ति करने हेतु, शक्तियां ग्रुप में निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रत्यायोजित करता है जिसे कार्मिक ग्रुप के नाम से पुकारा जाएगा:-

कार्मिक ग्रुप:-

| i) | सचिव, निर्माण और आवास मंत्रालय | - | अध्यक्ष |
|------|--|---|---------|
| ii) | सचिव (व्यय) अथवा उसका प्रतिनिधि | - | सदस्य |
| iii) | हरियाणा राज्य में रा.रा.क्षे का | | |
| | कार्य देखने वाले प्रभारी सचिव | - | सदस्य |
| iv) | राजस्थान राज्य में रा.रा.क्षे का | | |
| | कार्य देखने वाले प्रभारी सचिव | - | सदस्य |
| v) | उत्तर प्रदेश राज्य में रा.रा.क्षे का | | |
| | कार्य देखने वाले प्रभारी सचिव | - | सदस्य |
| ∨i) | सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजाना बोर्ड | - | संयोजक |

- ग्रुप को बोर्ड में पदों के सृजन करने के लिए पूरी शक्तियां प्राप्त होंगी । पदों, जिनका वेतनमान में अधिकतम 1600 रू. से अधिक होगा के संबंध में नियुक्ति के ख) लिए कार्मिकों का चयन ग्रुप द्वारा किया जाएगा और ग्रुप द्वारा चयन किए गए व्यक्तियों की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन प्रदान करने के पश्चात की जाएगी।
- पदों, जिनका वेतनमान का अधिकतम 1600/- रु. के समतुल्य अथवा इससे कम होगा के ग) संबंध में चयन और नियुक्ति सदस्य सचिव द्वारा की जाएगी।

उप-धारा 22(2)(क) के अधीन शक्तियों का प्रत्यायोजन **III.**

धारा 22 की उप-धारा 2 के खण्ड (क) के तहत बोर्ड के (i) प्रशासनिक व्यय का वहन करने, और (ii) विनियमों में उल्लिखित बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के नियोजन की शर्तों का प्रशासनिक नियंत्रण और संचालन के प्रयोग की शक्तियां सदस्य सचिव में प्रत्यायोजित की गई है । उनका विवरण इस प्रकार है:-

| क्रम | शक्तियों का स्वरूप | शक्तियों का विस्तार |
|------|---------------------------------|--|
| सं. | | |
| 1. | बैंक खातों का परिचालन 🐤 | (क) नियमों के अनुसार बोर्ड के लिए खाते खोलने की शक्तियां |
| | | |
| | | (ख) बोर्ड के किसी कर्मचारी अथवा कर्मचारियों को अलग से अथवा |
| | | संयुक्त रूप से लेखे का परिचालन करने के लिए अधिकार प्रदान |
| | | करना । |
| (1) | (2) | (3) |
| 2. | कार्यालय फर्नीचर और उपकरणों | कार्यालय फर्नीचर और उपकरणों सहित मशीनों की खरीद, परिचालन |
| | की खरीद | और रख-रखाव तथा मरम्मत के लिए पूरी शक्तिया। |
| | | |
| 3. | लेखन सामग्री की खरीद | पूरी शक्तियां |
| | | |
| 4. | टेलीफोन प्रभार | पूरी शक्तियां । टेलीफोन के नए कनक्शन प्राप्त करने, उनका किराया |
| | | देने काल प्रभारों आदि के संबंध में पूरी शक्तिया । |
| 5 | (क) बोर्ड में पदों का सृजन | कार्मिक ग्रुप द्वारा पूरी शक्तियों का प्रयोग किया जाना । |
| | | |
| | (ख) बोर्ड में नियुक्तिओं के लिए | (क) उन पदों का वयन और नियुक्ति जिनका वेतनमान का अधिकतम |
| | अभ्यर्थियों का चयन | 1600/- रूपये से अधिक हो, कार्मिक ग्रुप द्वारा किया जाएगा और |
| | | अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा । |
| | | (ख) अन्य पदों का चयन सदस्य सचिव द्वारा किया जाएगा । |

भारत का राजपत्र, नवम्बर 18, 2006 (कार्तिक 27, 1928)

[भाग III—खण्ड 4 💃

| | (ग) बोर्ड में नियुक्तियां | (क) पदों के लिए सभी नियुक्तियां, जिनका वेतनमान का अधिकतम 1600/- रूपये से अधिक हो बोर्ड के नाम से की जाएगी । |
|-----|---|--|
| | | (ख) अन्यों के संबंध में नियुक्तियां सदस्य सचिव द्वारा की जाएगी । |
| 6. | उत्पाद कार्य/बाट्यों की खरीट | खरीद, परिचालन रख-रखाव और मरम्मत के लिए पूरी शक्तियां |
| 0. | और रख-रखाव | |
| 7. | मुद्रण प्रभार | पूरी शक्तियां |
| 8. | अकस्मिकता व्यय | पूरी शक्तियां |
| 9. | बोर्ड के कर्मचारियों को वाहन | पूरी शक्तियां । भत्ते की दर्जीर शर्त वही होगी जो केन्द्रीय सरकारी |
| | भत्ता प्रदान करने की शक्ति । | कर्मचारियों पर लागू होती हैं । |
| 10 | जोर्च के कार्यान नाम कोर्च में | प्रत्येक मामले में 1000/- रूपये तक |
| 10. | कार्यरत व्यक्तियों से भिन्न | अरपक नानल न १००० च्लप राक |
| | व्यक्तियों को बोर्ड में अदा की | |
| | 1 | |
| | गई सेवाओं के लिए मानदेय प्रदान करना | |
| 11. | बोर्ड में कार्यरत स्टाफ को अर्जित | प्रजी प्रक्तियां |
| | अवकाश और अन्य प्रकार की | Au diadai |
| | छुट्टियां प्रदान करना | |
| 12. | | पूरी शिंदि गां |
| 14. | ु छुड़ा परान जान्नम प्रचान करना | त्रुरा साथ |
| 13. | बोर्ट में कार्यवन क्याह को गाना | उस सीमा तक जो केन्द्रीय सरकार नियमों के अधीन स्वीकार्य है |
| 10. | भत्ता जिसमें छुट्टी यात्रा रियायत | 1 |
| | जैसा कि सरकारी नियमों के | |
| | अधीन लागू हैं, अग्रिम स्वीकृत | |
| | करना । | |
| 14. | यात्रा भत्ता बिलों के लिए नियंत्रण | पूरी शक्तियां |
| | अधिकारी की सभी शक्तियों का | |
| | प्रयोग | |
| 15. | निम्नलिखित पर सत्कार करने | |
| | पर व्यय | |
| | (क) बोर्ड की बैठकें | पूरी शक्तियां |
| | (ख) ग्रुप की बैठक | पूरी शक्तियां |
| | (ग) समिति की बैठक | तिमाही में 2000/- रूपये की सीमा तक। |
| | (1) | 1000(क्या) एटि एट की जीवा कर कार्यका जीवाओं में अध्यक्ष कार |
| | (घ) अन्य सरकारी बैठकें | 1000/- रूपये प्रति माह की सीमा तक उपर्युक्त सीमाओं में अध्यक्ष द्वारा |
| | | छूट प्रदान की जा सकती है यदि परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हो। |
| 16. | ड्राईंग लेखन सामग्री की खरीद पर स्वीकृति | पूरी शक्तियां |
| 17. | समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में | पूरी शक्तियां |
| | विज्ञापन | |
| | | |

| | | | <u> </u> |
|-----|---|---------------|----------|
| 18. | पात्र स्टाफ को समयोपरि भत्ते की स्वीकृति | पूरी शक्तियां | |
| 19. | अग्रदाय के स्थायी अग्रिम की रवीकृति | पूरी शक्तियां | |
| 20. | साईकल की खरीद के लिए बोर्ड के कर्मचारियों को अग्रिम की रचीकृति | पूरी शक्तियां | |
| 21. | चपरासियों/ड्राईवरों को वर्दियों की व्यवस्था पर व्यय करना | पूरी शक्तियां | |
| 22. | बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों के दौरे का अनुमोदन | · . | |
| - | i) हकदारी श्रेणी के माध्यम से | पूरी शक्तियां | |
| | ii) हवाई जहाज द्वारा अथवा हकदारी श्रेणी से उच्च | पूरी शक्तियां | |
| | श्रेणी द्वारा यात्रा iii) दौरे पर गए | पूरी शक्तियां | |
| | अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए विशेष मामलों में | • | |
| | भोजन व्यवस्था/वास पर वास्तविक व्यय की | | |
| | प्रतिपूर्ति वशर्ते कि सरकारी नियमों में विहित | - | |
| - | सीमा का पालन किया गया हो । | | |
| 23. | बिना ब्याज के अग्रिमः त्योहार अग्रिम/विशेष मामलों में चिकित्सा अग्रिम/प्राकृतिक आपदाओं के | पूरी शक्तियां | |
| | अग्रिम वशर्ते कि सामान्य वित्तीय नियम, 1963, एफ आरें/एस | | |
| | आर और समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी अन्य अनुदेशों में विहित नियमों की शर्तें पूरी हों | · · | |
| | | | |
| 24. | वाहनों का वृहत बीमा | पूरी शक्तियां | |

बोर्ड का अन्य कोई प्रशासनिक व्यय जिसके संबंध में वहन करने के संबंध में शक्तियों का उल्लेख उपर्युक्त सूची में नहीं किया गया है, बोर्ड के अध्यक्ष के अनुमोदन से सदस्य सचिव द्वारा किए जाऐगें ।

> एम. शंकर सदस्य सचिव (रा.रा.क्षे.)

1

अनुबंध `बी`

| | पदों का वर्गीकरण | पदों का वेतनमान | रिपोर्ट अधिकारी | पुनर्विलोकन अधिकारी | स्वीकार करने वाला |
|---|---------------------|-------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|
| | (पूर्ण रूपं से | (रूपये में) | | | अधिकारी |
| | सीसीएस (सीसीए) | | | | |
| | नियमों के अनुसार) | | | | |
| t | ग्रुप `क` | परिवहन आयुक्त | सदस्य सचिव | सदस्य सचिव | सचिव (शहरी विकास) |
| | | | | | अध्यक्ष |
| | (केन्द्रीय सिविल पद | | | | कार्मिक ग्रुप |
| | जिनका वेतन अथवा | मुख्य क्षेत्रीय नियोजक | सदस्य सचिव | सदस्य सचिव | संचिव (शहरी विकास) |
| | वेतनमान के | | | | अध्यक्ष |
| l | अधिकतम का | | · | | कार्मिक ग्रुप |
| 1 | 13,500/- रूपये से | निदेशक | सदस्य सचिव | सदस्य सचिव | सचिव (शहरी विकास) |
| 1 | कम न हों) | | | | अध्यक्ष : |
| | | | • | | कार्मिक ग्रुप |
| | | संयुक्त निदेशक (वित्त) | निदेशक (प्रशा.एवं वित्त) | सदस्य संचिव | सदस्य सचिव |
| | | संयुक्त निदेशक (पीएमसी) | निदेशक (प्रशा.एवं वित्त) | सदस्य सचिव | सदस्य सचिव |
| | | संयुक्त निदेशक (तक.) | मुख्य क्षेत्रीय नियोजक | सदस्य सचिव | सदस्य सचिव |
| | | उप-निदेशक (तक.) | संयुक्त निदेशक (तक.) | मुख्य क्षेत्रीय नियोजक | सदस्य सचिव |
| | | उप-निदेशक (प्रशा.) | निदेशक (प्रशा. एवं वित्त) | सदस्य सचिव | सदस्य सचिव |
| | ٠. | सहायक निदेशक (तक.) | संयुक्त निदेशक (तक.) | मुख्य क्षेत्रीय नियोजक | सदस्य सचिव |
| ĺ | | सहायक निदेशक (परि.) | परिवहन आयुक्त | सदस्य सचिव | सदस्य सचिव |
| ľ | | | | | |
| ľ | ग्रुप `ख` | | | | - |
| | | | | | |
| ١ | (केन्द्रीय सिविल पद | सहायक निदेशक (स्था.) | उप-निदेशक (प्रशा.) | निदेशक (प्रशा.एवं वित्त) | सदस्य सचिव |
| l | जिनका वेतन अथवा | सहायक निदेशक (प्रशा.) | उप-निदेशक (प्रशा.) | निदेशक (प्रशा एवं वित्त) | सदस्य सचिव |
| | वेतनमान के | सहायक लेखा अधिकारी | उप-निदेशक (प्रशा.)/ | संयुक्त निदेशक (वित्त)/ | सदस्य सचिव |
| | अधिकतम का | | वित्त एवं लेखा अधिकारी | निदेशक (प्रशा.एवं वित्त) | |
| i | 9000/- रूपये से | निजी सचिव | सदस्य सचिव | सदस्य सचिव | सदस्य सचिव |
| | कम न हो और | योजना सहायक | संयुक्त निदेशक (तक.) | मुख्य क्षेत्रीय नियोजक | सदस्य सचिव |
| l | 13,000/- रूपये से | | | | |
| | अधिकं न हो) | | | | |
| L | | | | | |
| | ग्रुप `ग`* | | | | |
| | (केन्द्रीय सिविल पद | सहायक ग्रेड-। | उप-निदेशक (प्रशा.)/ वित्त | संयुक्त निदेशक (वित्त)/ | निदेशक (प्रशा.एवं वित्त) |
| | जिनका वेतन अथवा | Herare Me 1 | एवं लेखा अधिकारी | निदेशक (प्रशा एवं वित्त) | |
| | वेतनमान के | लेखा सहायक | उप-निदेशक (प्रशा.)/ | संयुक्त निदेशक (वित्त) | निदेशक (प्रशा.एवं वित्त) |
| - | अधिकतम | TIME TO THE TENT | वित्त एवं लेखा अधिकारी | 3 | |
| 1 | का4000/- रूपये से | निजी सचिव/ | सबंधित रिपोर्ट अधिकारी | - | _ |
| ł | कम न हो और | आशुलिपिक ग्रेड `ग` | | • | • |
| | 9,000/- रूपये से | हिन्दी अनुवादक | उप-निदेशक (प्रशा.) | निदेशक (प्रशा. एवं | निदेशक (प्रशा. एवं |
| | अधिक न हो) | 3 | | वित्त) | वित्त) |
| | | आशुलिपिक ग्रेड 'घ' | संबंधित रिपोर्ट अधिकारी | - | - |
| | | ट्रेसर | सहायक निदेशक (तक.) | संयुक्त निदेशक (तक.) | मुख्य क्षेत्रीय नियोज़क |
| | | x सहायक ग्रेड-॥ | सहायक निदेशक (प्र./स.) | उप-निदेशक (प्रशा.)/ | निदेशक (प्रशा एवं वित्त) |
| 1 | . , | | /वित्त एवं लेखा अधिकारी | संयुक्त निदेशक (वित्त) | |
| ı | | | 1 1111 37 (101) 011-1-1-1-1 | 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | |

| ग्रुप `घ`* | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------|---------------------------|
| (केन्द्रीय सिविल पद जिनका वेतन अथवा | कनिष्ठ सहायक/चौकीदार/चाय और | सहायक निदेशक (प्रशा.)/ स्महायक निदेशक (स्था.)/ | उप-निदेशक (प्रशा.) | निदेशक (प्रशा. एवं वित्त) |
| वेतनमान के अधिकतम का | काफी मेकर/हाऊस कीपर | सदस्य सचिव के सचिवालय में स्टाफ के | | |
| 4000/- रूपये हो अथवा कम)* | | लिए सदस्य सचिव के निजी सचिव | | |

सदस्य सचिव सचिवालय् में सभी स्टाफ के लिए रिपोर्ट अधिकारी सदस्य सचिव के निजी सचिव होंगे जो रिपोर्ट लिखेंगे और सदस्य सचिव द्वारा पुनर्विलोकन किया जाएगा ।

अनुबंध `सी`

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशक मुंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) सई दिल्ली, दिनांक 13 नवम्बर 2003

आदेश

विषय: केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के लिए 8000-275-13500/- रूपये के गैर प्रकार्यत्मक वेतनमान का आरंभ किया जाना ।

सं. 21/36/03-सी.एस-I--

सरकार ने फरवरी, 2001 में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के काडर की पुनसंरचना करने के संबंध में एक समिति का गठन किया था। समिति ने फरवरी, 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इस समिति की सिफारिशों में से एक सिफारिश यह थी कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सभी नियमित अनुभाग अधिकारी, जिन्होंने उस ग्रेड में 4 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, को 8000-275-13500/- रूपये के गैर प्रकार्यात्मक वेतन मान में रखा जाए। ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। तदनुसार, यह आदेश जारी किया जा रहा है।

- 2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कांडर प्राधिकारी निम्नलिखित मापदण्डों के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों की 8000-275-13500/- रूपये के गैर प्रकार्यत्मक बेतनमान प्रदान कर सकते हैं:-
 - (I) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी 8000-275-13500/- रूपये के गैर प्रकार्यत्मक वेतनमान, उस ग्रेड में 4 वर्ष की अनुमोदित सेवा को पूरा करने के पश्चात् पात्र होंगे बशर्ते कि उनकी सतर्कता अनापित प्राप्त कर ली गई हो ।
 - (ii) अनुभाग अधिक्ारी जिन्हें 8000-275-13500/- रूपये का यह गैर प्रकार्यत्मक वेतनमान प्रदान किया जाता है वे ग्रुप खें (राजपत्रित) में ही रहेंगे और केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-! (अवर सचिव) में पदीव्रति के लिए उनकी पात्रता अनुभाग अधिकारी के दोनों वेतनमानों में की गई कुल सेवा के आधार पर गणना की जाएगी !
 - (iii) अधिकारी जिन्हें उपर्युक्त गैर-प्रकार्यत्मिक वेतनमान में रखा जाएगा, वे मौलिक नियम 22(1) (क) (2) के अधीन वेतन निर्धारित करवाने का लाभ उठाने के हकदार होंगे।
- 3. यह आदेश 3 अक्तूबर, 2003 से प्रभावी माना जाएगा ।
- 4. के.स.से. नियमों के संशोधन से सर्बोधत आवश्यक अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी।

देवकी नन्दन गुप्ता उप सचिव

अनुबंध 'डी'

नई दिल्ली, दिनांक 3 मार्च 1986

सं. सी. 11031/1/86-रा.रा.क्षेत्र यो. बोर्ड--

राष्ट्रीय राज्यधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम 1985 की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नित्वित विनियम बनाता है।

संक्षिप्त शीर्ष और प्रारम्भ

i) इन र्विनयमों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना **बोर्ड वि**नियम, 1986 के नाम से पुकारा जाएगा।

r missing whiches in membranems one since -

ii) ये उस तारीख से प्रभावी होंगे जिस तारीख से बोर्ड असतित्व में आया है।

2. परिभाषा

इन विनियमों से जब तक कि विषय में आवश्यक हो.

- i) ऑधनियम का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985.
- ii) ेबोर्ड का अर्थ होगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड जैसा कि अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित किया गया है।

3. अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन और भत्ते

बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और सभी अन्य भत्ते, मकान किराया भत्ता को छोड़ कर, वहीं होंगे जो उसी स्तर के अपने कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं ।

4. छुट्टियों का प्रदान किया जाना

बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को छुट्टियों का प्रदान किया जाना केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 द्वारा शसित किया जाएगा जैसा कि समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होता है ।

मकान किराया भत्ता

दिल्ली में बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी उनके वेतन का 20% मकान किसए भत्ते के रूप में पाने के हकदार होंगे । मकान किराए भत्ते के लिए अन्य शर्ते वही होंगी जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती हैं ।

6. पेशन, उपदान, सेवानिवृति और सामान्य भविष्य निधि

बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी पेंशन, उपदान, सेवानिवृति लाभ और सामान्य भविष्य निधि, ऐसी दरों और ऐसी परिस्थितियों के अधीन हकदार होंगे जैसी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू हैं।

7. सेवा की अन्य शर्तें

जब तक इन विनियमों में विपरीत उल्लेख नहीं किया जाता, बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें मूल, और अनुपूरक नियमों, सामान्य वित्तीय नियमों, केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1965, केन्द्रीय सिविल सेवा (चिकित्सा सुविधा) नियम, 1944, केन्द्रीय सरकार कर्मचारी ग्रुप बीमा योजना, 1980 आदि और केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों और निर्णयों तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर इन नियमों के अधीन समय-समय पर लागू नियमों द्वारा शासित होंगी ।

8. आचरण नियम

समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा आचरण नियम, 1955 बोर्ड के कर्मचारियों पर , लागू होंगे ।

9. अनुशासनिक कार्यवाहियाँ

समय समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीक्ररण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 उसी प्रकार बोर्ड के कर्मचारियों पर लागू होंगे जैसे वे सरकारी कुमचारियों पर लागू होते हैं । इन नियमों के अधीन राष्ट्रपति को विहित शक्तियाँ अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जिस्मी और विभागाध्यक्ष की शक्तियाँ सदस्य सचिव प्रयोग करेंगे ।

10. प्रतिनियुक्तियाँ

बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी, जो केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों अथवा स्थानीय विकास अथवा अन्य संविधिक प्राधिकरणों अथवा केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के उपक्रमों से बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, उन्हीं शर्तों द्वारा शासित होंगे जो ऋण्य देने वाले आधिकरण द्वारा प्रतिनियुक्ति के संबंध में विनिर्दिष्ट की गई हैं । अन्य शर्तों के संबंध में जो आदेश में विनिर्दिष्ट नहीं की गई, वे बोर्ड के कर्मचारियों पर लागू उपर्युक्त विनियम द्वारा शासित होगी ।

एम्, शंकरः सदस्य सचिव

कार्सिक, लोक शिकायत और पेशन मंत्रालयः (कार्मिक-और प्रशिक्षण विभागः) नई दिल्ली, दिनांक 24 जून 2005

अनुबंध `ई` तत्काल

ीरक रेड्डिक ने **आदेश** करना ही रासके

विषयः केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिवा ग्रेंड 'कं' और 'ख' (विलयित) के लिए 8000-275-13500 रू के गैर प्रकार्यात्मक वेतनमान का आरम्भ किया जाना ।

फा. सं. 10/3/2004-सी.एस.II(भाग-I)-
सरकार ने अक्टूबर, 2003 में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के काडर की सरचना पर अधिकारियों के एक ग्रुप का गठन किया । इस ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट फरवरी, 2004 में प्रस्तुत की । इस ग्रुप की सिफारिशों में से एक सिफारिश यह थी कि केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के सभी नियमित निजी सचिवी (आशुलिपिक ग्रेड 'क' और 'ख' (विलयित) (6500-10500 रूपये), जिन्होंने उस ग्रेड में चार वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी कर ली है, को 8000-275-13500 रूपये के गैर-प्रकार्यात्मक वेतनमान में रखा जाए । ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् सरकार ने इस सिफरिश को स्वीकार कर लिया है । तद्नुसार यह आदेश जारी किया जा रहा है ।

2. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के कांडर प्राधिकारी निम्नलिखित मापदण्डों के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिवों (आशुलिपिक ग्रेड 'क' और 'ख' (विलियत) को 8000-275-13500 रूपये के गैर प्रकार्यात्मक वेतनमान प्रदान कर सकते हैं।

Transmires (1914年)

- (i) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव, उस ग्रेड में 4 वर्ष की अनुमोदित सेवा को पूरा करने के पश्चात् 8000-275-13500 के गैर-प्रकार्यात्मक वेतनमान पाने के पात्र होंगे बशर्तें कि उनकी सर्तकता अनापत्ति प्राप्त कर ली गई हो ।
- (ii) निजी सचिव, जिन्हें 8000-275-13500 रूपये का यह गैर प्रकार्यात्मक वेतन प्रदान किया जाता है के ग्रुप 'ख' (राजपत्रित) में ही रहेंगे और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव के 10000-15200 रूपये के वेतनमान के पद में पदोन्नति के लिए उनकी पात्रता निजी सचिव (6500 रूपये -10500 और 8000-13500 रूपये) के दोनों वेतनमानों में की गई कुल सेवा के आधार पर गणना की जाएगी ।
- (iii) अधिकारी जिन्हें उपर्युक्त गैर-प्रकार्यात्मक वेतनमान में रखा जाएगा, वे मौलिक नियम 22(1)(क)(2) के अधीन वेतन निर्धारित करवाने का लाभ उठाने के हकदार होंगे ।
- 3. यह आदेश 3 अक्टूबर, 2003 से प्रभावी माना जाएगा और ऐसे निजी सचिव गैर प्रकार्यात्मक वेलनमान के कारण 3 अक्टूबर, 2003 से जमा हुए बकाया पाने के हकदार होंगे ।
- 4 केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमों के संशोधन से संबंधित आवश्यक अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी ।

जी. एस. पुण्डीर अवर सचिव

अनुबंध 'एफ'

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 1990

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'ग' आशुलिपिकों के वेतनमान का पुनरीक्षण ।

सं. 2/1/90-सीएस-IV--

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण प्रधान बेंच, नई दिल्ली द्वारा ओ एम. सं0.1538/87 में दिनांक 23 मई, 1989 को दिए गए आदेश के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय आदि में सहायक के पदों के लिए वेतनमान के पुनरीक्षण का प्रश्न कुछ समय से सरकार के पास विचाराधीन रहा है । अब राष्ट्रपति जी 1.1.1986 से के स.स. के सहायक ग्रेड और के स.आ.से. के 'सी' ग्रेड के आशुलिपिकों में शामिल डयूटी पदो के लिए 425-15-500-द.रों.-15-560-20-700-दरों-25-800 रूपये पुनरीक्षत पूर्व वेतनमान के लिए 1640-60-2600-द.रों.-75-2900 रूपये का पुनरीक्षत वेतनमान मान निर्धारित करते हैं । यही पुनरीक्षित वेतनमान, विदेश मंत्रालय जो के स.से. और के स.से आशु सेवा में प्रतिभागी नहीं हैं, परन्तु पद उसी वर्गीकरण और वेतनमान के समतुल्य है और खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती का तरीका भी वही है, पर भी लागू होंगे ।

- 2. सहायकों और ग्रेड 'ग' आशुलिपिक जो 1.1.1986 को कार्यरत हैं का वेतन के सि.से. (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1986 की शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा । संबंधित कर्मचारियों को उसी नियम की द्वितीय अनुसूची के साथ संलग्न फार्म में दिनांक 22-12-1986 और 27-5-1988 के वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं0.7(52)-ई-III/86 के साथ पिठत उसी नियम के नियम 5 की शर्तों के अनुसार 1.1.1986 अथवा बाद की तारीख से पुनरीक्षित वेतनमान अपनाने का विकल्प प्रदान किया जाएगा । यह विकल्प, इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से तीन महीनों के अन्दर दे दिया जाना चाहिए । एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा ।
- 3. के.स.से. (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1986 में औपचारिक संशोधन यथा समय जारी कर दिया जाएगा ।
- 4. इसे वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 30.7.90 के यू.ओ. सं0.7(43)/आईसी/89 की सहमित से जारी किया जाता है ।

गुरनिहाल सिंह पीरज़ादा अवर सचिव

अनुबंध 'जी`

गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 19 फरवरी 2003

सं. 13/6/2002-रा.भा. (सेवा)--

केन्द्रिय सचिवालय राजभाषा सेवा के कनिष्ठ अनुवादक तथा वरिष्ठ अनुवादक के पदों का निम्नलिखित अपग्रेडेड वेतनमान दिनांक 11.2.2003 से किए जाने हेतु राष्ट्रपति जी की संस्वीकृति सूचित की जाती है:-

| क्र. सं | पदनाम | वर्तमान वेतनमान 💮 अप | ग्रेडेड वेतनमान |
|---------|----------------|----------------------|---|
| 1, | कनिष्ठ अनुवादक | 5000-150-8000/-क्त. | 5500-175-9000/-क. (दिनांक 11:2.2003 से लागू) |
| 2. | वरिष्ठ अनुवादक | 5500-175-9000/-₹5. | (दिनाक 11.2.2003 से लागू) 6500-200-10500/-रू. (दिनाक 11.2.2003 से लागू) |

- 2 यह कार्यालय आदेश वित्त एवं कपंनी कार्य मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा उनके यू.ओ. सं. 70/11/2000-आई.सी. दिनांक 13.2.2003 के अंतर्गत दी गई स्वीकृति से जारी किया जा रहा है।
- 3. सभी मंत्रलायों/विभागों/संबद्घ कार्यालयों से अनुरोध है कि इस संबंध में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें।

मदन लाल गुप्ता संयुक्त सचिव

अनुबंघ 'एच'

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 15 फरवरी 2001

विषयः स्टाफ कार ड्राईवरों की पदोन्नति योजना ।

फा. सं. 43019/54/96-स्था-(घ)--

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के प्रधान बेंच ने केन्द्रीय सरकार स्टाफ कार ड्राईवर संध और बिक्रम सिंह बनाम भारत का संध के मामले दिनांक 5.5.2000 के अपने निर्णय में, ओ.ए.सं 2529/96 में निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:

मास्टर क्राफ्टमेन/हेड स्टाफ कार ड्राईवर के लिए 1400-2300/- रूपये का वेतनमान. जो रेलवे में इस समय विद्यमान है, ओ.ए. दाखिल करने की तारीख से आवेदन कर्ताओं को प्रदान किया जाए और उसके परिणाम स्वरूप हुए लाभों का बकाया दिया जाए

- 2. तदनुसार, विधि, वित्त और रेलवे मंत्रालय के विचार-विमर्श से मामले की जांच की गई और 8.11.1996 (जो ओ.ए.सं.2529/96 के दायर करने की तारीख है) से केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के उपर्युक्त उल्लिखित निदेश कार्यान्वयन करने का निर्णय किया गया है जैसा कि विषय के संबंध में विद्यमान आदेशों के संशोधन में पश्चात्वर्ती पैराग्राफों में दिया गया है:-
 - (i) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 30.11.1993 का का.ज्ञा.सं.22036/1/92-स्था.(घ)।
 - (ii) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 27.7.1995 का का.ज्ञा.सं.22036/1/92-स्था (घ) और
 - (iii) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 1.6.1998 का का.ज्ञा.सं.35034/3/97-स्था.(घ)।

- स्टाफ कार ड्राईवरों के लिए एक नया ग्रेड जिसे विशेष ग्रेड के नाम से पुकारा जाए दिनांक <u>8.11.1996</u>
 रे 5000-8000/- रूपये के वेतनमान में आरंभ किया जाएगा ।
- 4. विशेष ग्रेड में पदोन्नित गैर चयन (विरिष्ठता-सह-योग्यता) के आधार पर 3 वर्ष की नियमित सेवा वाले ग्रेड-। के स्टाफ कार ड्राईवरों में से की जाएगी । स्टाफ कार ड्राईवरों के विभिन्न ग्रेड जिनमें स्टाफ कार ड्राईवरों के पद का पुनरीक्षित अनुपात है इस प्रकार है:-

| क्रम सं. | ग्रेड | वेतनमान | प्रतिशत |
|----------|--------------|-------------------|---------|
| 1. | साधारण ग्रेड | 3050-4590 रूपये | 30 |
| 2. | ग्रेड-॥ | 4000-6000 रूपये | 30 |
| 3. | ग्रेड-। | 4500-7000 रूपये * | 35 |
| 4. | विशेष ग्रेड | 5000-8000 रूपये | 5 |

- 5. यह आदेश 8.11.1996 से प्रभावी होंगे । अतः, दिनांक 8.11.1996 की स्थिति के अनुसार स्टाफ कार इर्ाइवर के पद उपर उल्लिखित अनुपात के अनुसार चार ग्रेडों में बांटें जाने चाहिए और तदनुसार जहां तक संभव हो, संगत ग्रेड/ग्रेडों में 8.11.1996 से विभिन्न ग्रेडों में पदोन्नतियां की जानी चाहिए । जैसा कि केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा निदेश दिया गया है दिनांक 8.11.1996 से वेतन और भत्तों का बकाया दिए जाने की आज्ञा प्रदान की जानी चाहिए ।
- 6. यदि इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की नारीख को, उपर उल्लिखित पुनरीक्षित अनुपात की तुलना में पहले ही अधिक नियमित पदोन्नति की जा चुकी है तो ऐसी पदोन्नति, उनकी प्रराम्भिक पदोन्नति की तारीख से व्यक्तिशः आधार पर अधिक व्यक्ति को प्रदान की आज्ञा, दे दी जानी चाहिए। इस पदोन्नति की उस अवधि तक आज्ञा दी जानी चाहिए, जब तक उपर्युक्त निर्धारित पुनरीक्षित अनुपात प्राप्त नहीं कर लिया जाता, परंतु ऐसी व्यक्तिशः आधार पर पदोन्नति की आगे पदोन्नति के लिए पात्र सेवा में गणना नहीं की जाएगी।
- 7. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्णयों से सभी संबंधित को तत्काल कार्रवाई हेतु, जिसमें भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन भी सम्मिलित हैं, अवगत कराया जाए ।

NOON TO THE SECOND TO THE SECOND TO THE SECOND TO THE SECOND SECO

के, के झा निदेशक (स्थापना)

अनुबंध `आई`

नई दिल्ली, दिनांक 3 फरवरी 2003

कार्यालय ज्ञापन

विषयः एस २-ए के नए वेतमान से और तक पदोन्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा। सं. ए वी-14017/2/97-स्था. (आर आर)--

दिनाक 25.5.98 के इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं 14017/2/97, - स्था (आर आर) से संलग्नक ए' में एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्ति के लिए पूरी की जाने वाली अपेक्षित पुनरीक्षित अर्हक सेवा इस अनुरोध के साथ निर्धारित की गई है कि इस पुनरीक्षित अवधियों को सम्मिलित किए जाने की अन्य बातों के साथ-साथ भर्ती नियमों में संशोधन किए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए । कुछ उपबंधों में और संशोधन किए जाने के संबंध में लोक सेवा आयोग के साथ विचार विमर्श करके आवश्यकता की जांच इस बात को ध्यान में ररवकर की गई है कि वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 12,2.01 के कार्यालय इ गापन सं.6/1/98-आई सी-1 में 775-1150 रू के पूर्व संशोधित वेतन मान के लिए 2610-60-2910-65-3300-70-4000 रू के एक नए लम्बे वेतन मान (एस -2 ए के वेतन मान के रूप में नामित किया गया है) को आरम्भ किया गया है । तदनुसार यह निर्णय किया गया है कि एस-1 से एस-2 ए और एस-2 ए से एस-4 और एस-5 की पदोन्ति के लिए पूरी की जाने वाली अपेजित न्यूनतम अर्हत सेवा निम्नुसार होगी :-

- i) एस-1 (2550-3200 रू) से एस-2ए (2610-4000 रू) : 4 वर्ष
- ii) एस-2 ए (2610-4000 रू) से एस-4 (2750-4400 रू): 4 वर्ष
- iii) एस-2 ए (2610-4000 रू) से वेस-5 (3050-4590 रू) : 6 वर्ष
- 2. विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, जहां कहीं भी आवश्यक हो, अपने भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन करें।

एस. जे. कुमार अवर सचिव

RESERVE BANK OF INDIA DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION

Mumbai-400 005, the 19th October 2006

No. DNBS. 6/CGM (PK)72006—

The Securitisation Companies and Reconstruction Companies (Reserve Bank)(Amendment)Guidelines and Directions, 2006

The Reserve Bank of India, having considered it necessary in the public interest, and being satisfied that, for the purpose of enabling the Reserve Bank to regulate the financial system to the advantage of the country and to prevent the affairs of Securitisation Company or Reconstruction Company from being conducted in a manner detrimental to the interest of investors of in any manner prejudicial to the interest of such Securitisation Company or Reconstruction Company, hereby in exercise of the powers conferred under Sections 3, 9, 10 and 12 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, directs that the Securitisation Companies and Reconstruction Companies (Reserve Bank) Guidelines and Directions, 2003 shall stand amended with immediate effect, as follows, namely:-

Ame idment of the Directions

If the Securitisation Companies and Reconstruction Companies (Reserve Bank) Guidelines and Directions, 2003, after clause (ii) of paragraph 4, the following clauses shall be inserted:

"(ii) (a) A Securitsation Company or Reconstruction Company shall commence business within six months from the date of grant of Certificate of Registration by the Bank;

Provided that on the application by the Securitisation Company or Reconstruction Company, the Bank may grant extension for such further period, not exceeding one year in aggregate from the date of grant of Certificate of Registration.

(ii) (b) A Securitisation Company or Reconstruction Company, which has obtained a Certificate of Registration from the Bank under Section 3 of the Act and not commenced business as on the date of the Notification shall commence business within six months from the date of Notification."

P. KRISHNAMURTHY hief General Manager-in-Charge



NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD (MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT)

New Delhi, the 25th October 2006

No. A- 12011/1/2005-Estt.- In exercise of the powers conferred by Section 37 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985, the Board hereby makes, with the previous approval of the Central Government, the following regulations:-

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT:

- 1.1 These Rules will be called the "National Capital Region Planning Board Recruitment & Promotion Rules, 2006". These rules will cover all officers and employees of the Board falling into four cadres as given in 1.3.
- 1.2 These Rules shall come into force from the date of their approval. All recruitment and selection of officers and employees will be done based on the recruitment criteria laid down for each post.
- 1.3 The number of posts, their classification and scales of pay attached thereto shall be as specified in the Rules: The posts will be grouped under the following Cadres:
 - (i) Technical Cadre,
 - (ii) Administration & Finance Cadre,
 - (iii) Secretarial Cadre,
 - (iv) Lower Subordinate Staff. (covering Group 'D' employees)

2. SELECTION COMMITTEE

2.1 In accordance with the NCRPB Notification No.K-14011/13/85-NCRPB, dated 8.7.1985 (copy enclosed at Annexure-A, the power to create posts and appoint persons against such posts are with the Personnel Group.

Personnel Group:

| 1. | Secretary, Ministry of Urban Development | · • | Chairman. |
|-----|---|-----|-----------|
| 2. | Secretary (Expenditure) or his representative | - | Member |
| ·3. | Secretary in charge of NCR work in the State of Haryana | - | Member |
| 4. | Secretary in charge of NCR work in the State of Rajasthan | ÷ · | Member |
| 5. | Secretary in charge of NCR work in the State of Uttar Pradesh | - · | Member |
| 6. | Secretary in charge of NCR work in the State of NCT-Delhi | - | Member* |
| 7. | Member Secretary, NCR Planning Board | - | Convenor |

^{*} In partial modification of NCRPB Gazette notification ibid, the Secretary in-charge of NCR work in the State of NCT-Delhi has been included as member of the Personnel Group.

- a) The Group will have full powers to create posts in the Board.
- b) Selection of personnel for appointment against posts, the maximum of scale of pay of which exceeds Rs. 15,200 (Fifth CPC) will be made by the Group and appointment of persons selected by the Group will be made after it is approved by the Chairman, NCR Planning Board (Minister for Urban Development, GOI).
- c) Selection and appointment of posts the maximum of scale of pay of which is equal to or less than Rs. 15,200/- will be made by the Member Secretary.
- 2.2. The panel prepared by the Personnel Group or the Selection Committee as the case may be shall be valid for a period of one year.
- 2.3 Selection and appointment of posts the maximum of scale of pay of which is equal to or less than Rs. 15,200 (Fifth CPC) will be made by the Member Secretary, NCRPB with the help of a Selection Committee. The Committee will be chaired by Member Secretary, NCR Planning Board and with Director (A&F)/CRP as one of the members depending upon the posts and one subject expert from outside to be nominated by Member Secretary. The Selection Committee may co-opt any other member to the Committee depending upon the requirement.

3. DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE

The Departmental Promotion Committee will be constituted by the Member Secretary for promotion to posts where he is the Appointing Authority.

4. FILLING UP OF SHORT TERM VACANCIES

Whenever short-term vacancies are caused by the regular incumbents proceeding on leave for 45 days or more, study leave, deputation, etc. of less than one year duration, they may be filled up by giving ad-hoc promotion to the senior most employee who is otherwise eligible for promotion as per the requirements of these Rules subject to good Annual Confidential Record in accordance with DOPT orders on the subject issued from time to time. Such promotion to leave vacancies will not give any claim to the employee for regular appointment/ promotion.

5. INTERVIEW

The selection of the candidates under the Recruitment Rules will be made through interview by the Personnel Group or the Selection Committee as the case may, in addition to written test / skill test wherever prescribed under the Rules.

6. REMOVAL OF DIFFICULTIES

The Personnel Group, NCR Planning Board may from time to time issue such general or specific directions as may be necessary to remove difficulties in the operation of any of the provisions of these Rules. In case of any doubt regarding interpretation of these Rules, the

decision of the Personnel Group with Secretary (UD), Ministry of Urban Development as its Chairman, will be final and binding.

7. RECOGNITION OF DEGREES / DIPLOMA

The degrees / diplomas awarded by Indian Universities established by an Act of the Central or State Legislature; Institutions of national importance set up under an Act of Parliament; institutions considered as 'deemed universities' by the University Grants Commission; institutions recognised by the All India Council of Technical Education or other councils accredited by the Ministry of HRD; or institutions recognised by the Department of Education; Ministry of HRD, Government of India.

8. AGE RELAXATION

Age relaxation as laid down in the Central Government Rules shall apply to all the posts. If within the existing age norms, suitable candidates are not available, the Personnel Group chaired by Secretary (UD), M/o Urban Development, Government of India and the Selection Committee chaired by Member Secretary, NCR Planning Board, will be competent to relax the age of candidates for posts where the maximum of scale of pay exceeds Rs. 15,200 and for posts where the maximum of scale of pay is Rs. 15,200 or below respectively.

9. REALLOCATION OF EXISTING SANCTIONED POSTS IN THE TECHNICAL CADRE

There are ten sanctioned technical posts and these are reallocated into three spheres: Urban and Regional Planning, Project Development, Appraisal and Management and Demographic Assessment & Social Infrastructure Management. In the sphere of Urban and Regional Planning, the planning team will consist of 5 specialists: urban planning, regional planning, housing, environmental planning and transport planning. In the sphere of Project Development, Appraisal and Management, the technical team will consist of 3 specialists: water resource management, power engineering and GIS as applied to rural-urban planning and human settlements. In the sphere of Demographic Assessment and Social Infrastructure Management, the technical team will consist of 2 specialists: economist with experience in demography and a sociologist with experience in the informal sector or social housing.

10. APPOINTING AUTHORITY, DISCIPLINARY AUTHORITY & APPELLATE AUTHORITY

In continuation and pursuance of the selection process indicated in Rule 2 above, the Member Secretary, NCR Planning Board will be the Appointing Authority and Disciplinary Authority for all employees of the Board. The Appellate Authority will be the Secretary (UD), Ministry of Urban Development, Government of India, who is also the Chairman of the Personnel Group.

11. CONFIDENTIAL REPORTS

The Reporting, Reviewing and Accepting Authority for all the posts in the Board are given at Annexure-B

12. PROMOTION

Integrity will be the main criteria for employees to be considered for departmental promotion. In case of departmental promotion, who come under the consideration zone 40% marks will be for Annual Confidential Reports and 40 % for the skill for the post/departmental examination and 20% for interview.

13. COVERAGE OF RULES

The rules will cover new recruits. In case of existing employees, they can be considered for benefit of promotion / revised scale of pay from prospective date only if they fulfill the educational qualification for the post and possess the requisite skills under the rules. These rules will not apply for posts which already stand advertised as per existing rules.

As per Notification No. A-12018/97-PMC-NCRPB, dated 17th June, 1997. Assessment Scheme for Technical Officers of the Board has also been provided. The scheme was inadvertently left out in respect of Planning Assistant and Draughtsman (Civil) of the Board, whose job is also technical in nature. The Assessment Scheme will also be extended to the said posts as per the following eligibility for assessment/threshold:-

14.1 PLANNING ASSISTANT

| Grade | Scale Rs. | Eligibility for Assessment (Years) | Minimum Percentage of threshold |
|--------------------|-------------|--|---------------------------------|
| - 14 1 4 50 | 2 | $i \in \mathbb{N}$. The $i \in \mathbb{N}$ | 4 |
| I | 8000-13500 | 7, 8, 9 and after remaining for one year at the maximum of the scale | 70 |
| II | 10000-15200 | 8,9,10 and after remaining for one year at the maximum of the scale | 75. |
| III | 12000-16500 | 10.11 and after remaining for one year at the maximum of the scale | 75 |

14.2 DRAUGHTSMAN (CIVIL)

| Grade | Scale Rs. | Eligibility for Assessment (Years) | Minimum | |
|-------|-----------|---|----------------------|------|
| | | | Percentage threshold | of |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| I | 5500-9000 | 7, 8, 9 and after remaining for one year at | | 70. |
| | | the maximum of the scale | | |
| II | 8000- | 8,9,10 and after remaining for one year at | | - 75 |
| | 13500 | the maximum of the scale | | |
| III | 10000- | 10.11 and after remaining for one year at | | 75 |
| | 15200 | the maximum of the scale | | |



Chief Regional Planner

| 1. | Name of Post | Chief Regional Planner |
|-----|--|---|
| 2. | No. of Posts | One. |
| 3. | Classification | Group 'A'. |
| 4. | Scale of pay | Rs.18400-500-22500 (Fifth CPC). |
| 5. | Whether Selection Post or non-Selection post. | Selection post. |
| 6. | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S.(Pension Rules),1972. | Not Applicable. |
| 7. | Age limit for direct recruits | Not exceeding 55 years. |
| 9. | Education and other qualifications required for direct recruits. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees. Period of Probation, if any. | Essential: (i) Post Graduate Degree in Planning with minimum 55 % marks with specialization in Urban/Regional Planning from a recognised university or equivalent. (ii) 18 years experience in a responsible position in the field of town and regional planning of which at least 10 years shall be in formulating and implementing urban and regional plan. Preferential: F.I.T.P. (India). There will be no age bar for internal candidates i.e. the employees of the NCRPB, who are otherwise qualified for the post. |
| 11. | Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods. | Method: Selection through transfer on deputation in the case of Government employees or promotion in the case of internal candidate or contract in the case of candidates from the open market. Period: Period of deputation will be initially for three years extendable by two years on a year to year basis on the basis of performance assessment. Contractual appointment will be initially for a period of three years extendable by two years on a year to year basis on the basis of performance assessment. In case of meritorious performance, the Board reserves the right to absorb a deputationist or contractual |

| | | appointee on permanent basis with the consent of the person concerned. |
|-----|--|--|
| 12. | In case of recruitment by | Joint Director in the Board, who fulfill the requisite |
| | promotion/ deputation/ transfer, | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | grades from which promotion/ | for the post for direct induction. In case any such |
| | deputation/ transfer to be made. | person is selected, he will be treated as on fresh |
| | • | appointment on a regular basis. |
| | | Deputation : Officers under the Central Govt. / State |
| | | Govts. /Union Territory Govts. /Public Sector |
| | | Undertakings/semi-Govt./Autonomous or Statutory |
| | | organizations:- |
| | | ••• |
| | | (i) holding analogous posts on regular basis in the |
| | | parent cadre/department or |
| | | (ii) with three years service in the grade rendered after |
| | the second second second second | appointment thereto on regular basis in the scale of |
| | | Rs. 14,300-18,300 or total seven years in pay scale |
| | | of Rs. 12000-375-16500 or equivalent in the |
| | Link a metal in the leaf of the degree of | parent cadre or department possessing requisite |
| | | qualification and experience. |
| 13. | If a DPC exists what is its | Selection by Personnel Group and appointment to be |
| | composition. | made after approval by the Chairman of the Board. |
| | | The composition of the Personnel Group, as per the |
| | en de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de | NCRPB Notification No. K- 14011/13/85-NCRPB, |
| | e de grand en el Village G | dated 8.7.1985. |
| | <u> </u> | |

Joint Director (Technical)

| 1. | Name of Post | Joint Director (Technical) |
|----|---|--|
| 2. | No. of Posts | Two 1. Joint Director, Urban Planner (one post) 2. Joint Director, Water/Solid Waste/Sewerage (WSS) (one post) |
| 3. | Classification | Group 'A'. |
| 4. | Scale of pay | Rs. 12000-375-16500 (Fifth CPC). |
| 5. | Whether Selection Post or non-Selection post. | Selection post. |
| 6. | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S.(Pension Rules),1972. | Not Applicable. |
| 7. | Age limit for direct recruits. | Not exceeding 50 years. |



| 8. | Education and other qualifications | Essential: |
|-----|--|---|
| ŀ | required for direct recruits. | Joint Director, Urban Planner |
| | | BE (Civil) / MA (Geography)/B. Arch. / Bachelor of |
| | | Planning and Masters in Planning with minimum 55 % |
| | | marks with 9 years experience in preparation and implementation of Regional Plans and execution and |
| | | monitoring of infrastructure projects. |
| | | Preferential: candidates with specialization in Urban |
| | | Planning will be given preference. |
| | | Joint Director, Water/Solid Waste / Sewerage |
| | The state of the s | (WSS). |
| | The state of the s | BE (Civil) and M-Tech with minimum 55 % marks |
| | | with 9 years experience in planning, execution and monitoring of infrastructure projects relating to water |
| | | management/solid waste management/sewerage. |
| | | Preferential: candidates with specialization in Water |
| | | Resource Management will be given preference. |
| 9. | Whether age and educational | There will be no age bar for internal candidates i.e. the |
| | qualifications prescribed for direct | employees of the NCRPB, who are otherwise qualified |
| | recruits will apply in the case of | for the post. |
| | Promotees. | Internal candidates belonging to the Project |
| | | Development, Appraisal and Management team and the |
| | | Demographic Assessment and Social Infrastructure team will be eligible for promotion on the planning |
| | | side provided they pass the Associate in Town |
| | and the second second | Planning Examination (AITPE) of the Institute of |
| | | Town Planners, India. |
| 10. | Period of Probation, if any. | Two years in case of appointment through direct |
| | | induction method subject to Central Government |
| | | Rules. |
| 11. | Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by | Method: Selection through transfer on deputation in the case of Government employees or promotion in the |
| | promotion or by deputation/ | case of internal candidate or contract in the case of |
| | transfer & percentage of the | candidates from the open market. |
| | vacancies to be filled by various | Period: Period of deputation will be initially for three |
| | methods. | years extendable by two years on a year to year basis |
| | | on the basis of performance assessment. |
| ٠. | | Contractual appointment will be initially for a period of three years extendable by two years on a year to year |
| | | basis on the basis of performance assessment. |
| | | In case of meritorious performance, the Board reserves |
| | | the right to absorb a deputationist or contractual |
| | • • | |

| | | appointee on permanent basis with the consent of the person concerned. |
|-------|----------------------------------|---|
| 12. | In case of recruitment by | Officers under Central Govt. or State Govts. or Union |
| | promotion/ deputation/ transfer. | Territory Govts. or Public Sector Undertakings or |
| | grades from which promotion/ | semi-Govt. or autonomous or statutory organizations:- |
| | deputation/ transfer to be made. | (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department :or |
| | | (ii) with three years service in the grade rendered after |
| | - | appointment thereto on regular basis in the scale of |
| | • | Rs. 10,000-15,200 or equivalent in the parent cadre |
| | | or department. |
| 13. | If a DPC exists what is its | Selection by Personnel Group and appointment to be |
| | composition. | made after approval by the Chairman of the Board. |
| 1 | | The composition of the Personnel Group, as per the |
| 1. 1, | | NCRPB Notification No. K- 14011/13/85-NCRPB, |
| | | dated 8.7.1985. |

Deputy Director (Technical)

| 1 | Name of Post | Deputy Director (Technical) |
|-----|------------------------------------|---|
| 2. | No. of Posts | Two |
| | | 1. Deputy Director (Power) – (one post) |
| | | 2. Deputy Director (GIS) – (one post) |
| 3. | Classification | Group 'A'. |
| 4. | Scale of pay | Rs. 10000-325-15200 (Fifth CPC). |
| 5. | Whether Selection Post or non- | Selection post. |
| : : | Selection post. | individue interview |
| 6. | Whether benefit of added years of | Not Applicable. |
| | service admissible under rule 30 | |
| | of the C.C.S. (Pension) | |
| | Rules),1972. | |
| 7. | Age limit for direct recruits. | Not exceeding 50 years. |
| 8. | Education and other qualifications | Essential: |
| | required for direct recruits. | Deputy Director (Power) |
| | | BE (Electrical) and M-Tech with minimum 55 % |
| | | marks with 7 years experience in planning, execution |
| | Karamaran Kabupatèn Baratan | and monitoring of infrastructure projects relating to |
| | and the second second | power. |
| | | Preferential: candidates with specialization in Power |
| | | Engineering will be given preference. |
| | | Deputy Director (GIS) |
| | | BE (Civil) / MA (Geography) / B. Arch Bachelor of |
| | | Planning and M.Sc. in GIS / M. Teel Commun. |

٩

| | • | 55 % marks with 7 years experience in planning, execution and monitoring of projects. The candidates having specialisation in Disaster Management and working knowledge of GIS softwares will be given preference. Preferential: candidates with specialization in remote sensing and Geographic Information System (GIS) will be given preference. |
|-----|--|--|
| 9. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees. | There will be no age bar for internal candidates i.e. the employees of the NCRPB, who are otherwise qualified for the post. Internal candidates belonging to the Project Development, Appraisal and Management team and the Demographic Assessment and Social Infrastructure team will be eligible for promotion on the planning side provided they pass the Associate in Town Planning Examination (AITPE) of the Institute of |
| 10. | Period of Probation, if any. | Town Planners, India. Two years in case of appointment through direct induction method subject to Central Government Rules. |
| 11. | Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the | Method: Selection through transfer on deputation in the case of Government employees or promotion in the case of internal candidate or contract in the case of candidates from the open market. |
| | vacancies to be filled by various methods. | Period: Period of deputation will be initially for three years extendable by two years on a year to year basis on the basis of performance assessment. |
| | | Contractual appointment will be initially for a period of three years extendable by two years on a year to year basis on the basis of performance assessment. |
| - | | In case of meritorious performance, the Board reserves the right to absorb a deputationist or contractual appointee on permanent basis with the consent of the person concerned. |
| 12. | In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made. | Officers under Central Govt. or State Govts. or Union Territory Govts. or Public Sector Undertakings or semi-Govt. or autonomous or statutory organizations:- (i) holding analogous posts on regular basis in the |
| | | parent cadre/department :or (ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale |



| | | of Rs. 8,000-13,500 or equivalent in the parent cadre or department. |
|----|--------------|--|
| 13 | composition. | The selection will be made by Member Secretary on the basis of recommendations of the Selection Committee as per the NCRPB Notification No. K-14011/13/85-NCRPB, dated 8.7.1985. |

Assistant Director (Technical)

| 1. | Name of Post | Assistant Director (Technical) |
|----|--|---|
| 2. | No. of Posts | Five |
| | | Assistant Director (Housing)- (one post) Assistant Director (Environmental Planning)- (one post) Assistant Director (Transport /Traffic Engineering)- (one post) Assistant Director (Sociology)- (one post) Assistant Director (Economics)- (one post) |
| 3. | Classification | Group 'A'. |
| 4. | Scale of pay | Rs. 8000-275-13500 (Fifth CPC). |
| 5. | Whether Selection Post or non- Selection post. | Selection posts-direct induction/promotion. |
| 6. | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S.(Pension Rules),1972 | Not Applicable. |
| 7. | Age limit for direct recruits | Not exceeding 35 years. |
| 8. | Education and other qualifications required for direct recruits. | Essential: 1. Assistant Director (Housing) B. Arch. and Masters in Planning with minimum 55 % marks with two years experience in planning, execution and monitoring of projects. Preferential: candidates with specialisation in housing will be given preference. |
| | | 2. Assistant Director (Environmental Planning) M.A. Geography / BE (Civil) / B. Arch. and Masters in Planning with minimum 55 % marks with two years experience in planning, execution and monitoring of projects Preferential: candidates with specialisation in Environmental Planning will be given preference. |

<u></u>

| | | Tall |
|-----|---|---|
| | | 3. Assistant Director (Transport /Traffic Engineering) BE (Civil) and M. Tech. with minimum 55 % marks with two years experience in planning, execution and monitoring of projects relating to transport. Preferential: candidates with specialisation in Transport Engineering or Traffic Engineering will be given preference. |
| | | 4. Assistant Director (Sociology) BA (Hons.) in Economics / Sociology / History / Geography and Masters in Sociology with minimum 55 % marks with two hars experience in planning, execution and monitoring of projects. |
| | | 5. Assistant Director (Economics) BA (Hons.) Economics with Masters in Economics with minimum 55 % marks. |
| | | Preferential: Candidates having diploma / degree in demography will be given preference. |
| 9. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of | There will be no age bar for internal candidates i.e. the employees of the NCRPB, who are otherwise qualified for the post. |
| | Promotees | Internal candidates belonging to the Project Development, Appraisal and Management team and the Demographic Assessment and Social Infrastructure team will be eligible for promotion on the planning side provided they pass the Associate in Town Planning Examination (AITPE) of the Institute of Town Planners, India. |
| 10. | Period of Probation, if any | Two years. |
| 11. | Method of Recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods. | Direct recruitment. |
| 12. | In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made. | |
| 13. | If a DPC exists what is its composition. | The selection will be made by Member Secretary on the basis of recommendations of the Selection Committee as per the NCRPB Notification No. K-14011/13/85-NCRPB, dated 8.7.1985. |



Planning Assistant *

| | 1. | Name of Post | Planning Assistant |
|---|-----|---|--|
| ŀ | 2. | No. of Post | One. |
| - | 3. | Classification | Group 'B'. |
| | 4.* | Scale of pay | Rs. 5500-175-9000 (Fifth CPC). |
| | 5. | Whether Selection Post or non-Selection post. | Selection post - direct induction. |
| | 6. | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S.(Pension Rules),1972 | Not applicable. |
| | 7. | Age limit for direct recruits. | Not exceeding 35 years. |
| | 8. | Education and other qualifications required for direct recruits. | Essential: Diploma in Engineering (Civil)/Diploma in Architecture of three years full time duration or equivalent with minimum 55 % marks. |
| | | | Preferential: Candidate with two years experience in GIS, Urban Planning and working experience in GIS softwares. |
| | 9. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees. | There will be no age bar for internal candidates i.e. the employees of the NCRPB, who are otherwise qualified for the post. |
| | 10. | Period of Probation, if any. | Two years. |
| | 11. | Method of Recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various | Direct induction. |
| | ŀ | methods. | |
| | 12. | In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made. | Internal candidates who are AITPE or fulfill the qualifications and experience laid down for the post would also be eligible to apply for any post related to Planning. |
| | 13. | If a DPC exists what is its composition. | The selection will be made by Member Secretary on the basis of recommendations of the Selection Committee as per the NCRPB Notification No. K-14011/13/85-NCRPB, dated 8.7.1985. |

^{*} Since the post of Planning Assistant is an isolated post and is technical in nature, Assessment Scheme as applicable to the other technical officers of the Board will also be extended to this post.

Draughtsman (Civil)*

| 1. | Name of Post | Draughtsman (Civil) |
|-----|---|--|
| 2. | No. of Posts | One. |
| 3. | Classification | Group 'C'. |
| 4. | Scale, of pay. | Rs. 4000-100-6000 (Fifth CPC). |
| 5. | Whether Selection Post or non- Selection post. | Selection- direct induction. |
| 6. | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S.(Pension Rules),1972. | |
| 7. | Age limit for direct recruits. | Not exceeding 35 years. |
| 8. | Education and other qualifications required for direct recruits. | ITI Certificate of 2 years duration in drawing/ tracing of the relevant field or equivalent. |
| 9. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees. | There will be no age bar for internal candidates i.e. the employees of the NCRPB, who are otherwise qualified for the post. |
| 10. | Period of Probation, if any | Two years. |
| 11. | Method of Recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods. | Direct induction basis. |
| 12. | In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made. | |
| 13. | If a DPC exists what is its composition. | The selection will be made by Member Secretary on the basis of recommendations of the Selection Committee as per the NCRPB Notification No. K-14011/13/85-NCRPB, dated 8.7.1985. |

^{*} Since the post of Draughtsman (Civil) is an isolated post and is technical in nature, Assessment Scheme as applicable to the other technical officers of the Board will also be extended to this post.

Director (Administration & Finance)

| 1. | Name of Post | Director (Administration & Finance) |
|-----|--|--|
| 2. | No. of Post | One. |
| 3. | Classification | Group- 'A'. |
| 4. | Scale of pay | Rs. 14300-400-18300 (Fifth CPC). |
| 5. | Whether Selection Post or non-Selection post. | Deputation initially for a period of four years, extendable by one year. |
| 6. | service admissible under rule 30 of the C.C.S.(Pension Rules),1972. | |
| 7. | Age limit for deputation | Not exceeding 50 years. |
| 8. | Education and other qualifications required for direct recruits. | MBA in Financial Management or Chartered Accountant or ICWA. [In case of officers from Civil Services (IAS, Central Services Group 'A') the above qualifications will only be a desirable qualification]. |
| 9. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees. | Not applicable. |
| 10. | Period of Probation, if any. | Not applicable. |
| 11. | Method of Recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods. | Deputation. The vacancy will be informed to DOPT through administrative ministry to fill up the post on Central Staffing Pattern, failing which the vacancy will be advertised as per the extent procedures. |
| 12. | In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made. | The recruitment will be on deputation from All India Services, Central Services-Group 'A', working in an analogous post with a minimum of 4 years service in Group 'A' post in the scale of Rs. 12,000-16,500 or cumulated 9 years services in the scale of Rs. 10,000-15,200 and Rs. 12,000-16,500 with experience in the field of finance, mobilization of resources, bonds and other debts instruments through budgetary and extra budgetary resources. |
| 13. | If a DPC exists what is its composition. | Selection by Personnel Group and appointment to be made after approval by the Chairman of the Board. The composition of the Personnel Group, as per the NCRPB Notification No. K- 14011/13/85-NCRPB, dated 8.7.1985. |

Joint Director (Project Monitoring Cell)

| 1. | Name of Post | Joint Director (Project Monitoring Cell) |
|-----|---|---|
| 2. | No. of Posts | One. |
| 3. | Classification | Group- 'A'. |
| 4. | Scale of pay | Rs. 12000-375-16500 (Fifth CPC)/Consolidated remuneration between Rs.28,380-38,573/- for contractual engagement. |
| 5. | Whether Selection Post or non- Selection post. | Selection post: Selection through direct induction / transfer on deputation / short-term contract. |
| 6. | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S.(Pension Rules),1972. | Not applicable. |
| 7. | Age limit for direct recruits. | i) For deputation – Not exceeding 50 years. ii) For Contractual engagement – Not exceeding 45 years. |
| 8. | Education and other qualifications required for direct recruits. | Essential: BE (Civil) with minimum 55 % marks and MBA with 9 years experience in project development, formulation and management of different types of infrastructure projects. |
| | | Preferential: Candidates with degree in Cost and Works Accountancy or MBA (Finance) would be given preference. |
| 9. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of | There will be no age bar for internal candidates i.e. the employees of the NCRPB, who are otherwise qualified for the post. |
| | Promotees. | Internal candidates belonging to the Project Development, Appraisal and Management team will be eligible for promotion on the planning side provided they pass the Associate in Town Planning Examination (AITPE) of the Institute of Town Planners, India. |
| 10. | Period of Probation, if any. | Two years in case of appointment through direct induction method subject to Central Government Rules. |
| 11. | Method of Recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various | Method: Selection through transfer on deputation in the case of Government employees or promotion in the case of internal candidate or contract in the case of candidates from the open market. |

| | methods. | Period: Period of deputation will be initially for three years extendable by two years on a year to year basis on the basis of performance assessment. |
|-----|---|--|
| | | Contractual appointment will be initially for a period of three years extendable by two years on a year to year basis on the basis of performance assessment. |
| | | In case of meritorious performance, the Board reserves the right to absorb a deputationist or contractual appointee on permanent basis with the consent of the person concerned. |
| 12. | In case of Recruitment. by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made. | i) On deputation from Govt. of India or States/Autonomous Bodies/Public Sector Undertakings/Statutory Bodies/Public Sector Companies/ partly/wholly funded by Central/State Governments with a minimum 4 years service in the scale of Rs.10,000-15,200 or accumulated 9 years of service in the scale of Rs.8,000-13,500 and Rs.10,000-15,200. with experience in appraisal, execution and monitoring of infrastructure projects. |
| | | ii) For contractual appointees from the open market – Apart from essential qualification as stated at Sr. No. 8 above, the candidate should have experience in appraisal and monitoring of physical or social infrastructure projects for at least nine years in a Private Sector Company/Registered Society/Trust of Repute/Reputed Firm. |
| 13. | If a DPC exists what is its composition. | Selection by Personnel Group and appointment to be made after approval by the Chairman of the Board. The composition of the Personnel Group, as per the NCRPB Notification No. K- 14011/13/85-NCRPB, dated 8.7.1985. |

Joint Director (Finance)

| 1. | Name of Post | Joint Director (Finance) |
|----|----------------|---|
| 2. | No. of Post | One. |
| 3. | Classification | Group 'A'. |
| 4. | Scale of pay | Rs. 12000-375-16500 (Fifth CPC) / Consolidated remuneration between Rs. 28,380-38,573/- for contractual engagement. |

| 5. | Whether Selection Post or non-Selection post. | Selection post: Selection through direct induction/ transfer on deputation / short-term contract. |
|-----|--|--|
| 6. | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S.(Pension Rules),1972. | Not applicable. |
| 7. | Age limit for direct recruits. | i) For deputation – Not exceeding 50 years. ii) For contractual engagement – Not exceeding 45 years. |
| 8. | Education and other qualifications required for direct recruits. | Essential: M.B.A. (Finance)/CA/ICWA or equivalent as recognized by Govt. of India with minimum 55 % marks with 9 years experience in appraisal of infrastructure projects. |
| | | [in case of officers from Civil Services (IAS, Central Services Group 'A') the above qualifications will only be a desirable qualification]. |
| | | Preferential: The candidate should have experience in the field of financial appraisal and monitoring of projects, resource mobilization from capital markets. The candidate should have reasonable exposure to public sector accounting and auditing practices in line with the requirements of Comptroller & Auditor General of India. |
| 9. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees. | There will be no age bar for internal candidates i.e. the employees of the NCRPB, who are otherwise qualified for the post. |
| 10. | Period of Probation, if any. | Two years in case of appointment through direct induction method subject to Central Government Rules. |
| 11. | Method of Recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the | Method: Selection through transfer on deputation in the case of Government employees or promotion in the case of internal candidate or contract in the case of candidates from the open market. |
| - | vacancies to be filled by various methods. | Period: Period of deputation will be initially for three years extendable by two years on a year to year basis on the basis of performance assessment. |
| | | Contractual appointment will be initially for a period of three years extendable by two years on a year to year basis on the basis of performance assessment. |
| | | In case of meritorious performance, the Board reserves the right to absorb a deputationist or contractual |

| | | appointee on permanent basis with the consent of the person concerned. |
|-----|--|--|
| 12. | In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made. | i) On deputation from Govt. of India or States/Autonomous Bodies/Public Sector Undertakings/Statutory Bodies/Public Sector Companies/ partly/wholly funded by Central/State Governments with a minimum 4 years service in the scale of Rs.10,000-15,200 or accumulated 9 years of service in the scale of Rs.8,000-13,500 and Rs.10,000-15,200, with experience in appraisal, execution and monitoring of infrastructure projects. ii) For contractual appointees from the open market – Apart from essential qualification as stated at Sr. No. 8 above, the candidate should have experience in appraisal and monitoring of physical or social infrastructure projects for at least nine years in a Private Sector Company/Registered Society/Trust of Repute/Reputed Firm. |
| 13. | If a DPC exists what is its composition. | Selection by Personnel Group and appointment to be made after approval by the Chairman of the Board. The composition of the Personnel Group, as per the NCRPB Notification No. K- 14011/13/85-NCRPB, dated 8.7.1985. |

Finance & Accounts Officer

| 1. | Name of Post | Finance & Accounts Officer |
|----|--|---|
| 2. | No. of Posts | One. |
| 3. | Classification | |
| 4. | Scale of pay | Rs. 10000-325-15200 (Fifth CPC). |
| 5. | Whether Selection Post or non- Selection post. | Selection- direct recruitment/deputation. |
| 6. | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension Rules), 1972. | |
| 7. | Age limit for direct recruits. | Not exceeding 50 years. |
| 8. | Education and other qualifications required for direct recruits. | Essential: MA (Hons.) Economics/M.Com/MBA (Finance) or equivalent degree in finance from a recognized University with seven years experience. |

| | · · · | Preferential: ICWA /CA. |
|-----|---|--|
| | | Experience: Officers from Central/State Govt. Organization or Public Sector Undertaking with three years in the pay scale of Rs. 8,000-13,500 or equivalent in the parent cadre or who fulfill the requisite qualification will also be eligible to apply. |
| 9. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees. | Director/ Assistant Accounts Officer with 8 years |
| 10. | Period of Probation, if any. | Two years in case of direct recruitment. |
| 11. | Method of Recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods. | Direct recruitment/ Deputation initially for a period of three years, extendable by two years. |
| 12. | In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made. | |
| 13. | If a DPC exists what is its composition. | The selection will be made by Member Secretary on the basis of recommendations of the Selection Committee as per the NCRPB Notification No. K-14011/13/85-NCRPB, dated 8.7.1985. |

Deputy Director (Administration)

| 1. | Name of Post | Deputy Director (Administration) |
|----|--|---|
| 2. | No. of Posts | One. |
| 3. | Classification | |
| 4. | Scale of pay | Rs. 10000-325-15200 (Fifth CPC). |
| 5. | Whether Selection Post or non- Selection post. | Selection- direct recruitment/deputation. |
| 6. | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension Rules), 1972. | |
| 7. | Age limit for direct recruits | Not exceeding 50 years. |

| 8. | Education and other qualifications required for direct recruits. | Essential: Post Graduate in Social Sciences or in any other subject with Post Graduate Diploma in Personnel Management / HRD from a recognized University with seven years experience in Human Resource Development / Administration. |
|-----|--|--|
| | | Preferential: MBA (Personnel Management) |
| | | Experience: Officers from Central/State Govt. Organization or Public Sector Undertaking with three years in the pay sca e of Rs. 8.000-13,500 or equivalent in the parent cadre or who fulfill the requisite qualification will also be eligible to apply. |
| 9. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees. | Internal candidates holding the position of Assistant Director/ Assistant Accounts Officer with 8 years experience in the post will be eligible to apply for the post and there will be no age and qualification restrictions in their case. |
| 10. | Period of Probation, if any. | Two years in case of direct recruitment. |
| 11. | Method of Recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods. | Direct recruitment/ Deputation initially for a period of three years, extendable by two years. |
| 12. | In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made. | |
| 13. | If a DPC exists what is its composition. | The selection will be made by Member Secretary on the basis of recommendations of the Selection Committee as per the NCRPB Notification No. K-14011/13/85-NCRPB, dated 8.7.1985. |

Assistant Director (Administration/Establishment)

| 1. | Name of Post | Assistant Director (Administration/Establishment) |
|----|---|--|
| 2. | No. of Posts | Two |
| 3. | Classification | Group 'B'. |
| 4. | Scale of pay | Rs. 6500-200-10500 (Fifth CPC). |
| 5. | Whether Selection Post or non-Selection post. | Non-selection for promotion. Selection post for internal competitive test. |

| | 6. | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S.(Pension | |
|---|-----|--|---|
| | | Rules).1972. | |
| | 7. | Age limit for direct recruits | No age limit. |
| | 8. | Education and other qualifications required for direct recruits. | |
| | 9. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees. | There will be no age bar for internal candidates i.e. the employees of the NCRPB, who are otherwise qualified for the post. |
| : | 10. | Period of Probation, if any. | |
| | 11. | Method of Recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods. | (i) 50% by way of departmental competitive examination from amongst Assistant Gr. I, Accounts Assistant and Steno Gr. 'C' who have rendered not less than 5 years approved service. The examination will be conducted in noting drafting in Hindi and English and also on Rules and Regulations. |
| | | | (ii) 50% by promotion from amongst Assistant Gr. I/ Accounts Assistant, who have rendered not less than 8 years approved service on the recommendations of the Selection Committee on the basis of interview. |
| | 12. | In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ | Promotion from amongst Assistant Gr I/ Accounts Asstt. who have rendered not less than 8 years approved service. |
| | | deputation/ transfer to be made. | Eligible for non-functional scale of Rs. 8000-275-13500 (Fifth CPC) after completion of four years of approved service in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 subject to their vigilance clearance. They will continue to remain Group 'B' in accordance with M/o. Personnel, P.G. and Pensions (Department of Personnel and Training Order No. 21/36/03-CS1, dated 13-11-2003 (copy enclosed at Annexure-C). This has been |
| | | | adopted in pursuance of the NCRPB Regulations 1986 vide Notification No. C-11031/1/86-NCRPB, dated 3-3-1986, under Regulation 3 under the heading 'Salaries and allowances of officers and employees' The pay and all other allowances except House Rent Allowance of officers and employees of the Board shall be the same as those prescribed by the Central Government for its employees of similar status (copy enclosed at |
| | | | Annexure D). |
| - | | | |



| 13. | If a | DPC | exists | what | is | its | The selection will be made by Member Secretary on |
|-----|------|----------|--------|------|----|-----|--|
| | comp | osition. | | | | | the basis of recommendations of the Selection |
| | | | | | | | Committee as per the NCRPB Notification No. K-14011/13/85-NCRPB, dated 8.7.1985. |

Assistant Director (Finance)

| 1. | Name of Post | Assistant Director (Finance) |
|-----|--|---|
| 2. | No. of Posts | Two. |
| 3. | Classification | Group 'B'. |
| 4. | Scale of pay | Rs. 6500-200-10500 (Fifth CPC). |
| 5. | Whether Selection Post or non- Selection post | Non-selection for promotion. Selection post for departmental competitive test. |
| 6. | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S.(Pension Rules),1972. | Not applicable. |
| 7. | Age limit for direct recruits. | No age limit. |
| 8. | Education and other qualifications required for direct recruits. | |
| 9. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees. | There will be no age bar for internal candidates i.e. the employees of the NCRPB, who are otherwise qualified for the post. |
| 10. | Period of Probation, if any. | , ; |
| 11. | Method of Recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods. | (i) 50% by way of departmental competitive examination from amongst Assistant Gr. I, Accounts Assistant and Steno Gr. 'C' who have rendered not less than 5 years approved service. The examination will be conducted in noting drafting in Hindi and English and also on Rules and Regulations with special emphasis on General Financial Rules. |
| | | (ii) 50% by promotion from amongst Assistant Gr. I/ Accounts Assistant, who have rendered not less than 8 years approved service (4 years in Administration and 4 years in Accounts) on the recommendations of the Selection Committee on the basis of interview. |
| | | |

| 12. | In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made. | Promotion from amongst Assistant Gr I/ Accounts Asstt. who have rendered not less than 8 years approved service. Eligible for non-functional scale of Rs. 8000-275-13500 (Fifth CPC) after completion of four years of approved service in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 subject to their vigilance clearance. They will continue to remain Group 'B' in accordance with M/o. Personnel, P.G. and Pensions (Department of Personnel and Training Order No. 21/36/03-CS1, dated 13-11-2003 (copy enclosed at Annexure-C. This has been adopted in pursuance of the NCRPB Regulations 1986 vide Notification No. C-11031/1/86-NCRPB, dated 3-3-1986, under Regulation 3 under the heading 'Salaries and allowances of officers and employees' The pay and all other allowances except House Rent Allowance of officers and employees of the Board shall be the same as those prescribed by the Central Government for its employees of similar status (copy enclosed at Annexure D). |
|-----|--|---|
| 13. | If a DPC exists what is its composition. | The selection will be made by Member Secretary on the basis of recommendations of the Selection Committee as per the NCRPB Notification No. K- 14011/13/85-NCRPB, dated 8.7.1985. |

Private Secretary

| 1. | Name of Post | Private Secretary |
|----|--|---|
| 2. | No. of Posts | Two. |
| 3. | Classification | Group 'B'. |
| 4. | Scale of pay | Rs. 6500-200-10500 (Fifth CPC). |
| 5. | Whether Selection Post or non- Selection post. | Non-selection for promotion. Selection post for departmental competitive test. |
| 6. | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S.(Pension Rules),1972. | |
| 7. | Age limit for direct recruits. | Not Applicable. |
| 8. | Education and other qualifications required for direct recruits | Not Applicable. |
| 9. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees. | There will be no age bar for internal candidates i.e. the employees of the NCRPB, who are otherwise qualified for the post. |

| 10. | Period of Probation, if any. | |
|-----|--|--|
| 11. | Method of Recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various | (i) 50% through selection on the basis of departmental competitive test on the pattern of CSS (Govt. of India) from amongst Stenographers Grade 'C' who have rendered not less than 5 years of approved service. |
| | methods. | (ii) 50% on promotion on non-selection method by DPC from amongst Stenographers Grade 'C' who have rendered not less than 8 years of approved service on the basis of seniority subject to rejection of unfit and on the recommendations of the DPC. |
| 12. | In case of recruitment by | From amongst stenographers Grade 'C' who have |
| ! | promotion/ deputation/ transfer, | rendered not less than 8 years of approved service. |
| | grades from which promotion/ | Eligible for non-functional scale of Rs. 8000-275- |
| | deputation/ transfer to be made. | 13500 (Fifth CPC) after completion of four years of approved service in the pay scale of Rs. 6500-200- |
| ì | | 10500 subject to their vigilance clearance. They will |
| | | continue to remain Group 'B' in accordance with M/o. |
| | | Personnel, P.G. and Pensions (Department of Personnel and Training Order No. 10/3/2004-CS.II (Part-I), dated |
| | · · | 24-6-2005 (copy enclosed at Annexure-E. This has |
| | | been adopted in pursuance of the NCRPB Regulations |
| | | 1986 vide Notification No. C-11031/1/86-NCRPB, |
| | | dated 3-3-1986, under Regulation 3 under the heading |
| · | | 'Salaries and allowances of officers and employees' The pay and all other allowances except House Rent |
| : | | Allowance of officers and employees of the Board shall |
| | | be the same as those prescribed by the Central |
| | A Company of the Comp | Government for its employees of similar status (copy |
| | | enclosed at Annexure D). |
| 13. | If a DPC exists what is its | The selection will be made by Member Secretary on |
| | composition. | the basis of recommendations of the Selection |
| | e de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de | Committee as per the NCRPB Notification No. K-14011/13/85-NCRPB, dated 8.7.1985. |
| | , | |

Accounts Assistant/ Assistant Grade I

| 1. | Name of Post | Accounts Assistant/Assistant Grade I |
|----|----------------|---|
| 2. | No. of Posts | Four. |
| 3. | Classification | Group 'C'. |
| 4. | Scale of pay | Rs. 5500-175-9000 (Fifth CPC). |
| | | As applicable to Central Government employees (reference DOPT OM No. 2/1/90-CS.IV, dated 31 st |

| | | July, 1990 copy enclosed at Annexure-F. This has been adopted in pursuance of the NCRPB Regulations 1986 vide Notification No. C-11031/1/86-NCRPB, dated 3-3-1986, under Regulation 3 under the heading 'Salaries and allowances of officers and employees' The pay and all other allowances except House Rent Allowance of officers and employees of the Board shall be the same as those prescribed by the Central Government for its employees of similar status (copy enclosed at Annexure D). |
|-----|--|--|
| 5. | Whether Selection Post or non-Selection post. | Non-selection for promotion. Selection post for departmental competitive test. |
| 6. | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S.(Pension Rules),1972. | |
| 7. | Age limit for direct recruits. | Not Applicable. |
| 8. | Education and other qualifications required for direct recruits. | Not Applicable. |
| 9. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees. | There will be no age bar for internal candidates i.e. the employees of the NCRPB, who are otherwise qualified for the post. |
| 10. | Period of Probation, if any. | |
| 11. | Method of Recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods. | i) 50% by promotion on the result of departmental competitive examination limited to Asstt. Gr. II and Stenos Gr. 'D' who have completed three years approved service. The competitive examination will be held on noting, drafting, Rules and Regulations. |
| | | ii) 50% by promotion from Assistant Gr. II who have rendered not less than 5 years approved service on non-selection basis, on the recommendations of the DPC. |
| 12. | In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made. | From Assistant Grade-II, who have rendered not less than five years approved service on non-selection basis on the recommendations of the DPC. |
| 13. | If a DPC exists what is its composition. | The selection will be made by Member Secretary on the basis of recommendations of the Selection Committee as per the NCRPB Notification No. K-14011/13/85-NCRPB, dated 8.7.1985. |

. Hindi Translator

| 1. | Name of Post | Hindi Translator |
|-----|--|--|
| 2. | No. of Posts | One. |
| 3. | Classification | Group 'C'. |
| 4. | Scale of pay | Rs. 5500-175-9000 (Fifth CPC). |
| | | as applicable to Central Government employees (reference Department of Official Language, M/o. Home Affairs, Office Order No. S/13/6/2002/Rashtiya |
| , | a tope | Rajbhasha Sewa, dated 19 th February, 2003 copy enclosed at Amexure-G. This has been adopted in |
| | | pursuance of the NCRPB Regulations 1986 vide Notification No. C-11031/1/86-NCRPB, dated 3-3- 1986, under Regulation 3 under the heading 'Salaries |
| | | and allowances of officers and employees' The pay and all other allowances except House Rent Allowance of officers and employees of the Board shall be the same as those prescribed by the Central Government for its |
| | | employees of similar status (copy enclosed at Annexure D). |
| 5. | Whether Selection Post or non- Selection post. | Selection post-direct induction. |
| 6. | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S.(Pension Rules),1972. | Not applicable. |
| 7. | Age limit for direct recruits. | Not exceeding 30 years. |
| 8. | Education and other qualifications required for direct recruits. | Essential: Master's Degree of recognised University in English/Hindi with Hindi/English as a compulsory and elective subject at Degree level and Diploma in Translation from a recognized Institute, with 2 years working experience in Translation from English to Hindi or vice-versa. |
| | | Preferential: Working knowledge of Hindi typing and Hindi software. |
| 9. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees. | There will be no age bar for internal candidates i.e. the employees of the NCRPB, who are otherwise qualified for the post. |
| 10. | Period of Probation, if any | |



| 11. | Method of Recruitment: Whether | |
|--------|--|---|
| 1 | | Internal candidates having the requisite qualifications |
| | promotion or by deputation/ | will also be eligible to apply. |
| · | transfer & percentage of the | Skill took will be and dead before the intermity for |
| | vacancies to be filled by various | Skill test will be conducted before the interview for |
| | methods. | -selection to the post. |
| 12. | In case of recruitment by | |
| | In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer, | ET Gebrau a. Till i i i i i i i i i i i i i i i i i |
| | grades from which promotion/ | |
| | deputation/transfer to be made. | |
| | , | |
| 13. | If a DPC exists what is its | The selection will be made by Member Secretary on the basis of recommendations of the Selection |
| 1 V | composition. | the basis of recommendations of the Selection |
| HI I | Migopa need and did to the example. | Committee as per the NCRPB Notification No. K- |
| 100 | The state of the s | 1400 1713785±NCPPR dated \$ 7 1085 |
| | | |
| 1 2001 | egotation is content the heading. Sala | A CHIMIN TOWN I |
| Ster | nographer Grade (C' | earavolis kari |
| 4,500 | and the second services of the wallow | |

| | Name of Post week | Stenographer Grade 'C' |
|---|---|--|
| 2 | No. of Posts | Six. to sexplain |
| 3. | Classification | Attentioned |
| 4. | Scale of pay | Rs. 5500-175:9000 (Fifth CPC): |
| ! | | Pay scale as applicable to Central Government employees |
| | | (reference DOPT OM No. 2/1/90-CS.IV. dated 31st July) |
| | | 1990 copy enclosed at Annexure F. This has been adopted |
| | | in pursuance of the NCRPB Regulations 1986 vide |
| | | Notification No. C-11031/1/86-NCRPB, dated 3-3-1986, |
| ! | | under Regulation 3 under the heading 'Salaries and |
| | \$* | allowances of officers and employees' The pay and all other |
| Vile | for the of recognised-Univer | allowances except House Rent Allowance of officers and |
| V10. | in and the sist as a compati- | employees of the Board shall be the same as those prescribed |
| | Amaliana washing and an extension of | |
| ni s | enoted bas tare some | by the Central Government for its employees of similar |
| ni : | of the state level and Diplomer of the Company | by the Central Government for its employees of similar status (copy enclosed at Annexure D). |
| ni : | ondigio and property of the control | by the Central Government for its employees of similar status (copy enclosed at Annexure D). |
| ni : | whether Selection Post or | by the Central Government for its employees of similar status (copy enclosed at Annexure D). |
| 71 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | Whether Selection Post or non-Selection post. | status (copy enclosed at Annexure D). Selection post for Departmental Competitive Test. |
| 71 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | Whether Selection Post or non-Selection post. | status (copyrenclosed at Annexure D). Selection post for Departmental Competitive Test. |
| 5.1 5.1 6.116 | Whether Selection Post or non-Selection post. Whether benefit of added years of service admissible | status (copyrenclosed at Annexure D). Selection post for Departmental Competitive Test. |
| 5.3 5.3 6.115 | Whether Selection Post or non-Selection post. Whether benefit of added years of service admissible underso index 30 m of the | Selection post for Departmental Competitive Test. Selection post for Departmental Competitive Test. Selection post for Departmental Competitive Test. Selection post for Departmental Competitive Test. Selection post for Departmental Competitive Test. |
| 5.3 5.3 6.115 | Whether Selection Post or non-Selection post. Whether benefit of added years of service admissible underso index 30 m of the | Selection post for Departmental Competitive Test. Selection post for Departmental Competitive Test. Selection post for Departmental Competitive Test. Selection post for Departmental Competitive Test. Selection post for Departmental Competitive Test. Selection post for Departmental Competitive Test. Selection post for Departmental Competitive Test. Selection post for Departmental Competitive Test. Selection post for Departmental Competitive Test. Selection post for Departmental Competitive Test. Selection post for Departmental Competitive Test. |
| 5.3 5.3 6.115 | Whether Selection Post or non-Selection post. Whether benefit of added years of service admissible underso index 30 m of the | Selection post for Departmental Competitive Test. Selection post for Departmental Competitive Test. Selection post for Departmental Competitive Test. Selection post for Departmental Competitive Test. Selection post for Departmental Competitive Test. |
| 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6 | Whether Selection Post or non-Selection post. Whether benefit of added years of service admissible underschilden 30 m of the G.G.S. (Pension Rules), 1972. | Selection post for Departmental Competitive Test. |
| S. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. | Whether Selection Post or non-Selection post. Whether benefit of added years of service admissible underschiutes 30 a of the C.G.S. (Pension Rules), 1972. Age limit for direct recruits. | Selection post for Departmental Competitive Test. |

| | | and Diploma in computer applications. |
|--------------|--|--|
| | | Preferential: Preference will be given to candidates having requisite speed both in Hindi and English shorthand and typing. |
| 9. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees. | There will be no age bar for internal candidates i.e. the employees of the NCRPB, who are otherwise qualified for the post. |
| 10. | Period of Probation, if any. | Two years in case of appointment through direct induction method subject to Central Government Rules. |
| 11. | Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer & | (i) 75% by promotion through non-selection method from amongst departmental Stenographers Grade Di who have rendered 5 years service on the basis of seniority subject to the rejection of unfit and on the |
| _ (j: | percentage of the vacancies to be filled by various methods. | No. 8 above during the skill test. |
| n) | once vould be given in the disc for expire a sheatenth for the mixer members to consider of me | possessing minimum qualification of Graduation and speed of 120 W.P.M. in shorthand and 40 W.P.M. in |
| 1.5 | ilisep vervious our one Eq. | English/ General Knowledge and shorthand/ typing, age not exceeding 28 years. Age may be relaxed in respect of internal candidates. Preference will be |
| Authority of | | given to candidates having requisite speed both in Hindi and English shorthand and typing. Since there is no promotion for Stenographers Grade 'C' they would be eligible for financial upgradation after a |
| | | period of 12 years under the Assured Career Progression scheme of DOPT O.M., No., 35034/97/-Estt., (D), dated 9 th August, 1999. |
| 12. | In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ | From amongst internal Stenographers Grade 'D' who have rendered five years service on the basis of the seniority, and the seniority and th |
| | transfer to be made. If a DPC exists what is its composition. | The selection will be made by Member Secretary on the basis of recommendations of the Selection Committee as per |
| | | the NCRPB Notification No. K- 14011/13/85-NCRPB, dated 8.7.1985. |



Assistant Grade II (UDC)

| 1. | Name of Post | Assistant Grade II (UDC) |
|-----|---|--|
| 2. | No. of Posts | Seven. |
| 3. | Classification | Group 'C'. |
| 4. | Scale of pay | Rs. 4000-100-6000 (Fifth CPC). |
| 5. | Whether Selection Post or non- Selection post. | Selection post- direct induction. |
| 6. | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S.(Pension Rules),1972. | Not applicable. |
| 7. | Age limit for direct recruits. | Not exceeding 28 years. |
| 8. | Education and other qualifications required for direct recruits. | Essential: Graduation in any subject with typing speed of 30 W.P.M. in English/25 W.P.M. in Hindi and knowledge of computer operation. Preferential: Preference would be given to those |
| | | having good speed for typing / shorthand both in Hindi/English. |
| 9. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees. | There will be no age bar for internal candidates i.e. the employees of the NCRPB, who are otherwise qualified for the post. |
| 10. | Period of Probation, if any. | |
| 11. | Method of Recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various | By direct recruitment. |
| | methods. | |
| 12. | | |

Stenographer Grade 'D'

| 1. | Name of Post | Stenographer Grade 'D' |
|-----|--|---|
| 2. | No. of Posts | Seven. |
| 3. | Classification | |
| 4. | Scale of pay | Rs. 4000-100-6000 (Fifth CPC). |
| 5. | Whether Selection Post or non- Selection post. | Selection- direct induction |
| 6. | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S.(Pension Rules),1972. | Not applicable. |
| 7. | Age limit for direct recruits. | Not exceeding 28 years. |
| 8. | Education and other qualifications required for direct recruits. | Essential: Graduation in any subject and speed of 80 W.P.M. in English Shorthand and 40 W.P.M. in English Typing and possessing diploma in computer applications. |
| | | Preferential: Preference will be given to candidates having good speed in Hindi shorthand and typing also. |
| 9. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees. | There will be no age bar for internal candidates i.e. the employees of the NCRPB, who are otherwise qualified for the post. |
| 10. | Period of Probation, if any. | Two years in case of appointment through direct induction method subject to Central Government Rules. |
| 11. | Method of Recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the | Direct Recruitment. Internal candidates having the requisite qualifications will also be eligible to apply. Selection will be made on the basis of skill test and interview. |
| | vacancies to be filled by various methods. | Since there is no promotion for Stenographers Grade 'D' they would be eligible for financial upgradation after a period of 12 years under the Assured Career Progression scheme of DOPT O.M. No. 35034/97/-Estt. (D), dated 9 th August, 1999. |
| 12. | In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made | Direct Recruitment basis. |

| | 6.3 | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|--------|--------|-------|-------|---|
| | 13. | If | a | DPC | exists | | | s The selection will be made by Member Secretary or |
| | : | coı | npo | sition | | 1 | | the basis of recommendations of the Selection |
| | : | 1 | | | | - 1 | . 27, | Committee as per the NCRPB Notification No. K- |
| | | | | • | | | | 14011/13/85-NCRPB, dated 8.7.1985. |
| ļ | , | | | | | | | |

Rower Houseful in 1915 Th

Staff Car Driver

| 1. Name of Post (CAR) and | Staff Car Driver -1100 20 200 200 200 200 200 200 200 200 |
|--|--|
| 2. No. of Posts | Four |
| | The forms and the same bound in the and aparton H in the |
| 3. Classification | Of short who will a short a |
| 4. Scale of pay | Rs. 3050-75-3950-80-4590 (Fifth CPC). |
| 5. Whether Selection Post or non- Selection post. | Selection post-direct induction: |
| 6. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S.(Pension Rules),1972. | elitado deimeren problecados de la deimenta de describiles de describiles de deimenta de de de de de de de de de de de de de |
| 7. Age limit for direct recruits. | Not exceeding 28 years. |
| qualifications required for direct recruits. | Essential: Sr. Secondary school passed from a recognized school and valid driving licence of light vehicles with at least two years experience of driving, vehicles in a Government / Semi-Government/Public Sector Undertakings/autonomous bodies. Knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor defects in vehicles.) |
| scipe in the discoverage (C | Desirable: Preference would be given to graduate candidates |
| | Desirable: Preference would be given to graduate candidates in any subject. There will be no age bar for internal candidates i.e. the employees of the NCRPB, who are otherwise qualified for the post. |
| 9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees. 10. Period of Probation, if any | Desirable: Preference would be given to graduate candidates in any subject. There will be no age bar for internal candidates i.e. the employees of the NCRPB, who are otherwise qualified for the post. Two years: |
| 9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees. | Desirable: Preference would be given to graduate candidates in any subject. There will be no age bar, for internal candidates, i.e. the employees of the NCRPB, who are otherwise qualified for the post. |

appearancy applied to the estimate

dollisection.

| | 12. | In case of recruitment by | | promotion from the ordinary grade to special grade will |
|-----|-----|---------------------------------------|--------------|--|
| | | promotion/ deputation/ transfer, | 1 11/20 11 | accordance with the DOPT OM No. F. No. 43019/54/96- |
| | | grades from which promotion/ | | (D), dated 15-2-2001 (copy enclosed at Annexure H). |
| | | deputation/ transfer to be made. | | Staff Car Drivers shall be placed in different grades of |
| | | | Staff | Car Drivers as follows: be the age to the the |
| | | · | | to Joshin Mil badhozan ji movastika i p |
| | | · - | S.N. | Grade Pay Scales 1990 1111 %age |
| 1 | | | 1. | Ordinary Grade Rs. 3050-4590 One |
| | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 2. | Grade-II Rs. 4000-6000 One |
| İ | : | | 3 | Grade-I Rs. 4500-7000 One |
| İ | | | 4:30 | Special Grade Rs. 5000 8000 One |
| ۱ ٔ | 10 | TC PPO : | 0.1 | e lete recruitment or by |
| | 13. | If a DPC exists what is its | | tion for appointment. The selection will be made by |
| 1 | | composition. | | ber Secretary on the basis of recommendations of the |
| 1 | | · i | | tion Committee as per the NCRPB Notification No. K- |
| ļ | : | | 14011 | 1/13/85-NCRPB, dated 8.7.1985. |
| Ì | | on the realerSI to S5 will be it | Prom | otion: The promotion will be on the basis of combined |
| • | | STORY ON No. ABJUST 297 | contir | nued seniority of the employees in the grade and on the |
| Ì | | a 7-2-2003 (copy) encoseds of | | rmendations of the DPC subject to rejection of unfit. |
| | - 1 | - · · . | Const | itution of DPC: obein od of referent /dollare |
| ļ | | stars goldfiloup tobolida | | |
| | | niple ed for promotion will be a | | tór (A&F) : Chairman |
| - | . | | Jt. Di | rector (Finance) : Member |
| | : : | mart (Booklerote Africa) | Dy. D | Director (A) : Member |
| | 1 | 1 20 to \$3.4 (Rs. 2750.4400); 4 Yale | One re | epresentative from SC/ST/OBC : Member |
| Ĺ | | | | |
| | ÷ | a tim noundistrail the industrial | 資料 "粉 | 18 10 0 DPC exists what is its Selection for |

Junior Assistant (Peon/ Chowkidar/ House Keeper / Tea/Coffee Maker)

| | or the Selection Committee as per | recommendation : |
|----|---|--|
| 1. | icagon No. K-1401 (12693) Some Miles | 1 |
| 2. | i e | Ten. |
| 3. | Classification ad llive notionment Classification and To vinoinas to. | Group Didmos |
| 4. | | Rs. 2550=55+2660-60-3200 (Fifth CPC). |
| 5. | Whether Selection Post or non- | Selection-direction induction. |
| | Selection-post | i d A Vandermitt |
| 6. | | Earl) retestor (Firestor (Firestor) |
| | service admissible under rule 30 | 1.7 retraction of |
| | of the C.C.S.(Pension Rules),1972 | One représentation |
| 7. | Age limit for direct recruits | Not exceeding 28 years. |
| 8. | Education and other qualifications | Essential: Sr. Secondary school passed from a |
| | required for direct recruits | recognized school / institutions. The candidate should |
| | | be able to read and write Hindi and English or a |
| | | regional language. |
| | | |



| | | Desirable: Possessing valid driving licence for LMV / Working knowledge of English/ Hindi typing/computer applications. |
|-----|--|---|
| 9. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees | |
| 10. | Period of Probation, if any | Two years. |
| 11. | Method of Recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods. | Direct Recruitment. |
| 12. | In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made | The promotion from the scale S1 to S5 will be in accordance with the DOPT OM No. AB.14017/2/97-Estt. (RR), dated 3-2-2003 (copy enclosed at Annexure-I). The minimum qualifying service required to be completed for promotion will be as follows:- (i) S-1 (Rs. 2550-3200) to S-2A (2610-4000) 4 Years (ii) S-2A (Rs. 2610-4000) to S-4 (Rs. 2750-4400): 4 Years (iii) S-2A (Rs. 2610-4000) to S-5 (3050-4590) 6 Years |
| 13. | If a DPC exists what is its composition | Selection for appointment: The selection will be made by Member Secretary on the basis of recommendations of the Selection Committee as per the NCRPB Notification No. K- 14011/13/85-NCRPB. dated 8.7.1985. |
| | | Promotion: The promotion will be on the basis of combined continued seniority of the employees in the grade and on the recommendations of the DPC subject to rejection of unfit. Constitution of DPC: |
| | | Director (A&F) : Chairman Jt. Director (Finance) : Member Dy. Director (A) : Member One representative from SC/ST/OBC : Member |

Recruitment Rules relating to posts in the Transport Cell of the NCR Planning Board

Commissioner Transport

| 1. | Name of the Post | Commissioner Transport |
|-----|---|--|
| 2. | No: of posts | 1 (One) |
| 3. | Classification | Group 'A', Gazetted. |
| 4. | Scale of Pay | Rs. 18,400-500-22,400. |
| 5. | Whether selection post or non- selection post | Not applicable. |
| 6. | Age limit for direct recruits | Preferably below 0 years. |
| 7. | Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension Rules), 1972 | Not applicable. |
| 8. | Educational and other qualifications required for direct recruits:- | Possessing the following educational qualifications and experience:- |
| | recruits | Essential:- (i) Degree in Civil or Electrical or Mechanical or Structural Engineering from a recognized university or equivalent. |
| | | (ii) 15 years' experience including 5 years experience in areas of appraisal of feasibility or detailed project report, project financing, project monitoring or quality control of projects, preferably in large projects of mass transport system. |
| | | Desirable:- The officer should have vast and varied experience in planning, design and construction of major rail construction projects. Preferably should have experience of working in the Ministry of Railways or any other Ministry. |
| 9. | Period of Probation, if any | Not applicable. |
| 10. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruit will apply in the case of promotees and deputationist | Yes. |
| 11. | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods | Deputation. (Initially for a period of two years. The post is temporary and will be abolished as soon as the work is completed. The term of engagement shall be reduced or extended on requirement basis). |

| (| 6 | |
|-----|---|--|
| 12. | In case of recruitment by promotion / deputation / absorption. grades from which promotion / deputation / absorption to be made | Officers under Central Govt. or State Govts. or Union Territory Govts. or Public Sector Undertakings or semi-Govt. or autonomous or statutory organizations:- (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre / department: or |
| | • | (ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of Rs. 14,300-18,300 or equivalent in the parent cadre or department. |
| 13. | If a DPC exists, what is its composition | Selection of personnel for appointment against the post will be made by the Personnel Group as per NCRPB gazette notification, dated 8 th July, 1985. |
| 14. | Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment | Not applicable. |

The qualification for planning as recognized by the All India Council for Technical Education would only be admissible.

Assistant Director (Transport)

| <u>i.j.</u> | Name of the Post | Assistant Director (Transport) |
|-------------|---|---|
| 2. | No. of posts | 1 (One) |
| 3. | Classification | Group 'A', Gazetted. |
| 1. | Scale of Pay | Rs. 8,000-275-13,500. |
| 5. | Whether selection post or non-selection post | Not applicable. |
| 6. | Age limit for direct recruits | Preferably below 35 years. |
| 7. | Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension Rules), 1972 | Not applicable. |
| 8. | Educational and other qualifications required for direct recruits | Degree or equivalent in Urban / Regional Planning or Engineering or Architecture OR Post Graduate degree in Economics with 4 years experience in planning execution and monitoring of projects. OR Master's Degree in Urban / Regional Planning / Engineering / Architecture with 2 years experience in planning, executing and monitoring of projects. |
| | | Preferential:- Experience in planning, survey, design and construction of major rail construction projects. |

| 9. | Period of Probation, if any | Not applicable. |
|-----|---|---|
| 10. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruit will apply in the case of promotees and deputationist | Yes. |
| | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods | Deputation (Initially for a period of two years. The post is temporary and will be abolished as soon as the work is completed. The term of engagement shall be reduced or extended on requirement basis). |
| 12. | In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made | Officers under Central Govt. or State Govts. or Union Territory Govts or Public Sector Undertakings or semi-Govt. or autonomous or statutory organizations:- (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre / department on regular basis in the scale of Rs. 8000-275-13500 for a period of two / four years as the case may be as mentioned under Essential Qualification at Srl. No. 8 above. |
| 13. | If a DPC exists, what is its composition | Selection and appointment to this post will be made by Member Secretary (as per NCRPB gazette notification, dated 8 th July, 1985). |
| 14. | Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment | Not applicable. |

The qualification for planning as recognized by the Institute of Town Planners / All India Council for Technical Education would only be admissible.

Private Secretary

| 1. | Name of the Post | Private Secretary |
|----|---|--|
| 2. | No. of posts | 1 (One) |
| 3. | Classification | Group 'B'. |
| 4. | Scale of Pay | Rs. 6,500-200-10,500. |
| 5. | Whether selection post or non- selection post | Non- selection. |
| 6. | Age limit for direct recruits | Preferably below 50 years. |
| 7. | Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension Rules), 1972 | Not applicable. |
| 8. | Educational and other qualifications for direct recruits | Essential:- Graduation from a recognized University. |
| 9. | Period of Probation, if any | |

| 10. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruit will apply in the case of promotees and deputationist | Yes. |
|-----|---|--|
| 11. | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods | Deputation (Initially for a period of two years. The post is temporary and will be abolished as soon as the work is completed. The term of engagement shall be reduced or extended on requirement basis) |
| 12. | In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made | Officers under Central Govt. or State Govts. or Union Territory Govts. or Public Sector Undertakings or semi-Govts. or autonomous or statutory organizations and holding analogous posts on regular basis or 8 years regular service as Stenographer in the scale of Rs. 5,500-9000. |
| 13. | If a DPC exists, what is its composition | Selection and appointment to this post will be made by Member Secretary (as per NCRPB gazette notification, dated 8 th July, 1985). |
| 14. | Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment | Not applicable. |

H.S. Anand Member Secretary National Capital Region Planning Board

Annexure- 'A'

(To be published in the Gazette of India Part III- Section 4)

NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD

New Delhi, the 8th July 1985

No. K. 14011/13/85-NCR-

In exercise of the powers conferred by Section 32 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 the National Capital Region Planning Board, (hereinafter called the Board) hereby makes the following delegations:

I. Functions, powers and duties under clauses (b), (c) & (e) of sub-section 2 of section 22:

To identify individual projects against schemes approved by the Board for funding by the Board, to release instalments for the same and for carrying out a constant review of the progress of the projects, the functions powers and duties of the Board are delegated to the following persons in the Group:-

PROJECT SANCTIONING AND MONITORING GROUP:

| i) | Secretary, Ministry of Works and Housing. | - , | Chairman. |
|------|---|------------|-----------|
| ii) | Secretary (Expenditure) or his representative. | - | Member. |
| iii) | Adviser, Planning Commission or his representative. | . - | Member. |
| iv) | Joint Secretary in charge of NCR in the | | |

- Ministry of Works and Housing. Member.

 v) Secretaries-in-charge of NCR work
- in the States and Delhi UT.

 vi) Chief Planner, TCPO, New Delhi.

 Member.

 Member.
- vii) Member Secretary, NCR Planning Board. Convenor.
 - The group is empowered to sanction loans and grants for the implementation of sub-regional plans and projects plans and for the development of the counter-magnet area identified by the Board in accordance with the rules.
 - 2) The group will also exercise the powers to commission surveys and studies on behalf of the Board.

II. Delegation of functions, powers and duties under Section 31 of the Act:

Subject to the limits and conditions mentioned below the Board delegates its powers to create posts and appoint persons against such posts to the following persons in the Group to be called the personnel Group:-

PERSONNEL GROUP:

| i) | Secretary, Ministry of Works and Housing. | - | Chairman. |
|------|--|------------|-----------|
| ii) | Secretary (Expenditure) or his representative. | - . | Member. |
| iii) | Secretary in charge of NCR work | | |
| | in the Sate of Haryana. | - | Member. |
| iv) | Secretary in charge of NCR of Work | | |
| ٠ | in the State of Rajasthan. | - | Member. |
| v) | Secretaries-in-charge of NCR work | | |
| | in the State of Uttar Pradesh. | - | Member. |
| (i) | Member Secretary, NCR Planning Board. | - | Convenor. |

a) The Group will have full powers to create poss in the Board.

b) Selection of personnel for appointment against posts, the maximum of scale of pay of which exceeds Rs. 1,600/- will be made by the Group and appointment of persons selected by the Group will be made after it is approved by the Chairman.

c) Selection and appointment of posts the maximum of scale of pay of which is equal to or less than Rs. 1,600/- will be made by the Member Secretary.

III. Delegation of powers under Sub-section 22(2) (a):

The functions, powers and duties of the Board (i) to incur administrative expenses of the Board under clause (a) of sub-section 2 of section 22, and (ii) to exercise administrative control and to administer the terms and conditions of employment of the officers and employees of the Board as stipulated in the regulations, is delegated to the Member Secretary as detailed below:-

| | | 4 | |
|-----|--|--|--|
| Sl. | Nature of power | | Extent of power. |
| No. | | | |
| 1. | Operation of bank account | s | (a) power to open accounts for the |
| | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e | r Cyrishad gyfellar i'r | Board in accordance with the rules. |
| a | (1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | | (b) to authorise any employee or |
| | Burn Bright Bright Bill | | employees of the Board to operate |
| | | | the account individually or jointly. |
| | | i de la Maria de Caractería de la Caractería de Caractería | |
| (1) | (2) | | (3) |
| 2. | Purchase of Office furnitur | e and | Full powers for purchase, running and |
| | equipments. | | maintenance and repairs of machinery |
| | | | including office furniture and equipments. |
| | | | |
| 3. | Purchase of stationery. | | Full powers. |
| 4. | Telephone Charges. | | Full power Full power to get new |
| | rerepriorie charges. | | telephone connection, payment of rentals |
| | | | call charges, etc. |
| | | | can charges, etc. |

| (1) | (2) | (3) |
|-------|---|---|
| -5. | (a) creation of posts in the Board. | Full power to be exercised by the Personnel Group. |
| | (b) selection of candidates for appointments in the Board. | (a) selection and appointment to posts the maximum of scale of pay of which is more than Rs. 1600/- will he done by the Personnel Group and |
| s. | | be done by the Personnel Group and will be subject to approval by Chairman. |
| ٠. | | (b) selection to other posts to be made by the Member Secretary. |
| . • . | (c) appointments in the Board. | (a) All appointments to posts, the maximum of scale of pay of which exceeds Rs. 1600/- will be made in |
| | | the name of Board. (b) In respect of others the appointments will be made by the Member |
| 6. | Purchase and maintenance of staff car/vehicles. | Secretary. Full power for purchase, running, maintenance and repair. |
| 7. | Printing charges. | Full power. |
| 8. | Contingency expenditure | Full power. |
| 9. | Power to grant conveyance allowances to employees of the Board. | Full power. The rate and condition of the allowance should be the same as are applicable to the Central Govt. servants. |
| 10. | To grant honorarium to persons working in the Board as also persons other than these working in the Board for services rendered by them to the Board. | Upto Rs. 1000/- in each case. |
| 11. | To grant earned leave and other kinds of leave to staff working in the Board. | Full power. |
| 12. | Grant of leave salary advance. | Full power. |
| 13. | To sanction advance of TA to the staff working in the Board including LTC as applicable under the Govt. rules. | To the extent admissible under the Central Govt. rules. |

| (1) | (2) | - | (3) | |
|------|--|------|------------------------------------|-------------|
| 14. | To exercise all powers of controlling officer for travelling allowance bills | | Full power. | |
| 15. | To incur expenditure on entertainment | | | |
| | during: | | 15 11 | |
| | (a) Meetings of the Board. | | Full power. | |
| | (b) Meeting of the Group. | | Full power. | 2000/ |
| | (c) Meetings of the Committee. | | Subject to a ceiling of Rs. | 2000/- in a |
| | (1) (0.1) (10.1) | | quarter. | 1000/ |
| | (d) Other official meetings. | | Subject to a ceiling of Rs. | • |
| | | | month. The above ceilings w | - |
| | | | to relaxation by the Chair | man if the |
| | | : | circumstances so warrant. | |
| 16 | To soution muchose of despring | | Eull marrow | |
| 16. | To sanction purchase of drawing | | Full power. | |
| | stationery. | | | |
| 17. | To advertise in newspapers and | | Full power. | |
| 17. | journals. | | run power. | |
| 18. | To sanction OTA to eligible staff. | | Full power. | |
| 10. | To saliction OTA to engine stair. | | Tun power. | |
| 19. | Sanction of permanent advance of | | Full power. | ı |
| 17. | imprest. | | Tun power. | |
| - ' | mpress | | | |
| 20. | Grant of advance to employees of the | | Full power. | |
| | Board for the purchase of bicycle. | ٠. أ | | |
| | | | | |
| 21. | To incur expenditure on provision of | | Full power. | |
| | liveries to Peons/ Drivers. | | | |
| | | `: | | |
| 22. | Approval of tour of officers/ employees | * 1 | grand the second territory and the | |
| | of the Board. | | | |
| ٠. | i) Through entitled class. | | Full power. | |
| | ii) Journey by air or by class higher | | Full power. | 1.2 |
| | than the entitled class. | | | |
| | iii) Reimbursement of actual expen- | | Full power. | |
| | diture of boarding/ lodging for | | | |
| | officers/ employees while on tour | | | |
| | in special cases subject to ceiling | ٧ | | |
| * 52 | as prescribed in Govt. rules. | | | |
| | | , | | |



(1) (2) (3)

23. Non-interest bearing advance:
Festival advance/ Medical advance in special cases/ advances for natural calamities subject to rules as prescribed in GFR 1963. FR/SR and other instructions issued by the Govt. of India from time to time.

24. Comprehensive insurance of vehicles. Full power.

Any other administrative expenses of the Board the power to incur which has not been included in the list above shall be incurred by the Member Secretary with the approval of the Chairman of the Board.

orn best

141 E.

- 1

1.

(Deline)

M. SHANKAR Member Secy.

I get july best figures to the

. The third problem is a substitute of the state of the

therefore darking the second of the second o

Annexure-B

| Classification of the posts (strictly as per CCS (CCA) Rules) | Scale of the posts (Rs.) | Reporting Officer | Reviewing Officer | Accepting Officer |
|--|--|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Group A | Commissioner Transport | Member Secretary | Member Secretary | Secretary (UD) Chairman |
| (Central Civil post carrying a pay or a scale of pay with a maximum | | | | Personnel Group |
| of not less than Rs. 13.500) | Chief Regional Planner | Member Secretary | Member Secretary | Secretary (UD) Chairman Personnel |
| | | ۱ | - | Group |
| la de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de La compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la co | Director of the late of the la | Member Secretary | Member Secretary | Secretary (UD) Chairman |
| | : | | | Personnel Group |
| | Joint Director (Fin.) Joint Director (PMC) | Director (A&F) | Member Secretary | MS |
| | Joint Director (PMC) Joint Director (Tech.) Dy. Director (Tech.) | Director (A&F) Chief Regional Planner Joint Director (Tech.) | Member Secretary Member Secretary CRP | MS MS MS |
| | Dy. Director (Admn.) Assistant Director (Tech.) | Director (A&F) Joint Director (Tech.) | Member Secretary CRP | MS MS |
| Group B | Assistant Director (Transport) | Commissioner Transport | Member Secretary | MS |
| | | | | |
| (A Central Civil post | Assistant Director (Estt.) | Dy. Director (Admn.) | Dir (A&F) | MS |
| carrying a pay or a scale of pay with a maximum | Assistant Director (Admn.) Assistant Accounts Officer | Dy. Director (Admn.) Dy. Dir. (Admn.)/FAO | Dir (A&F) $JD(F)/Dir(\Lambda\&F)$ | MS MS |
| of not less than Rs. | Private Secretary | Member Secretary | Member Secretary | MS |
| 9.000 but less than Rs. 13.500) | Planning Assistant | Jt. Dir (Tech) | CRP | MS |
| Group C* | | | | |
| (A Central Civil post carrying a pay or a scale | Assistant Gr-I Accounts Assistant | Dy. Dir. (Admn.)/FAO DD (A)/FAO | JD(F)/Dir (A&F) JD (F) | Dir (A&F) Dir (A&F) |
| of pay with a maximum of Rs. 4.000, but less | PS/ Stenographer Gr 'C' | Concerned Reporting Officer | | |
| than Rs. 9,000. | Hindi Translator Stenographer Gr 'D' | Dy. Director (A) Concerned Reporting | Dir. (A&F) | Dir (A&F) |
| | Tracer | Officer AD (Tech.) | Joint Dir. (T) | CRP |
| | Assistant Gr-II | AD (A/E)/FAO | DD (A)/JD(F) | Dir (A&F) |
| | Driver | vcò | DD (A) | Dir (A&F) |
| Group D* | | | | |
| of pay the maximum of | Junior Assistant /Chowkidar/ Fea and Coffee Maker/ House Keeper | AD (A) / AD(E) / PS to MS for staff in MS Secretariat | Dy. Director (A) | Dir. (A&F) |
| which is Rs. 4000 or less. | | , | | |

Reporting officers for all staff in MS Secretariat will be PS to MS, who will initiate report and reviewing will be done by MS.

Annexure- 'C' MINISTRY OF PERSONNEL, P. G. AND PENSIONS

New Delhi, the 13th November 2003

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

Introduction of Non Functional scale of Rs. 8000-275-13500/- to Section Officers of Central Secretarial Service (CSS)-

No. 21/36/03-CS. I—

The Government had set up a Committee on Cadre Restructuring of Central Secretariat Service (CSS) in February, 2001. This Committee submitted its report in February, 2002. One of the recommendations of this Committee was that all regular Section Officers of CSS, who have completed 4 years service in that grade may be placed in the non-functional pay scale of Rs. 80000-After careful consideration, this recommendation has been accepted by the Government. Accordingly, this order is being issued.

- The cadre authorities of CSS may grant the non-functional pay scale of Rs, 8000-275-13500 to the Section Officers of CSS in accordance with the following parameters:-
 - The non-functional pay scale of Rs. 8000-275-13500 is admissible to the Section (i) Officers of CSS on completion of 4 years of approved service in that grade subject to their vigilance clearance.
 - The Section Officers, who are granted this non-functional pay scale of Rs. 8000-275-(ii) 13500 will continue to remain in Group 'B' (Gazetted) and their eligibility for promotion to Grade I (Under Secretary) of CSS will be reckoned on the basis of total period spent in both the scales of S.O. counted together.
 - Officers who are placed in the above non-function pay scale will be entitled to the (iii) benefit of pay fixation under F.R.22(I)(a)(2).
- This order is effective from 3rd October, 2003.
- Necessary Notification relating to amendment to the CSS Rules will be issued separately.

San State of the S

us of organic of the bay becomes.

DEVKI NANDAN GUPTA Deputy Secy.

Annexure- 'D'

New Delhi, the 3rd March 1986

No. C. 11031/1/86-NCRPB-

In exercise of the powers conferred by Section 37 of the National Capital Region Planning Board Act. 1985 the Board hereby makes, with the previous approval of the Central Government, the following regulations:-

1. Short title and commencement:

- i) These regulations may be called the National Capital Region Planning Board Regulations. 1986.
- ii) These shall become operative from the date on which the Board came into existence.

The Control of the Control of the Reference of the

2. Definition:

In these regulations unless the context otherwise requires:

- i) Act means the National Capital Region Planning Board Act, 1985.
- ii) Board means the National Capital Region Planning Board as constituted under Section 3 of the Act.

3. Salaries & allowances of officers and employees:

The pay and all other allowances except House Rent Allowance of officers and employees of the Board shall be the same as those prescribed by the Central Government for its employees of similar status.

FOR THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE

4. Grant of Leave:

In the matter of grant of leave the officers and employees of the Board shall be governed by the Central Civil Service (Leave) Rules. 1972 as applicable to the employees of the Central government and orders issued by the Central Government thereunder from time to time.

1 Iouse Rent Allowance:

The officers and employees of the Board at Delhi shall be entitled to twenty per cent (20%) of their pay as House Rent Allowance. Other conditions for the House Rent Allowance shall be the same as are applicable to the Central government servants.

6. Pension, gratuity, retirement benefits and general provident fund:

The officers and employees of the Board shall be entitled to pension, gratuity, other retirement benefits and general provident fund, at such rates and under such conditions as are applicable to the Central Government servants.

7. Other conditions of service:

Unless expressly provided for in these regulations to the contrary, the other terms and conditions of service of the officers and employees of the Board shall be governed, as far as may be, by the Fundamental and Supplementary Rules. General Financial Rules, Central Civil Service (Temporary Service) Rules, 1965, Central Civil Services (Medical Attendance) Rules, 1944, Central Government employees Group Insurance Scheme, 1980, etc., and by orders and decisions issued by the Central Government under those rules from time to time as applicable to the employees of the Central Government.

8. Conduct Rules:

The Central Civil Service Conduct Rules, 1955 as amended from time to time, will be applicable to the employees of the Board.

9. Disciplinary proceedings:

The Central Civil Services (Classification, control and Appeal) Rules, 1965 as amended from time to time shall apply in relation to the employees of the Board as they apply in relation to the employees of the government. Powers under these rules vested in the President shall be exercised by the Chairman and those of Head of Department by the Member Secretary.

Committee of the second second

10. Deputationists:

The officers and employees of the Board who are working in the Board on deputation from the Central or the State Governments or from the local, development or other statutory authorities or undertakings of the Central or State Governments shall be governed by those terms and conditions which are specified in the order of deputation by the loaning authority. With request to other terms and conditions which are not specified in the order, they will be governed by the above regulations applicable to the employees of the Board.

(M. SHANKAR) MEMBER SECRETARY

Annexure-'E'

New Delhi, the 24th June 2005

Subject: Introduction of Non Functional scale of Rs.8000-275-13500/- to Private Secretaries (Grade 'A' & 'B' (Merged)) of Central Secretariat Stenographers' Service (CSSS) -

F.No.10/3/2004-CS.II (Pt.1)

The Government had set up a "Group of Officers" on Cadre. Structure of Central Secretariat Stenographers' Service (CSSS) in October, 2003. This Group submitted its' report in February, 2004. One of the recommendations of this Group was that all regular Private Secretaries Steno Grade 'A' & B' (Merged)) (Rs.6500-10500) of CSSS, who have completed 4 years' approved service in that grade may be placed in the non-functional pay-scale of Rs.8000-275-13500. After careful consideration, this recommendation has been accepted by the Government. Accordingly, this order is being issued.

- 2. The cadre authorities of Central Secretariat Stenographers' Service (CSSS) may grant the non-functional pay scale of Rs.8000-275-13500 to the Private Secretaries (Steno Grade 'A' & 'B' (Merged)) of CSSS in accordance with the following parameters:-
 - (i) The non-functional pay-scale of Rs.8000-275-13500 is admissible to the Private Secretaries of CSSS on completion of 4 years of 'approved service' in that grade, subject to their vigilance clearance.
 - (ii) The Private Secretaries, who are granted this non-functional pay-scale of Rs.8000-275-13500 will continue to remain in Group 'B' (Gazetted) and their eligibility for promotion to the post of Principal Private Secretary of CSSS in the pay scale of Rs.10000-15200 will be reckoned on the basis of total period of service spent in both the pay scales (Rs.6500-10500 and Rs.8000-13500) of Private Secretary, counted together.
 - (iii) Officers who are placed in the above non-functional pay scale will be entitled to the benefit of pay fixation under F.R.22 (I)(a)(2).
- 3. This order is effective from 3rd October; 2003 and such Private Secretaries will be entitled to draw the arrears from 3rd October. 2003 account of their pay fixation in non-functional pay scale.

में की बीजियों मोबनेत रहते हैं दिया को किया का किया है। यह महार की मूर्व में हैं है है है है है है है है है है

4. Necessary Notification relating to amendment to the CSSS Rules will be issued separately.

·最初的特殊的时间,但不知识的现代的。

G. S. PUNDIR Under Secy.

Annexure- 'F'

New Delhi, the 31st July 1990

Subject: Revision of Scale of Pay of Assistant Grade of Central Secretariat Service and Grade C Stenographers of Central Secretariat Stenographers Service.

No. 2/1/90-CS.IV

The undersigned is directed to say that the question regarding revision of scale of pay for the post of the Assistants in the Central Secretariat etc., has been under consideration of the Government in terms of order dated 23rd May, 1989 in OA No. 1538/87 by the Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi for some time past. The President is now pleased to prescribed the revised scale of Rs. 1640-60-2600-EB-75-2900 for the pre-revised scale of Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700-EB-25-800 for duty posts included in the Assistant Grade of Central Secretariat Service and Grade 'C' Stenographers of Central Secretariat Stenographers Service with effect from 1.1.1986. The same revised pay scale will also be applicable to Assistants and Stenographers in other Organisations like Ministry of External Affairs which are not participating in the Central Secretariat Service and Central Secretariat Stenographers Service but where the posts are in comparable grades with same classification and pay scales and the method of recruitment through Open Competitive Examination is also the same.

- 2. Pay of the Assistants and Grade C' Stenographers in position as on 1.1.1986, shall be fixed in terms of Central Civil Service (Revised Pay) Rules 1986. The employees concerned shall be given option to opt for the revised scale of pay from 1.1.1986 or subsequent date in terms of Rule 5 ibid, read with Ministry of Finance O.M. No. 7(52)-E.III/86 dated 22.12.1986 & 27.5.1988 in the form appended to Second Schedule of the rule ibid. This option should be exercised within three months of the date of issue of this O.M. The option once exercised shall be final.
- 3. Formal amendment to CSS(RP) Rules, 1986 will be issued in due course.
- 4. This issues with the concurrence of Ministry of Finance (Department of Expenditure) vide their U.O. No.7(43)/IC/89 dt. 30.7.90.

GURNIHAL SINGH PIRZADA Under Secy.

Appendix-G

MINISTRY OF HOME AFFAIRS (Department of Official Languages)

New Delhi, the 19th February 2003

No. 13/6/2002-OL (Service)—The sanction of the President for the following Upgraded Pay Scales of the Posts of Junior Translator and Senior Translator of Official Languages of Central Secretariat w.e.f. 11.2.2003, is being informed as—

| Sl. No. | Post | Present Pay Scale | Upgraded Pay Scale |
|---------|-------------------|---------------------|---|
| 1. | Junior Translator | Rs. 5000-150-8000/- | Rs. 5500-175-9000/- (w.e.f. 11.2.2003) |
| 2. | Senior Translator | Rs. 5500-175-9000/- | Rs. 6500-200-10500/- |
| , | | | (w.e.f. 11.2.2003) |

- 2. This office order by The Ministry of Finance and Company Affairs (Department of Expenditure) is being issued, under their given sanction and U.O. No. 70/11/2000 I.C., dated 13.2.2003.
- 3. All the Ministries/Departments and attached offices are requested that they should take immediate action in this respect.

图形 1.3.500 (2.15) (2.15) (1.15) (1.15) (2.15)

48

MADAN LAL GUPTA

Joint Secy.

Annexure- 'H'

New Delhi-110001, the 15th February 2001

F.No. 43019/54/96-Estt.(D)

Subject: Promotion Scheme for Staff Car Drivers

The undersigned is directed to say that the Principal Bench of the Central Administrative Tribunal (CAT), New Delhi in their judgement dated 5.5.2000 in the case of Central Government Staff Car Drivers' Association and Bikram Singh Vs. Union of India in O.A. No. 2529/96 has directed as under:-

".......to grant the applicants the pay scale of Rs. 1400-2300/- for the Master Craftsman/ Head Staff Car Driver, presently existing in the Railways, from the date of filling of the OA and to grant arrears and to allow consequential benefits."

- 2. Accordingly, the matter has been examined in consultation with the Ministries of Law, Finance and Railways and it has been decided to implement, with effect from 8.11.1996 (which is the date of filing of the O.A. No. 2529/96), the above mentioned direction of CAT as in the succeeding paragraphs in modification of the existing orders (copies enclosed) on the subject:
 - (i) DoP&T O.M. No.22036/1/92-Estt(D) dated 30.11.1993;
 - (ii) DoP&T O.M. No.22036/1/92-Estt(D) dated 27.7.1995; and
 - (iii) DoP&T O.M. No.35034/3/97-Estt(D) dated 1.6.19998
- 3. A new Grade for Staff Car Drivers to be called "Special Grade" shall be introduced in the scale of pay of Rs. 5000-8000/- with effect from 8.11.1996.
- 4. Promotion to the Special Grade shall be by non-selection (seniority-cum-fitness) from Grade I with 3 years' regular service in Grade-I of staff Car Drivers. The revised ratio in which the posts of Staff Car Drivers shall be placed in different grades of Staff Car Drivers shall be as follows:-

| A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR | | | $f_{MMM} = f_{MMM} = f_{MMM}$ |
|--------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------|
| S. No. | Grade | Pay scales | Percentage |
| 1. | Ordinary Grade | Rs. 3050-4590 | 30 |
| 2. | Grade-II | Rs. 4000-6000 | 30 |
| 3. | Grade-I | Rs. 4500-7000 | 35 |
| 4. | Special Grade | Rs. 5000-8000 | 5 |

5. The Orders shall take effect from 8.11.1996. Hence, the posts of Staff Car Drivers as on 8.11.1996 should be apportioned among the four grades in terms of the ratio mentioned above and promotions should be made to different grades accordingly with effect from 8.11.1996 to the extent

of short fall in the relevant grade(s). Arrears of pay and allowances should also be allowed with effect from 8.11.1996 as directed by the CAT.

- 6. If as on the date of issue of this Office Memorandum there is excess regular promotion already made in any grade as compared to the revised ratio mentioned above, such promotion shall be allowed to the excess incumbents on personal basis from the date of their initial promotion to that grade till they are covered within the revised ratio prescribed above but the period of such promotion on personal basis shall not count towards the eligibility service for further promotion.
- 7. All Ministries/ Departments are requested to bring the above decisions to the notice of all concerned for immediate action including necessary amendments in the Recruitment Rules.

(K.K. JHA) Director (Establishment)

To

New Delhi, the 3rd February, 2003

Annexure- 'I'

Subject: Minimum Qualifying Service for promotion from and to the New scale of S-2A.

No. AB.14017/2/97-Estt.(RR) >

In Annexure 'A' to this Department's OM No. 14017/2/97-Estt.(RR) dated 25.5.98, the revised qualifying service required to be completed for promotion from one grade to another had been prescribed with the request that necessary action to amend Recruitment Rules be taken interalia incorporating these revised periods. The need for further amendments to some of the provisions therein has been examined in consultation with the Union Public Service Commission taking into account that in O.M. No. 6/1/98-IC-I dated 12.2.01, Department of Expenditure, Ministry of Finance have introduced a new elongated pay scale (to be designated as S-2A pay scale) of Rs. 2610-60-2910-65-3300-70-4000 as replacement for the pre-revised pay scale of Rs. 775-1150. It has accordingly been decided that the minimum qualifying service required to be completed for promotion from S-1 to S-2A and from S-2A to S-4 and S-5 will be as below:

i) S-1 (Rs. 2550-3200) to S-2A (2610-4000) ; 4 years

ii) S-2A (Rs. 2610-4000) to S-4 (Rs. 2750-4400) : 4 years

iii) S-2A (Rs. 2610-4000) to S-5 (Rs. 3050-4590) : 6 years

- 2. Various administrative Ministries/ Departments are requested to carry out suitable amendments to their Recruitment Rules, wherever necessary, in the light of the above guidelines.
- 3. Hindi version follows.

S. J. KUMAR Under Secy.

)

.